DABA

दलित आदिवासी बजट विश्लेषण वित्त वर्ष 2026-27

Dalit Rights are Human Rights - Cast out Caste

NCDHR

परिचय:

केंद्रीय बजट 2026-27 'विकसित भारत' की परिकल्पना को साकार करते हुए देश को परिवर्तनकारी विकास के पथ पर अग्रसर करता है। वैश्विक अनिश्चितताओं, घरेलू वित्तीय सीमाओं और दीर्घकालिक विकास लक्ष्यों की पृष्ठभूमि में तैयार किया गया यह बजट, वित्तीय अनुशासन और समावेशी विकास के बीच संतुलन साधने में अहम भूमिका निभाता है। भारत का 2026 का बजट अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह ऐतिहासिक रूप से वंचित समुदायों की जरूरतों पर केंद्रित है। इसमें लक्षित योजनाएं और विशिष्ट वित्तीय प्रावधान शामिल हैं; जिसके अंतर्गत आवंटित उप-योजनाएं मंत्रालयों को एससी और एसटी आबादी के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए धनराशि निर्धारित करने का निर्देश देती हैं। यह कदम जाति-आधारित भेदभाव को दूर करने के उद्देश्य से बनाई गई सकारात्मक नीतियों के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को और सुदृढ़ करता है।

अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) की परिस्थितियों में सुधार के उद्देश्य के बावजूद, गंभीर संरचनात्मक चुनौतियां बजटीय आवंटन के प्रभावी उपयोग में बाधा डाल रही हैं। कई बार आवंटित धनराशि या तो बिना खर्च हुए पड़ी रहती है या क्रियान्वयन एजेंसियों द्वारा उसे महज 'सांकेतिक' श्रेणी में डाल दिया जाता है, जिससे वह वास्तविक व्यय में परिवर्तित नहीं हो पाती। यह स्थिति निर्धारित धनराशि की प्रभावशीलता को कम करती है और जवाबदेही[1] को कमजोर बनाती है। इसके अतिरिक्त, जटिल प्रशासनिक प्रक्रियाएं और योजना निर्माण में सीमित सामुदायिक भागीदारी धनराशि के उपयोग में देरी का कारण बनती हैं; जिसके परिणामस्वरूप अप्रभावशाली योजनाएं सामने आती हैं जो स्थानीय जरूरतों को पूरा करने में विफल रहती हैं। साथ ही, आंकड़ों की कमी और मजबूत निगरानी तंत्र[2] के अभाव के कारण योजनाओं के प्रभाव का सही आकलन बाधित होता है और बदलती जरूरतों के अनुसार योजना में सुधार करना कठिन हो जाता है।

गत वित्त वर्ष 2025-26 में, 'अनुसूचित जाति विकासात्मक कार्ययोजना' (DAPSC) के तहत अनुसूचित जातियों (SC) के कल्याण हेतु लगभग ₹1.68 लाख करोड़ (जबकि अनुमान ₹2.30 लाख करोड़ का था) प्राप्त हुए और 'अनुसूचित जनजाति विकासात्मक कार्ययोजना' (DAPST) के अंतर्गत अनुसूचित जनजातियों (ST) को ₹1.29 लाख करोड़ (जबकि अपेक्षा ₹1.32 लाख करोड़ की थी) मिले; जो क्रियान्वयन के स्तर पर गंभीर खामियों की ओर इशारा करता है। ये वित्तीय प्रावधान अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि राष्ट्रीय

1 https://www.cbgaindia.org/wp-content/uploads/2016/05/Study-Report-SCP-and-TSP-04.01.12.pdf
2 https://www.niti.gov.in/sites/default/files/2019-12/NITI_Aayog_Guideliens_for_SCSP_TSP_2017.pdf

तालिका 1: अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए बजट - वित्त वर्ष 2026-27 (करोड़ रुपये में)

		SC	ST
(a)	Total Expenditure Budget Estimate FY 2026-27(Note-1)	53,47,314.81	53,47,314.81
(b)	Total Eligible Central Sector Schemes and Centrally Sponsored Schemes (Note 2)	1,667,947	1,668,261
(c)	Due Allocation for Scheduled Castes and Scheduled Tribes Schemes as per the New Guidelines of NITI Aayog (Note 1)	239,608	139,261
(d)	Allocation for SC Schemes (as per Statement 10A) and ST Schemes (as per Statement 10B)	196,400	141,089
(e)	% of Allocation (e) = (d)% of (b)	11.8%	8.5%
(f)	Targeted Schemes	75,077	62,093
(g)	% of Targeted Allocation (g)=(f)% of (b)	4.5%	3.7%
(h)	Total Gap in allocation (Due Allocation-Targeted Schemes) (h) =(c) -(f)	164,530	77,168

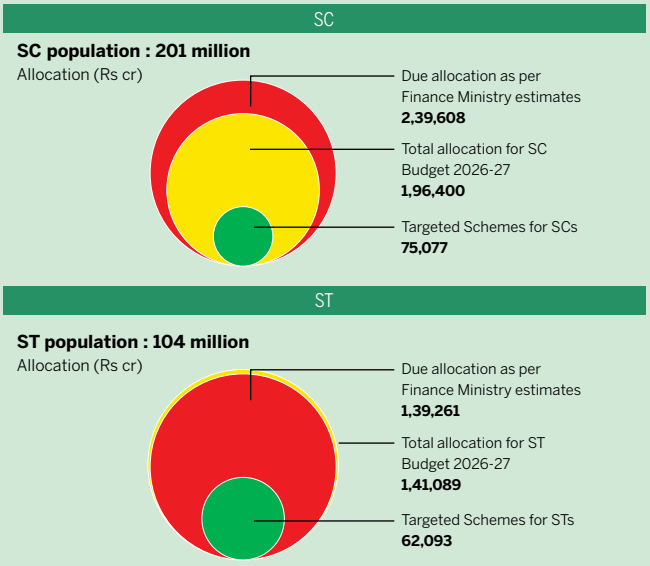

Source: Govt of India - Budget Expenditure Profile 2026-27 Ministry of Finance.

*Note-1: Total Expenditure through budget, as per statement-1,Expenditure Profile, FY 2026-27

*Note-2: Current system of Budgeting for SC & ST is DAPSC & DAPST as per the new guidelines issued by NITI Aayog on Dated 1 April 2018 available in eUthan Portal, MSJE, GoI. As per the Guidelines each obligatory Ministry/Department is given a set proportion of the CS+CSS to be earmarked as the Budget for SC and ST schemes.

*Note-1: In the new guidelines SCSP and TSP are renamed as DAPSC (Development Action Plan for Scheduled Castes) & DAPST (Development Action Plan for Scheduled Tribes)

*Note-2: New System of Budgeting for SC & ST is DAPSC & DAPST as per the new guidelines issued by NITI Aayog on Dated 1 April 2018 available in eUthan Portal, MSJE, GoI. As per the Guidelines each obligatory Ministry/Department is given a set proportion of the CS+CSS (Centrral Schemes + Central Sponsored Schemes) to be earmarked as the Budget for SC and ST schemes.

बजट वित्त वर्ष 2026-27 की कुछ प्रमुख झलकियाँ

1. अनुसूचित जाति (SC) के लिए कुल ₹1,96,400.37 करोड़ और अनुसूचित जनजाति (ST) के लिए ₹1,41,088.6 करोड़ आवंटित किए गए हैं। हालांकि, इनमें से क्रमशः केवल ₹75,077.4 करोड़ और ₹62,092.85 करोड़ ही सीधे एससी और एसटी समुदायों तक पहुँचते हैं। यह कुल लक्षित बजट का मात्र 4.5% और 3.7% है जो वास्तव में समुदाय तक पहुँच रहा है। शेष राशि गैर-एससी और एसटी विकास कार्यक्रमों के लिए समर्पित है।

2. पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए अनुसूचित जाति हेतु ₹6,360 करोड़ आवंटित किए गए हैं, जो पिछले वर्ष के ₹5,900 करोड़ से अधिक है। वहीं, अनुसूचित जनजाति के लिए आवंटन ₹2,462.68 करोड़ से बढ़कर ₹3,176.48 करोड़ हो गया है, जो एक महत्वपूर्ण वृद्धि है। दलित महिलाओं की पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए लगभग ₹1,908 करोड़ आवंटित किए गए हैं।

3. हाथ से मैला ढोने (Manual Scavenging) की प्रथा को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने के लिए लगभग कोई भी योजना दिखाई नहीं देती। स्वच्छता कार्यों के मशीनीकरण के उद्देश्य से शुरू की गई 'नमस्ते' (NAMASTE) पहल के लिए मात्र ₹110 करोड़ का बजटीय प्रावधान किया गया है। साथ ही, राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त विकास निगम के लिए किसी भी राशि का आवंटन न होना, इसे प्रभावी रूप से अस्तित्वहीन बनाता है।

4. 2023 के एनसीआरबी (NCRB) के आंकड़े एससी और एसटी के खिलाफ बढ़ते अपराधों को दर्शाते हैं, फिर भी नागरिक अधिकार संरक्षण (PCR) अधिनियम और अत्याचार निवारण (PoA) अधिनियम दोनों के कार्यान्वयन के लिए कुल केवल ₹550 करोड़ आवंटित किए गए हैं।

5. कुल ₹550 करोड़ में से, लगभग ₹550 करोड़ विशेष रूप से महिलाओं के खिलाफ हिंसा को संबोधित करने के लिए आवंटित किए गए हैं।

6. प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G) के बजट में ₹11,911 करोड़ से ₹13,644 करोड़ तक की महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है, जो एक सराहनीय कदम है क्योंकि यह एक लक्षित योजना है। इस प्रणाली के घटकों में एससी समुदायों के लिए आय सृजन और कौशल विकास कार्यक्रम शामिल हैं।

7. जल जीवन मिशन का बजट पिछले वर्ष के ₹8,800 करोड़ से लगभग दोगुना होकर ₹14,887.40 करोड़ हो गया है। फिर भी, यह पहल एक लक्षित योजना नहीं है और यह स्पष्ट नहीं करती कि यह एससी और एसटी समुदायों को कैसे प्रभावित करेगी।

8. डीएनटी/एनटी/एसएनटी (DNT/NT/SNT) समुदायों के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए केवल एक योजना है जिसके लिए ₹30.30 करोड़ का आवंटन किया गया है। पीवीटीजी (PVTG) समूहों के लिए कोई अन्य विशिष्ट प्रावधान नहीं हैं, जिन्हें हाशिए पर रहने वाले समुदायों के बीच अतिरिक्त विकास की आवश्यकता है।

9. वित्त मंत्री ने घोषणा की थी कि प्रत्येक जिले में एक बालिका छात्रावास बनाया जाएगा, जो एससी और एसटी दोनों लड़कियों के लिए खुला था, लेकिन अब इसे बंद कर दिया गया है; यह एक अत्यंत चिंताजनक उदाहरण है क्योंकि युवा छात्राओं को शिक्षा के लिए सुरक्षित और संरक्षित वातावरण की आवश्यकता होती है।

10. एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों (EMRS) के लिए ₹7,200 करोड़ का आवंटन जारी है, जिसमें से लगभग ₹2,160 करोड़ विशेष रूप से युवा महिलाओं के लिए निर्धारित हैं। आदिवासी समुदाय के युवाओं के लिए शिक्षा तक पहुँच सुनिश्चित करने हेतु यह एक बहुत अच्छी योजना है।

औसत की तुलना में एससी और एसटी आबादी को कम साक्षरता दर, आर्थिक पिछड़ेपन, तथा गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं और बुनियादी ढांचे तक सीमित पहुंच जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।

केंद्रीय बजट 2026 से पूर्व, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 6.8-7.2% की वास्तविक जीडीपी वृद्धि का अनुमान व्यक्त किया है। बजट सत्र का आरंभ 28 जनवरी 2026 को हुआ और 1 फरवरी 2026[3] को बजट भाषण प्रस्तुत किया गया। बजट 2026 के लिए सबसे प्रभावी रणनीति यह है कि वंचित समुदायों के लक्ष्यों को केवल 'अलग-थलग कल्याणकारी मांगों' के रूप में न देखा जाए, बल्कि उन्हें विकास, उत्पादकता और रोजगार के मुख्य ढांचे में समाहित किया जाए। यह दृष्टिकोण व्यवस्थागत अन्यायों को दूर करने के साथ-साथ मौजूदा राजनीतिक और वित्तीय परिदृश्य के भी अनुकूल है

दलित आदिवासी बजट विश्लेषण अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) के लिए किए गए बजटीय आवंटन का चार स्तरों पर परीक्षण करता है। इसके अंतर्गत यह मूल्यांकन किया जाता है कि क्या ये आवंटन नीति आयोग के दिशानिर्देशों के अनुरूप हैं; 41 मंत्रालयों द्वारा किए गए आवंटन की गुणवत्ता और उनके विकासात्मक प्रभाव का स्तर क्या है; क्या योजनाएं सामुदायिक कल्याण के लिए वास्तव में प्रासंगिक हैं या वे महज 'नाममात्र के आवंटन' तक सीमित हैं; और क्या ये एससी और एसटी आबादी की जरूरतों के लिए पर्याप्त हैं। विश्लेषण के निष्कर्ष में शिक्षा, भूमि व कृषि, स्वास्थ्य तथा रोजगार जैसे क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण सिफारिशें दी गई हैं, जो योजनाओं की पर्याप्तता, प्रासंगिकता और निगरानी तंत्र को सुदृढ़ करने पर जोर देती हैं। इन सुझावों का मुख्य उद्देश्य 41 मंत्रालयों और विभागों के माध्यम से एससी और एसटी आबादी के कल्याण हेतु नियोजन को और अधिक प्रभावी बनाना है।

वित्त वर्ष 2026-27 में, अनुसूचित जाति (SC) समुदायों के लिए निर्धारित बजट बढ़कर ₹1,96,400.37 करोड़ हो गया, जो कुल केंद्रीय और केंद्र प्रायोजित योजनाओं (CS+CSS) का 11.8% है और पिछले वर्ष की तुलना में इसमें 16.6% की वृद्धि हुई है। इसी प्रकार, अनुसूचित जनजाति (ST) के बजट में 9.2% की बढ़ोतरी हुई और यह ₹1,41,089 करोड़ तक पहुँच गया, जो कुल आवंटन का 8.5% है। बजट में इस सांकेतिक वृद्धि के बावजूद, विश्लेषण यह दर्शाता है कि इस वित्तीय आवंटन का सामुदायिक विकास से कोई सीधा संबंध नहीं है, क्योंकि इसके साथ कोई नई योजना या नीति लागू नहीं की गई है और धनराशि का एक बड़ा हिस्सा इन समुदायों के विशिष्ट विकास लक्ष्यों के बजाय सामान्य या गैर-लक्षित योजनाओं में आवंटित किया गया है। योजनाओं का गहन विश्लेषण गंभीर संरचनात्मक चुनौतियों को उजागर करता है; क्योंकि एससी बजट की 259 में से केवल 33 और एसटी बजट की 294 में से केवल 47 योजनाएं ही वास्तविक रूप से लक्षित हैं, जिसके परिणामस्वरूप चालू वित्त वर्ष में एससी के लिए ₹1,64,530.44 करोड़ और एसटी के लिए ₹77,168.32 करोड़ का विशाल वित्तीय अंतर उत्पन्न हो गया है। इसके अतिरिक्त, 'राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त और विकास निगम', 'राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना' और उच्च शिक्षा की विभिन्न छात्रवृत्तियों (SHREYAS) जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम गंभीर वित्तीय अभाव से जूझ रहे हैं; साथ ही, पीएमएवाई-शहरी 2.0 (PMAY-Urban 2.0) और मुफ्त कोचिंग जैसी अत्यधिक प्रभावी और लक्षित पहलों में यह अपर्याप्त आवंटन इन समुदायों की प्रगति के लिए एक गंभीर चिंता का विषय है।

आवंटन बनाम उपयोग: बजट की विश्वसनीयता

बजट विश्वसनीयता, अनुमोदित बजट (BE) और वास्तविक व्यय (AE) के बीच के अंतर को मापती है; जहाँ 10% से अधिक का महत्वपूर्ण अंतर वित्तीय अनुशासन में लगातार बनी चुनौतियों का संकेत देता है। भारत में इस वित्तीय अनुशासन को बढ़ाने के लिए, सरकार ने ट्रेजरी सिंगल अकाउंट (TSA), सिंगल नोडल एजेंसी (SNA), और सेंट्रल नोडल एजेंसी (CNA) जैसे प्रमुख ढांचे अपनाए हैं, जिन्हें सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (PFMS) के साथ एकीकृत किया गया है। वर्ष 2025 के अंत तक, 'SNA स्पर्श' (SNA SPARSH) [4]को पीएफएमएस, राज्य IFMIS और आरबीआई के ई-कुबेर से जोड़ दिया गया, जिससे 'जस्ट-इन-टाइम' (JIT) 'पुल' तंत्र (pull mechanism) की ओर बदलाव हुआ जो योजनाओं की विश्वसनीयता को बढ़ाता है। ये सुधार पीएफएमएस के माध्यम से वास्तविक समय की निगरानी को सक्षम करते हैं, धनराशि के दुरुपयोग को रोकने के लिए वेंडर और लाभार्थी पंजीकरण अनिवार्य करते हैं, खातों में पड़े निष्क्रिय धन को समाप्त करने के लिए 'शून्य-शेष खातों' को लागू करते हैं, और स्वतंत्र कैग (CAG) ऑडिट तथा वित्तीय रिपोर्टिंग को पूरक बनाते हैं, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि धनराशि लक्षित लाभार्थियों तक पहुंचे। 'राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (FRBM) अधिनियम, 2003' भारत में बजट विश्वसनीयता की आधारशिला है, जो केंद्र सरकार को वित्तीय अनुशासन के लक्ष्यों और समष्टि-आर्थिक (macroeconomic) स्थिरता के लिए कानूनी रूप से बाध्य करता है। यह संसद में तीन प्रमुख विवरण प्रस्तुत करना अनिवार्य बनाता है— समष्टि-आर्थिक रूपरेखा विवरण, मध्यम-अवधि राजकोषीय नीति विवरण, और राजकोषीय नीति रणनीति विवरण —जो जीडीपी के प्रतिशत के रूप में राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटा, कर राजस्व और कुल देनदारियों जैसे संकेतकों का पूर्वानुमान लगाते हैं। इसके अतिरिक्त, TSA और PFMS जैसे आधुनिक उपकरणों के साथ एकीकरण, जिसमें SNA स्पर्श का राज्य IFMIS और आरबीआई के ई-कुबेर से जुड़ाव शामिल है, ने 'जस्ट-इन-टाइम' पुल तंत्र का विस्तार किया है; जिसे पायलट प्रोजेक्ट से आगे बढ़ाकर 2025 के अंत तक 23 राज्यों में 32 प्रमुख केंद्र प्रायोजित योजनाओं (CSS) तक लागू कर दिया गया है। इन 32 योजनाओं में पीएम-अजय (PM-AJAY), पीएम यशस्वी (PM YASASVI), सामाजिक न्याय मंत्रालय के तहत 'अटल वयो अभ्युदय योजना' (AVYAY), जनजातीय कार्य मंत्रालय की 'पीएम वनबंधु कल्याण योजना', तथा पीएमएवाई-शहरी 2.0 (PMAY-Urban 2.0), मनरेगा (प्रशासन और कार्यक्रम), एनआरएलएम (NRLM) और जल जीवन मिशन (JJM) जैसी महत्वपूर्ण योजनाएं शामिल हैं; साथ ही, वर्ष के अंत तक सभी केंद्र प्रायोजित योजनाओं को इसमें शामिल करने की योजना है। SNA स्पर्श बजट बनाम वास्तविक व्यय के वास्तविक समय के आंकड़ों के माध्यम से 90% से

3 https://www.niti.gov.in/sites/default/files/2019-12/NITI_Aayog_Guideliens_for_SCSP_TSP_2017.pdf

4 Circular: https://doe.gov.in/files/circulars_document/OM_dated_13_07_2023_Just_in_Time_release_of_CSS_funds_through_e_kuber_platform_of_RBI.pdf

Budget Speech 2024-25, Buoyed by the success of the pilot project, our government, in partnership with the states, will facilitate the implementation of the Digital Public Infrastructure (DPI) in agriculture for coverage of farmers and their lands in 3 years. A new 'factor of production' in the 21st century, is instrumental in formalization of the economy.

2025 Economic Reforms, Building a Future-Ready India. (Posted On: 30 DEC 2025 1:11PM) https://www.pib.gov.in/PressNoteDetails.aspx?id=156784&NoteId=156784&ModuleId=3&reg=3&lang=1

तालिका 2A: अनुसूचित जाति बजट: वित्त वर्ष 2026-27 में देय, आवंटित और लक्षित राशि

Financial Year	FY 2026-27 (BE)
Total CS+CSS (Rs.Cr.)	1,667,947
Due Allocations (Rs.Cr.) (*)	239,608
% Due Share (1.) As per NITI Ayog guideline	**14.37%**
Allocation earmaked for SCs (Rs.Cr.)	196,400
% Allocation to SCs to Total CS+CSS	**11.8%**
Total Targeted Schemes - SCs (Rs.Cr.)	75,077
% Targeted Scheme to SCs to Total CS+CSS	**4.5%**

"*FY 2026-27: The Due amount has been calculated by the new guidelines issued by NITI Aayog on Dated 1 April 2018 available in eUthan Portal, MSJE, GoI. This Guideline gives Ministry wise allocation for SCs and has named it as DAPSC(Development Action Plan For Schedule Caste) vide. As per the Guidelines each obligatory Ministry/Department is given a set proportion of the CS+CSS to be earmarked as the Budget for SC and ST schemes.
1. As per the NITI Aayog guideline on DAPSC & DAPST the total Due allocation comes 14.37% in stead of 16.6% which is prescribed by earstwhile Narendra Jadav Committee."
Source: Union Budget Expenditure Profile FY2026-27

तालिका 2B: अनुसूचित जाति बजट: वित्त वर्ष 2026-27 में देय, आवंटित और लक्षित राशि

Financial Year	FY 2026-27 (BE)
Total CS+CSS (Rs.Cr.)	1,668,261
Due Allocations (Rs.Cr.)(*)	139,261
% Due Share (1.) As per NITI Ayog guideline	**8.3%**
Allocation earmaked for STs (Rs.Cr.)	1,41,089
% Allocation to STs to Total CS+CSS	**8.5%**
Total Targeted Schemes - STs (Rs.Cr.)	62,093
% Targeted Scheme to STs to Total CS+CSS	**3.7%**

"*FY 2026-27: The Due amount has been calculated according to the new guidelines issued by NITI Aayog on Dated 1 April 2018 available in eUthan Portal, MSJE, GoI. This guideline gives ministry-wise allocation for STs and has named it DAPST(Development Action Plan For Schedule Tribes) vide. As per the Guidelines each obligatory Ministry/Department is given a set proportion of the CS+CSS to be earmarked as the Budget for SC and ST schemes.
1. As per the NITI Aayog guideline on DAPSC & DAPST the total Due allocation comes 8.16% instead of 8.6% which is prescribed by earstwhile SCP & TSP Policy."
Source: Union Budget Expenditure Profile FY2026-27

तालिका 2c: अनुसूचित जाति बजट: देय, आवंटित और लक्षित राशि के पिछले 5-वर्षों के रुझान

Financial Year	Total CS+CSS (Rs.Cr.)	Due Allocations (Rs.Cr.) (*)	% Due Share (1.) As per NITI Ayog guideline	Allocation earmaked for SCs (Rs.Cr.)	% Allocation to SCs to Total CS+CSS	Total Targeted Schemes - SCs (Rs.Cr.)	% Targeted Scheme to SCs to Total CS+CSS
2022-23 (BE)	1,230,836	182,976	14.91%	142,342	11.6%	53,795	4.4%
2023-24 (BE)	1,419,910	203,991	14.37%	159,126	11.2%	30,475	2.1%
2024-25 (BE)	1,464,479	214,109	14.60%	165,493	11.3%	46,192	3.2%
2025-26 (BE)	1,575,988	230,132	14.60%	168,478	10.7%	62,150	3.9%
2026-27 (BE)	1,667,947	239,608	14.37%	196,400	11.8%	75,077	4.5%
Total	**7,359,160**	**1,070,816**	**14.55%**	**831,840**	**11.30%**	**267,689**	**3.6%**

"*FY 2026-27: The Due amount has been calculated by the new guidelines issued by NITI Aayog on Dated 1 April 2018 available in eUthan Portal,MSJE, GoI. This Guideline gives Ministry wise allocation for SCs and has named it as DAPSC(Development Action Plan For Schedule Caste) vide. As per the Guidelines each obligatory Ministry/Department is given a set proportion of the CS+CSS to be earmarked as the Budget for SC and ST schemes.
1. As per the NITI Aayog guideline on DAPSC & DAPST the total Due allocation comes 14.37% instead of 16.6% which is prescribed by earstwhile SCP & TSP Policy."
Source: Union Budget Expenditure Profile FY2022-23 to FY2026-27

तालिका 2d: अनुसूचित जनजाति बजट: देय, आवंटित और लक्षित राशि के पिछले 5-वर्षों के रुझान

Financial Year	Total CS+CSS (Rs.Cr.)	Due Allocations (Rs.Cr.) (*)	% Due Share (1.) As per NITI Ayog guideline	Allocation earmaked for STs (Rs.Cr.)	% Allocation to STs to Total CS+CSS	Total Targeted Schemes - STs (Rs.Cr.)	% Targeted Scheme to STs to Total CS+CSS
2022-23 (BE)	1,226,282	98,664	8.17%	89,265	7.3%	43,586	3.6%
2023-24 (BE)	1,418,244	115,672	8.16%	119,510	8.4%	24,384	1.7%
2024-25 (BE)	1,463,079	122,400	8.37%	124,909	8.5%	41,730	2.9%
2025-26 (BE)	1,575,920	132,501	8.41%	129,250	8.2%	51,492	3.3%
2026-27 (BE)	1,668,261	139,261	8.35%	141,089	8.5%	62,093	3.7%
Total	**7,351,785**	**608,498**	**8.28%**	**604,022**	**8.22%**	**223,284**	**3.0%**

"*FY 2026-27: The Due amount has been calculated by the new guidelines issued by NITI Aayog on Dated 1 April 2018 available in eUthan Portal,MSJE, GoI. This Guideline gives Ministry wise allocation for STs and has named it as DAPST(Development Action Plan For Schedule Tribes) vide. As per the Guidelines each obligatory Ministry/Department is given a set proportion of the CS+CSS to be earmarked as the Budget for SC and ST schemes.
1. As per the NITI Aayog guideline on DAPSC & DAPST the total Due allocation comes 8.2% instead of 8.6% which is prescribed by earstwhile SCP & TSP Policy."
Source: Union Budget Expenditure Profile FY2022-23 to FY2026-27

अधिक उपयोग दर को सत्यापित करके बजट विश्वसनीयता को बढ़ाता है। यह भुगतान के समय ही केंद्र और राज्य के हिस्सों को एकीकृत करता है, जिससे विभाजन और ऑडिट की प्रक्रिया सरल हो जाती है। इसका मूल उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि भारत की संचित निधि और राज्य की संचित निधियों से धनराशि केवल वास्तविक व्यय की मांग होने पर ही जारी हो, जिससे एजेंसी के खातों में पड़े रहने वाले 'निष्क्रिय धन' को समाप्त किया जा सके। आरबीआई के माध्यम से वास्तविक समय हस्तांतरण द्वारा केंद्र और राज्य दोनों के हिस्से एक साथ आपूर्तिकर्ताओं (vendors) और लाभार्थियों को जमा किए जाते हैं, जिसमें निर्बाध प्रवाह के लिए भुगतान से ठीक पहले राज्य द्वारा पूर्व-वित्तपोषण (pre-funding) की व्यवस्था होती है।

अनुसूचित जाति विकासात्मक कार्ययोजना (DAPSC) और अनुसूचित जनजाति विकासात्मक कार्ययोजना (DAPST) के अंतर्गत बजट विश्वसनीयता लगातार 'आवंटन के न्यून उपयोग' (underutilization) की चिंताओं को उजागर करती है, जो कई वित्तीय वर्षों में 90% के आदर्श स्तर से नीचे रही है। एससी (SC) बजट में, आवंटन का उपयोग वित्त वर्ष 2019-20 में गिरकर 80% (₹81,341 करोड़ के अनुमोदित बजट में से ₹65,197 करोड़ का उपयोग) रह गया; वित्त वर्ष 2020-21 में यह मामूली वृद्धि के साथ 86% (₹83,257 करोड़ में से ₹71,811 करोड़) हुआ, लेकिन वित्त वर्ष 2023-24 में 84% (₹1,59,126 करोड़ में से ₹1,33,658 करोड़) पर स्थिर रहा, जो लगातार हो रहे न्यून उपयोग का संकेत है। इसी प्रकार, एसटी (ST) बजट में वित्त वर्ष 2019-20 में 89% उपयोग (₹52,885 करोड़ में से ₹46,911 करोड़) और वित्त वर्ष 2023-24 में 88% उपयोग (₹1,19,510 करोड़ में से ₹1,05,177 करोड़) दर्ज किया गया, जो दोनों ही आदर्श स्तर से नीचे हैं। यह दीर्घकालिक 'न्यून उपयोग' डीएपीएससी और एसटी बजट दोनों में गंभीर व्यवस्थागत क्रियान्वयन खामियों (systemic implementation gaps) का संकेत देता है। ये विचलन वित्तीय अनुशासन और निष्पादन क्षमता में बड़ी चुनौतियों को दर्शाते हैं, जो बजट की विश्वसनीयता को कमजोर करते हैं और एससी/एसटी समुदायों तक महत्वपूर्ण कल्याणकारी सेवाओं के वितरण में देरी का कारण बनते हैं। अतः, बजट विश्वसनीयता के इन गंभीर मुद्दों के समाधान के लिए, 'ई-उत्थान' (eUtthan) जैसे नियमित रूप से अपडेट होने वाले मजबूत 'वास्तविक समय निगरानी पोर्टल', बेहतर अंतर-मंत्रालयी समन्वय और जवाबदेही तंत्र को लागू करने का आग्रह किया जाता है।

आजीविका:

वर्ष 2025 में आजीविका योजनाओं के संदर्भ में सरकार द्वारा कुछ अप्रत्याशित कदम उठाए गए, जिन्हें सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार की आलोचनात्मक प्रतिक्रियाएँ मिलीं। इस वर्ष, सरकार ने ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत 'विकसित भारत- रोज़गार और आजीविका मिशन गारंटी (ग्रामीण) विधेयक, 2025' (VB-GRAM G Act 2025) पेश किया। यह नया विधेयक प्रत्येक ग्रामीण परिवार के लिए गारंटीकृत रोज़गार को पिछले 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन करने का वादा करता है।

VB-G RAM G योजना का वित्तपोषण केंद्र और राज्य सरकारों दोनों द्वारा किया जाएगा, जबकि मनरेगा (MGNREGA) एक पूर्णतः केंद्र प्रायोजित योजना (CSS) थी। इससे राज्य सरकारों पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ेगा और कुछ राज्य सरकारों ने पहले ही इस संबंध में बाध्यकारी टिप्पणियाँ साझा की हैं।

तालिका 3: वित्त वर्ष 2020-21 से 2024-25 तक केंद्रीय बजट में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से जुड़ी योजनाओं के लिए आवंटित की गई राशि का उपयोग (करोड़ रुपये)

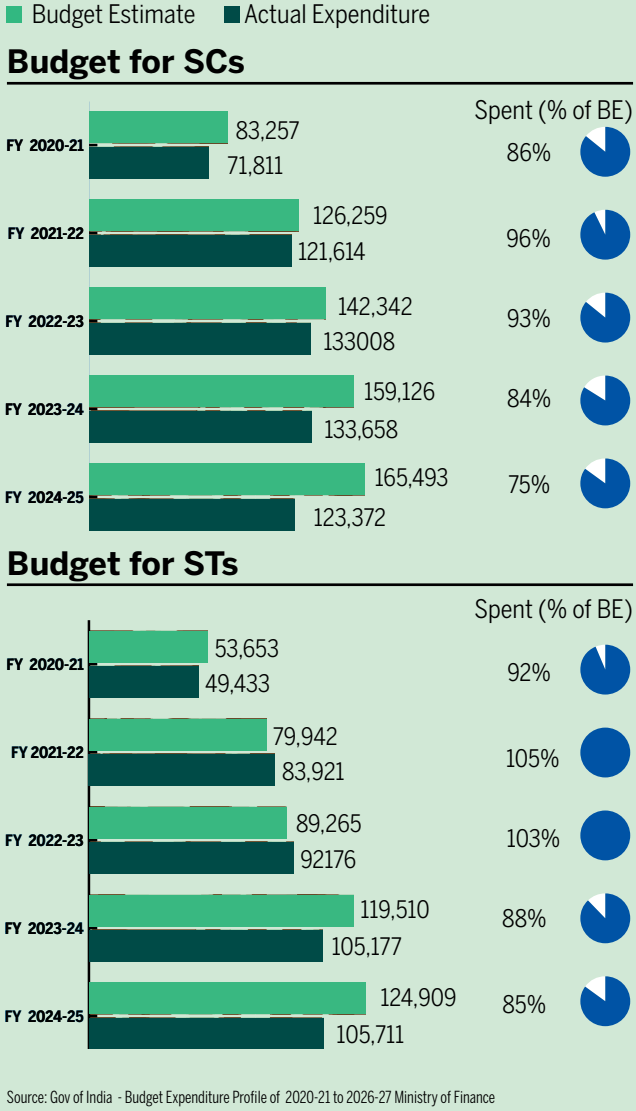

Source: Gov of India - Budget Expenditure Profile of 2020-21 to 2026-27 Ministry of Finance

वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए VB-G RAM G के तहत 95692.31 करोड़ रुपये का आवंटन केंद्र के हिस्से के रूप में किया गया है, जिसे राज्य के हिस्से द्वारा पूरा किया जाना है। इस योजना के लिए, AWSC से 10301.17 करोड़ रुपये और AWST से 9013.53 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। पिछले वित्तीय वर्ष 2025-26 में, मनरेगा (MGNREGA) के लिए आवंटन 86,000 करोड़ रुपये था, जिसमें AWSC और AWST का महत्वपूर्ण योगदान था।, जिसमें AWSC और AWST का महत्वपूर्ण योगदान शामिल था। देश में आजीविका से जुड़ी प्रमुख योजनाओं का संचालन ग्रामीण विकास मंत्रालय, कौशल विकास मंत्रालय और शहरी कार्य मंत्रालय सहित चार प्रमुख मंत्रालयों द्वारा किया जाता है। वर्ष 2026–27 में एक अन्य प्रमुख आजीविका योजना दीनदयाल अंत्योदय योजना–राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (DAY–NRLM) के तहत AWSC से ₹4,800 करोड़ और AWST से ₹3,360 करोड़ का आवंटन किया गया है, जिसमें पिछले वित्त वर्ष की तुलना में बहुत कम वृद्धि हुई है। एक अन्य

महत्वपूर्ण योजना प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना (PM-AJAY) के लिए कुल ₹2,140 करोड़ का आवंटन किया गया है, जो पिछले वित्त वर्ष में ₹2,040 करोड़ था। इससे यह स्पष्ट होता है कि पिछले वित्त वर्ष की तुलना में ₹100 करोड़ की मामूली वृद्धि हुई है। इसी प्रकार, जनजातीय कार्य मंत्रालय के अंतर्गत धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (AWST) के लिए वित्त वर्ष 2026–27 में ₹2,013.46 करोड़ का आवंटन किया गया है, लेकिन आजीविका के अवसरों के लिए कोई स्पष्ट और विशिष्ट प्रावधान नहीं किया गया है। इससे आदिवासियों के आजीविका विकास के लिए सटीक आवंटन की पहचान करना चुनौतीपूर्ण हो गया है।

शहरी आजीविका से जुड़ी योजना PM-SVANidhi को शहरी विकास और वृद्धि के साथ वित्तीय स्वतंत्रता, सशक्तिकरण और समावेशन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। आश्चर्यजनक रूप से, पिछले वित्त वर्ष से इस योजना के तहत AWSC से कोई भी आवंटन नहीं किया गया है, जिससे इस योजना में दलित समुदाय के बहिष्करण को लेकर गंभीर सवाल खड़े होते हैं। स्किल इंडिया योजनाओं के लिए इस वित्त वर्ष 2026–27 में AWSC से ₹464.8 करोड़ और AWST से ₹275.87 करोड़ का आवंटन किया गया है। इसका अर्थ है कि पिछले वर्ष की तुलना में AWSC के तहत ₹79.6 करोड़ और AWST के तहत ₹46.67 करोड़ की कटौती की गई है। इसी प्रकार, 'नमस्ते' (NAMASTE) योजना के लिए वित्त वर्ष 2026-27 में ₹110 करोड़ आवंटित किए गए हैं, जबकि पिछले वित्त वर्ष में यह राशि ₹130 करोड़ थी।

सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों की जानकारी को विभिन्न माध्यमों से व्यापक रूप से प्रसारित करने की एक मज़बूत माँग और आवश्यकता है। भारत अपनी उल्लेखनीय डिजिटल परिवर्तन की उपलब्धि पर गर्व करता है, जहाँ लगभग सभी वित्तीय लेन-देन और अन्य व्यावसायिक गतिविधियाँ लगभग पूरी तरह स्वचालित या डिजिटल हो चुकी हैं। लेकिन, साथ ही, अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) के हजारों हाशिए पर रहने वाले समुदाय इन डिजिटल स्थानों तक पहुंच, संसाधनों और साक्षरता के अभाव के कारण इस भव्य परिवर्तन का हिस्सा नहीं बन पाए हैं। 'किसी को भी पीछे न छोड़ना' (Leaving no one behind) का लक्ष्य अभी भी समाज के केवल विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग तक ही सीमित प्रतीत होता है। यह ध्यान देने योग्य है कि वित्त वर्ष 2025-26 में (अनुदान की मांगों में उल्लेखित), सूचना और प्रचार के लिए ₹1,211 करोड़ आवंटित किए गए थे। इसी प्रकार, इस वित्त वर्ष में डिमांड संख्या 61 के अंतर्गत इस मद में ₹1,476.83 करोड़ का आवंटन किया गया है, जो आवंटन में वृद्धि को स्पष्ट रूप से दर्शाता है। इसके बावजूद, यह चिंताजनक है कि दलितों और आदिवासियों के अधिकारों और पात्रताओं से जुड़ी जानकारी लक्षित और सबसे अधिक हाशिए पर पड़े समुदायों तक नहीं पहुँच पा रही है। हालांकि अधिकांश मंत्रालयों के पास जागरूकता निर्माण के लिए विशेष निधि आवंटित है, परंतु धरातल पर यह पहुँच और पात्रता के बीच के इस बड़े अंतराल को भरने में प्रभावी सिद्ध नहीं हो पा रही है।

वित्त वर्ष 2026-27 के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) के तहत अनुसूचित जाति (AWSC) के लिए ₹11,707.50 करोड़ और अनुसूचित जनजाति (AWST) के लिए ₹5,657.50 करोड़ का आवंटन किया गया है। उल्लेखनीय है कि यह राशि पिछले वित्त वर्ष के आवंटन के बिल्कुल समान है और इसमें कोई वृद्धि नहीं की गई है। इसी प्रकार की स्थिति प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) में भी देखी गई है, जिसके बजट में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है; इस योजना के अंतर्गत इस वित्त वर्ष में अनुसूचित जाति के लिए ₹2,048 करोड़ और अनुसूचित जनजाति के लिए ₹970.04 करोड़ आवंटित किए गए हैं। वहीं, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY) के तहत इस वर्ष अनुसूचित जाति के लिए ₹415.02 करोड़ और अनुसूचित जनजाति के लिए ₹255.02 करोड़ का प्रावधान किया गया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में आवंटन में वृद्धि को दर्शाता है।

यूरोपीय संघ (EU) के साथ हाल ही में हस्ताक्षरित मुक्त व्यापार समझौते (FTA) के बाद आगामी वर्षों में 'ब्लू इकोनॉमी' के तहत मत्स्य पालन क्षेत्र में विकास की अपार संभावनाएं दिख रही हैं। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY), जो सितंबर 2020 में शुरू की गई थी, इस क्षेत्र की सबसे बड़ी योजनाओं में से एक है। इस वित्त वर्ष के लिए इस योजना के तहत AWSC में ₹426.00 करोड़ और AWST में ₹227 करोड़ आवंटित किए गए हैं। 'नीली क्रांति' (Blue Revolution) एक उभरता हुआ उद्योग है और भारत ने इसके लिए उच्च महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किए हैं। भारत की कुल तटीय सीमा 11,098.81 किमी है, और विशेष आर्थिक क्षेत्र (EEZ) लगभग 370 किमी है, जो सक्रिय समुद्री क्षेत्र है। यहाँ यह उल्लेख करना अत्यंत महत्वपूर्ण है कि अनुसूचित जाति (SC) का मछुआरा समुदाय मछली पकड़ने के लिए जल संसाधनों तक पहुँच के मामले में भेदभाव का सामना कर रहा है। मछुआरे के रूप में पहचान, तथा प्राकृतिक आपदाओं के समय बचाव कार्यों के दौरान भेदभाव जैसी समस्याएँ गंभीर चिंता का विषय हैं और इन पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है। इस वित्त वर्ष में, 'विवरण 10A' के तहत मत्स्य पालन विभाग की केवल एक योजना है, जिसमें अनुसूचित जाति के मछुआरा समुदायों के लिए न तो कोई पर्याप्त आवंटन है और न ही कोई प्रत्यक्ष योजना, जबकि तटीय और अंतर्देशीय (inland) दोनों क्षेत्रों में मछली पकड़ने की गतिविधियों में अनुसूचित जाति के लोगों की एक बड़ी संख्या संलग्न है। जब देश फलते-फूलते मत्स्य व्यवसाय और अन्य समुद्री गतिविधियों को लेकर उत्साहित है, तो अनुसूचित जाति के लिए किसी भी लक्षित योजना की शुरुआत न करना केवल इस समुदाय के बढ़ते हाशिएकरण (marginalisation) को दर्शाता है, जिनकी 'मछुआरे' के रूप में पहचान समय के साथ पहले ही समाप्त होती जा रही है।

बेहतर आजीविका के अवसरों के लिए एक राज्य से दूसरे राज्य में पलायन (Interstate migration) दलित और आदिवासी आबादी के लिए कोई नई घटना नहीं है, किंतु अन्य शहरों में कम वेतन वाले और छोटे कार्यों के लिए जाने वाले इन प्रवासियों पर हिंसा की बढ़ती घटनाएं अत्यंत चिंताजनक हैं। अतः, आजीविका के लिए दूर-दराज के क्षेत्रों में जान जोखिम में डालने वाले इन हाशिए के समुदायों के जीवन और सम्मान को सुरक्षित करना समय की अनिवार्य आवश्यकता है। हालांकि सरकार के पास प्रवासी श्रमिकों के लिए कुछ अच्छी योजनाएं मौजूद हैं, जिन्हें अधिक वित्तीय समर्थन, बजटीय वृद्धि और सुदृढ़ निगरानी तंत्र की दरकार है। इस दिशा में 'राष्ट्रीय जनजातीय प्रवासन सहायता पोर्टल' एक सराहनीय पहल है, जो जनजातीय प्रवासियों के हितों की रक्षा करती है। इसी प्रकार, शहरी प्रवासियों के लिए PMAY-U के तहत 'वहनीय किराया आवास परिसर' (ARHCs) एक महत्वपूर्ण उप-योजना है। इस वित्त वर्ष में PMAY-शहरी के तहत AWSC हेतु ₹3,642.51 करोड़ और AWST हेतु ₹958.01 करोड़ आवंटित किए गए हैं, लेकिन विडंबना यह है कि देश का

सबसे बड़ा प्रवासी श्रमबल होने के बावजूद, अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए 'वहनीय किराया आवास परिसरों' हेतु कोई विशिष्ट लक्षित आवंटन नहीं किया गया है।

केयर वर्कर्स (care workers), गिग वर्कर्स (gig workers) और असंगठित क्षेत्र के उन श्रमिकों के लिए आर्थिक न्याय की व्यापक मांग और आवश्यकता है, जो आज भी असुरक्षित और कम वेतन वाली नौकरियों के बोझ तले दबे हुए हैं। कार्यस्थल पर सुरक्षा, न्यूनतम गारंटीकृत वेतन, सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य बीमा और अन्य बुनियादी सम्मानजनक कार्य सुविधाओं के संदर्भ में इन वर्गों की स्थिति अत्यंत दयनीय बनी हुई है। इन श्रमिकों के जीवन स्तर को सुधारने और उन्हें शोषण से बचाने के लिए एक सुदृढ़ सुरक्षा ढांचे की तत्काल आवश्यकता है।

स्वच्छता और अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ता:

भारत में स्वच्छता कार्यबल (sanitation workforce) का एक बड़ा हिस्सा अनुसूचित जाति (SC) से आता है, और इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता कि यह सदियों से चली आ रही जाति-आधारित भेदभाव की व्यवस्था का परिणाम है। यह अत्यंत विडंबनापूर्ण और हृदयविदारक है कि जातिवाद समाप्त होने के बजाय, वर्तमान में और भी प्रबल रूप में अस्तित्व में है। आज भी शैक्षणिक केंद्रों में अनुसूचित जाति समुदाय के बच्चों को शौचालय और स्कूल परिसर की सफाई के लिए मजबूर किया जाता है। उन्हें अन्य समुदायों के बच्चों से अलग रखा जाता है और सोची-समझी जातिवादी कार्रवाइयों के माध्यम से उन्हें परोक्ष रूप से स्कूल छोड़ने के लिए हतोत्साहित किया जाता है।

यदि देश में स्वच्छता कार्यकर्ताओं के लिए योजनाओं और कार्यक्रमों पर गौर किया जाए, तो वर्ष 2023 में 'नमस्ते' (NAMASTE) योजना को पूर्ववर्ती योजना 'हाथ से मैला ढोने वालों के पुनर्वास की योजना' (SRMS) के स्थान पर पेश किया गया था। NAMASTE योजना की शुरुआत ने मानवाधिकार उल्लंघन के मूल मुद्दे को पूरी तरह नकार दिया है और उसे कमजोर कर दिया है, तथा अब स्वच्छता कार्य को केवल मशीनीकरण की समस्या के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। वित्त वर्ष 2026–27 के लिए NAMASTE योजना के अंतर्गत ₹110 करोड़ का आवंटन किया गया है, जबकि पिछले वित्त वर्ष में यह ₹130 करोड़ था। यह भी विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि 20 अक्टूबर, 2023 को 'डॉ. बलराम सिंह बनाम भारत संघ' मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया था। इसमें हाथ से मैला ढोने वाले व्यक्तियों की पहचान के लिए 20 अक्टूबर, 2024 तक देशव्यापी सर्वेक्षण पूरा करने का आदेश दिया गया था, लेकिन यह अभी तक अधूरा है। यह न केवल सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति और अधिकारिता पर गंभीर प्रश्नचिह्न लगाता है, बल्कि स्वच्छता कार्य, विशेषकर हाथ से मैला ढोने की प्रथा में लगे लोगों को न्याय दिलाने के प्रति राज्य की मंशा के खोखलेपन और न्याय से वंचित रखने की प्रवृत्ति को भी उजागर करता है।

कचरा बीनने, कचरे को अलग करने और ठेला खींचने जैसे कार्यों में लगी सैकड़ों महिलाओं ने श्वसन संबंधी समस्याओं, प्रजनन स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव, आंतरिक अंगों को नुकसान, त्वचा रोगों सहित अन्य स्वास्थ्य समस्याओं की रिपोर्ट की है। इसके बावजूद, कई महिलाएँ अभी भी आयुष्मान भारत योजना के लाभ प्राप्त करने के लिए संघर्ष कर रही हैं, क्योंकि निर्धारित अस्पताल दूर स्थित हैं और वहाँ सेवाओं की उपलब्धता भी सीमित है। इसके कारण अनेक महिलाएँ कर्ज़ के दुष्चक्र में फँस गई हैं और इस बोझ तले दबती चली गई हैं।

वित्त वर्ष 2026-27 के लिए स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के तहत ₹1,354.9 करोड़ का आवंटन किया गया है, जो पिछले वित्त वर्ष के समान ही है; अर्थात बजट में कोई वृद्धि नहीं की गई है। साथ ही, शहरों के बाहरी इलाकों और झुग्गी-बस्तियों में रहने वाली शहरी अनुसूचित जाति (SC) आबादी के लिए SBM-शहरी के तहत AWSC का विशेष आवंटन होना चाहिए था, क्योंकि यह वर्ग निरंतर सुरक्षित पेयजल और स्वच्छता की चुनौतियों का सामना कर रहा है। यह भी ध्यान देने योग्य है कि 'नमस्ते' (NAMASTE) योजना के एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में मानी जाने वाली 'स्वच्छता उद्यमी योजना' (SUY) के लिए वित्त वर्ष 2026-27 हेतु कोई विशेष या विशिष्ट निधि निर्धारित नहीं की गई है। इससे जनता के बीच योजना के वास्तविक प्रावधानों को समझने और उसका लाभ उठाने को लेकर भ्रम की स्थिति पैदा होती है। इसके अतिरिक्त, 'राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त विकास निगम' के लिए इस वित्त वर्ष में मात्र ₹0.01 करोड़ (एक सांकेतिक राशि) आवंटित की गई है, और पिछले वर्ष भी यही स्थिति थी।

यह गौर करना दिलचस्प है कि अधिकांश ऋण योजनाएं स्वच्छता से संबंधित वाहनों या उपकरणों की खरीद के लिए ही हैं, और किसी न किसी तरह इनमें से अधिकतर योजनाएं स्वच्छता कार्य के इर्द-गिर्द ही घूमती हैं। अब इस दृष्टिकोण को बदलने और ऐसे कार्यक्रमों को शुरू करने की आवश्यकता है जो स्वच्छता कार्य से भिन्न हों, ताकि उन्हें जानबूझकर स्वच्छता कार्य की परिधि (periphery) में धकेलने वाली इस व्यवस्थित व्यवस्था को तोड़ा जा सके। इसके साथ ही, NSKFDC और DSFDC जैसी नोडल एजेंसियों द्वारा उन लंबित आवेदनों पर तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता है जो 'कंपोजिट स्कीम' और अन्य ऋण योजनाओं के लिए आए हैं। इसके अलावा, आवेदकों की पात्रता मानदंडों (eligibility criteria), नियमों और शर्तों पर सावधानीपूर्वक विचार और पुनर्विचार करने की मांग है, ताकि उन्हें इस तरह से तैयार किया जा सके कि वास्तव में सहायता की आवश्यकता रखने वाले कई पात्र लोग इन योजनाओं का लाभ उठाने के लिए आवेदन कर सकें।

सार्वजनिक स्वास्थ्य:

भारत की स्वास्थ्य प्रणाली गहरी असमानताओं से ग्रस्त है, जो हाशिए पर मौजूद समुदायों, विशेषकर अनुसूचित जातियों (SC) को असमान रूप से प्रभावित करती है। सामाजिक-आर्थिक और जाति-आधारित भेदभाव चिकित्सा सेवाओं तक पहुँच को सीमित करता है। भारत में अनुसूचित जातियों के लिए किफायती स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच एक गंभीर समस्या बनी हुई है, जिससे स्वास्थ्य असमानताएँ और बढ़ती हैं। इलाज की ऊँची लागत के कारण उपचार में देरी होती है या लोग चिकित्सा सेवाओं से बचते हैं, और यह स्थिति गरीबी तथा भेदभाव के कारण और अधिक गंभीर हो जाती है। अपर्याप्त रूप से वित्तपोषित सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणालियाँ इन हाशिए पर मौजूद समुदायों की प्रभावी ढंग से सेवा करने में असफल रहती हैं। ऊँची स्वास्थ्य लागत, गरीबी और भेदभाव मिलकर भारत में SC समुदाय की किफायती स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच को गंभीर रूप से सीमित करते हैं। कमजोर सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणालियाँ उनकी आवश्यकताओं की और उपेक्षा करती हैं, जिससे खराब स्वास्थ्य का एक चक्र बनता है और स्वास्थ्य असमानताएँ और गहरी होती जाती हैं। भारत में

SC समुदाय के लिए स्वास्थ्य असमानताओं को कम करने के लिए अधिकार-आधारित दृष्टिकोण की आवश्यकता है, जिससे आवश्यक सेवाओं तक पहुँच में सुधार हो सके। नीतियों के अंतर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों के लिए वित्तपोषण, सांस्कृतिक रूप से उपयुक्त स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता और स्वास्थ्यकर्मियों को पक्षपात रोकने के लिए प्रशिक्षण शामिल होना चाहिए। ये कदम विकसित भारत 2047 के उस दृष्टिकोण का समर्थन करते हैं, जिसमें एक ऐसे न्यायपूर्ण[5] समाज की कल्पना की गई है जहाँ सभी नागरिक गरिमा के साथ स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच प्राप्त कर सकें। भारत की स्वास्थ्य प्रणाली में संरचनात्मक भेदभाव SC समुदाय की गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच को सीमित करता है और जाति-आधारित असमानताओं को मजबूत करता है। ऐतिहासिक अन्याय और लिंग तथा जाति का आपसी संबंध SC महिलाओं को और अधिक हाशिए पर धकेलता है, जिससे स्वास्थ्य असमानताएँ[6] और गहरी हो जाती हैं। जाति भारत में स्वास्थ्य परिणामों को गंभीर रूप से प्रभावित करती है, मुख्य रूप से उस भेदभाव के कारण जो गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच को सीमित करता है। वर्ष 2007 के सर्वेक्षण 'ग्रामीण भारत में अस्पृश्यता' से यह सामने आया कि 20 प्रतिशत से अधिक SC गाँवों को निजी स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुँच से वंचित किया गया था और स्वास्थ्यकर्मियों ने लगभग 40 प्रतिशत सर्वेक्षित गाँवों में जाने से परहेज़ किया। जाति, विशेषकर SC समुदाय के लोगों को गहरी गरीबी में फँसाकर और सामाजिक गतिशीलता को सीमित करके खराब स्वास्थ्य परिणामों में योगदान देती है। लगभग हर तीन में से एक SC व्यक्ति बहुआयामी गरीबी में जीवन यापन करता है, जिससे सार्वजनिक अस्पतालों सहित आवश्यक सेवाओं तक उसकी पहुँच सीमित हो जाती है। भारत की 2018 की स्वास्थ्य पहल आयुष्मान भारत–प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB-PMJAY) का उद्देश्य हाशिए पर मौजूद समूहों को मुफ्त स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना था, लेकिन व्यापक भ्रष्टाचार ने इसकी प्रभावशीलता को कमजोर किया है। सार्वजनिक अस्पतालों में भी अनौपचारिक भुगतान की माँग की जाती है, जिसके कारण अत्यंत गरीब SC समुदाय, जिनमें से कई प्रतिदिन तीन डॉलर से कम पर जीवन यापन करते हैं, इलाज का खर्च वहन नहीं कर पाते। भारत की स्वास्थ्य अवसंरचना मुख्य रूप से शहरी क्षेत्रों में केंद्रित है, जहाँ 75 प्रतिशत से अधिक स्वास्थ्य सुविधाएँ स्थित हैं, जबकि लगभग 90 प्रतिशत SC आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्रों में गंभीर स्टाफ की कमी है, जहाँ 80 प्रतिशत से अधिक प्रमुख विशेषज्ञ पद खाली हैं। अत्यधिक आवश्यकता के बावजूद सरकारी स्वास्थ्य व्यय 1.3 प्रतिशत से नीचे चला गया है। कुछ SC डॉक्टरों ने भेदभाव का मुकाबला करने के लिए अपने अस्पताल खोले हैं, लेकिन ये प्रयास व्यापक असमानता को दूर करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं। स्थायी सुधार के लिए ग्रामीण स्वास्थ्य अवसंरचना में अधिक सरकारी निवेश आवश्यक है, ताकि हाशिए पर मौजूद समूहों की पहुँच बेहतर हो सके। अच्छी तरह से सुसज्जित क्लीनिक और सरकार द्वारा वित्तपोषित स्वास्थ्य शिक्षा ग्रामीण समुदायों को रोगों की प्रारंभिक पहचान करने और अपनी स्वास्थ्य आवश्यकताओं[7] के लिए आवाज़ उठाने में सशक्त बना सकती है।इस वित्तीय वर्ष 2026-27 में, आरसीएच (RCH) और स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढ़ीकरण, राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम और राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के लचीले पूल (Flexible Pool) के लिए आवंटन AWSC के तहत ₹6441.34 करोड़ और AWST के तहत ₹2539.71 करोड़ है। पिछले वर्ष की तुलना में यह आवंटन AWSC के तहत ₹6098.43 करोड़ और AWST (ST) के तहत ₹2512.81 करोड़ था। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अंतर्गत आयुष्मान भारत–प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB-PMJAY) देशभर में सार्वभौमिक स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान करने का लक्ष्य रखती है, जिसके लिए इस वित्त वर्ष AWSC के अंतर्गत 1414.20 करोड़ रुपये और AWST के अंतर्गत 1014.50 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था की एक और बड़ी चुनौती दवाओं की अत्यधिक कीमतें और समान संरचना वाली जेनेरिक दवाओं की कमी है। हालांकि यह निराशाजनक है कि वित्त वर्ष 2026–27 में जन औषधि योजना जैसी किफायती दवाओं के लिए आवंटन AWSC के अंतर्गत 2025–26 के 29.34 करोड़ रुपये से घटाकर 16.65 करोड़ रुपये कर दिया गया है और AWST के अंतर्गत पिछले वित्त वर्ष के 15.20 करोड़ रुपये से घटाकर 8.63 करोड़ रुपये कर दिया गया है।

आयुष मंत्रालय के लिए AWSC के अंतर्गत 145.79 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है, जो पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 7.44 करोड़ रुपये की वृद्धि को दर्शाता है, जबकि AWST के अंतर्गत 89.86 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है, जिसमें 17.95 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है। प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण (PM POSHAN) योजना के अंतर्गत, PM POSHAN के समर्थन के साथ, AWSC के अंतर्गत 2552.16 करोड़ रुपये और AWST के अंतर्गत 1375.51 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। यह निराशाजनक है कि इस वित्त वर्ष में तृतीयक स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम के लिए न तो AWSC और न ही AWST के अंतर्गत कोई आवंटन किया गया है।

शिक्षा न्याय:

शिक्षा निर्धनता उन्मूलन और सामाजिक अन्याय का मुकाबला करने का एक सशक्त माध्यम है। चूँकि प्राथमिक शिक्षा सर्वाधिक प्रतिफल प्रदान करती है, अतः विकासात्मक प्रयासों में बुनियादी साक्षरता को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, जिससे मानवीय क्षमताओं का सुदृढ़ीकरण हो सके और समग्र कल्याण[8]में सुधार आए। डॉ. बी. आर. अंबेडकर ने शिक्षा को अनुसूचित जाति के सशक्तिकरण और सामाजिक परिवर्तन की आधारशिला के रूप में प्रतिपादित किया। 'पीपुल्स एजुकेशन सोसाइटी' (1945) के माध्यम से, उन्होंने शिक्षा को राजनीतिक भागीदारी, समानता और उत्पीड़न[9] के विरुद्ध प्रतिरोध के मार्ग के रूप में प्रोत्साहित किया। उन्होंने विशेष रूप से अनुसूचित जाति की बालिकाओं की शिक्षा, समान अवसरों के सृजन, जातिगत बाधाओं के उन्मूलन और अंतर-जातीय विवाहों के समर्थन की वकालत की। उनके संवैधानिक कार्यों ने अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए मौलिक अधिकारों को सुनिश्चित किया। यद्यपि तब से अनेक अनुसूचित जाति की महिलाओं ने सामाजिक और व्यावसायिक रूप से प्रगति की है, तथापि कुछ महिलाओं के समक्ष आर्थिक

5 https://africanjournalofbiomedicalresearch.com/index.php/AJBR/article/view/8049
6 https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4679651
7 https://www.thinkglobalhealth.org/article/caste-out
8 https://repository.bilkent.edu.tr/server/api/core/bitstreams/f93473b8-9340-470a-900f-c14e6c1d4a64/content
9 https://www.epw.in/journal/1996/16-17/special-articles/equity-education-schooling-dalit-children-india.html

तालिका-4: एससी और एसटी योजनाओं की प्रासंगिकता - वित्त वर्ष 2026-27 के केंद्रीय बजट में लक्षित, गैर-लक्षित (सामान्य) और गैर-लक्षित (अप्रासंगिक) योजनाओं के लिए आवंटन (करोड़ रुपये)

NOTE :- The top 50 Schemes account for 90% of the total Schemes under AWSC & AWST. Schemes highlighted under the color Green are Relevant and are targeted Schemes which ensure direct benefit, under the color dark blue color are General which benefit everybody and not necessarily SCs or STs, and under Red are obsolete which has no relevance for the SC/ST communities. dark blue color and Red together form the Non-Targeted schemes.

Relevant schemes | General schemes | Obsolete schemes

Sl No	Name of Schemes	SC	ST	Total
✓	Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana (PMGKAY)	28900.00	17929.00	46829.00
✗	Road Works/Works under Roads Wing	0.00	10150	10150.00
✓	Eklavya Model Residential Schools (EMRS)	0.00	7200	7200.00
!	Jal Jeevan Mission/National Rural Drinking Water Programme -Programme Component	14887.40	6767	21654.40
✓	Pradhan Mantri Awaas Yojana- Gramin (PMAY-G) PMAY-Programme Component	13644.00	11196.01	24840.01
!	Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi (PM-Kisan)	11707.50	5657.50	17365.00
✓	Viksit Bharat-Guarantee for Rozgar and Ajeevika Mission (Gramin)-VB-G RAM G Scheme Expenditure Profile 2026-2027	10301.17	9013.53	19314.70
✗	Urea Subsidy Payment for Indigenous Urea & Import of Urea	10208.92	5288.96	15497.88
!	Samagra Shiksha (SS)	8478.59	5473.26	13951.85
!	Flexible Pool for RCH & Health System Strengthening, National Health Programme and National Urban Health Mission	6441.34	2539.71	8981.05
✓	Post Matric Scholarship for SCs/ STs	6360.00	3176.48	9536.48
!	Saksham Anganwadi and POSHAN 2.0 (Umbrella ICDS-Anganwadi Services, Poshan Abhiyan, Scheme for Adolescent Girls)	5305.65	2231.02	7536.67
✗	Reform LinkedDistribution Scheme	4845.00	2510	7355.00
!	Deendayal Antyodaya Yojana-National Rural Livelihoods Mission (DAY-NRLM) NRLM-Programme Component	4676.77	2498.44	7175.21
✓	Programme for Development of Scheduled Tribes(PM Vanbandhu Kalyan Yojna)Dharti Aaba Janjatiya Gram Utkarsh Abhiyan (DAJGUA) Development of Scheduled Tribes(PM Vanbandhu Kalyan Yojna)	0.00	2013.46	2013.46
✓	Grants under proviso to Article 275(1) of the Constitution	0.00	1542	1542.00
✗	Nutrient Based Subsidy Payment for Indigenous P and K Fertilisers	4482.83	2322.00	6804.83
✓	MGNREGA-Programme Component	4161.85	3706.72	7868.57
✗	Modified Interest Subvention Scheme (MISS)	3993.60	1485.60	5479.20
✓	PMAY-Urban & PMAY-Urban 2.0 Other items of States/UTs Component	3640.01	956.01	4596.02
!	Pradhan Mantri Viksit Bharat Rozgar Yojana	3337.82	1731.55	5069.37
!	Pradhan Mantri Poshan Shakti Nirman (PM POSHAN)	2552.16	1375.51	3927.67
!	Guarantee Emergency Credit Line (GECL) facility to eligible MSME borrowers	2150.00	1050	3200.00
!	Pradhan Mantri Anusuchit Jaati Abhyuday Yojana (PM AJAY)	2140.00	0	2140.00
!	Crop Insurance Scheme Pradhan Mantri Fasal Bima Yojna	2048.00	970.04	3018.04
!	PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana Programme Component	1928.15	1960.15	3888.30
!	Employees Pension Scheme, 1995	1871.00	991	2862.00
✗	Compensation to Service Providers for creation augmentation of telecom infrastructure Compensation to Telecom service provide	1958.80	1014.80	2973.60
✗	Infrastructure Maintenance	1622.70	912.48	2535.18

Sl No	Name of Schemes	SC	ST	Total
⊗	Support to Indian Institutes of Technology/ Grants to Indian Institutes of Technology	1523.87	711.15	2235.02
!	Kendriya Vidyalaya Sangathan (KVS)	1435.20	626.96	2062.16
!	Rashtriya Krishi Vikas Yojna	1421.82	1000.69	2422.51
!	Ayushman Bharat -Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana (PMJAY)	1414.20	1014.5	2428.70
!	SBM-Grameen Programme Component	1354.90	615.9	1970.80
!	Pradhan Mantri Annadata Aay Sanrakshan Yojna (PM-AASHA)	1314.72	681.12	1995.84
!	PM Schools for Rising India (PM SHRI)	1310.77	736.83	2047.60
!	Indira Gandhi NationalOld Age Pension Scheme (IGNOAPS)	1296.29	750.35	2046.64
!	Krishionnati Yojna	1202.05	1519.44	2721.49
!	Support to Central Universities Grants to Central Universities (CUs)	1170.84	571.66	1742.50
!	Pradhan Mantri Skilling and Employability Transformation through Upgraded ITIs (PM SETU)	1019.70	528.1	1547.80
✓	Prime Minister Employment Generation Programme (PMEGP)	932.31	491.15	1423.46
!	Navodaya Vidyalaya Samiti (NVS)	904.87	453.13	1358.00
!	Deendayal Antyodaya Yojana- National Rural Livelihoods Mission (DAY-NRLM) North-east Region Yojana-National Rural Livelihoods Mission (DAY-NRLM)	0.00	861.56	861.56
⊗	Support to National Institutes of Technology (NITs) and IIEST Grants to National Institutes of Technology (NITs) and IIEST	877.98	520.73	1398.71
!	LPG Connection to Poor Households	763.60	395.6	1159.20
!	Pradhan Mantri Ayushman Bharat Health Infrastructure Mission (PMABHIM)	677.92	349.86	1027.78
!	Atal Tinkering Labs (ATL) Scheme	640.00	352.00	992.00
!	University Grants Commission (UGC)	630.53	333.81	964.34
✓	Pre-Matric Scholarship for SCs and Others/ STs	577.96	339.05	917.01
✓	Strengthening of Machinery forEnforcement of Protection of Civil Rights Act, 1995 and Prevention of Atrocities Act, 1989	550.00	0	550.00
	Total Allocation under 50 top schemes from SC & ST Budget	**182663**	**126516**	**309179**
	Total Allocation under SC & ST Budget as per 10A & 10B	**196,400**	**141,089**	**337,489**
	% of 50 Scheme vs Total SC/ST Budget			**91.61**

चुनौतियां अब भी विद्यमान[10] हैं।

वर्ष 2012 में शुरू की गई एससी/एसटी छात्रों हेतु 'प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति' का मूल उद्देश्य एससी/एसटी अभिभावकों को सहायता प्रदान करना था ताकि वे अपने बच्चों को 9वीं और 10वीं कक्षा में भेज सकें और स्कूल छोड़ने की दर (dropout rates) को कम किया जा सके; लेकिन सरकार ने घोषणा की है कि अब यह कक्षा 1 से 8 तक के छात्रों को प्रदान नहीं की जाएगी, क्योंकि वे शिक्षा के अधिकार (RTE)[11] के अंतर्गत आते हैं।

चालू वित्त वर्ष 2026-27 में, एससी और अन्य वर्गों के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति का आवंटन पिछले वित्त वर्ष के समान यानी ₹577.96 करोड़ ही रखा गया है। दूसरी ओर, एसटी के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति को वित्त वर्ष 2025-26 के ₹313.79 करोड़ से बढ़ाकर वित्त वर्ष 2026-27 में ₹339.05 करोड़ कर दिया गया है, जो शिक्षा की दिशा में एक सकारात्मक कदम है। वित्त वर्ष 2022-23 से, प्री और पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं के तहत केंद्र की हिस्सेदारी (Central Share) 'आधार आधारित भुगतान प्रणाली' (APBS) का उपयोग करके सीधे लाभार्थी के खाते में वितरित की जाती है। इस वित्त वर्ष में, पीएम रिसर्च फेलोशिप का आवंटन भी पिछले वर्ष के समान ही है, जो एससी के लिए ₹108.00 करोड़ और एसटी के लिए ₹51.42 करोड़ है।

एआईएसएचई (AISHE) रिपोर्ट 2021-22 के अनुसार, उच्च शिक्षा में अनुसूचित जाति (SC) के छात्रों की नामांकन संख्या 66,22,923 (कुल का 15.3%) है, जिसमें महिलाओं की हिस्सेदारी 47.9% है; वहीं अनुसूचित जनजाति (ST) का नामांकन 27,10,678 (कुल का 6.3%) है, जिसमें 49.7% महिलाएं हैं। हालाँकि, रिपोर्ट में 'सकल नामांकन अनुपात' (GER) यह दर्शाता है कि कुल आंकड़ों की तुलना में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का जीईआर (GER) कम है, जो उच्च शिक्षा तक पहुंच में असमानताओं की ओर संकेत करता है। अनुसूचित जाति (SC) के पुरुषों का जीईआर 25.8 और महिलाओं

10 https://www.jetir.org/papers/JETIR2301654.pdf
11 https://www.thehindu.com/news/national/karnataka/union-government-stops-pre-matric-scholarship-for-sc-st-obc-and-minority-students-of-class-1-to-8-and-explains-why/article66195791.ece

का 26.0 है; जबकि अनुसूचित जनजाति (ST) के पुरुषों का जीईआर 21.4 और महिलाओं का 20.9[12] है।

इस केंद्रीय बजट 2026-27 में, 'अनुसूचित जाति के कल्याण के लिए आवंटन' (AWSC) के तहत अनुसूचित जाति (SC) हेतु पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति (PMS) का आवंटन वर्ष 2025-26 के ₹5900.00 करोड़ से बढ़ाकर ₹6360.00 करोड़ कर दिया गया है तथा 'अनुसूचित जनजाति के कल्याण के लिए आवंटन' (AWST) के तहत अनुसूचित जनजाति (ST) के लिए इसे ₹2462.68 करोड़ से बढ़ाकर ₹3176.48 करोड़ किया गया है, जो सरकार द्वारा उठाया गया एक सकारात्मक कदम है। केंद्रीय विश्वविद्यालयों को अनुदान योजना के तहत AWSC में ₹1170.84 करोड़ और AWST में ₹571.66 करोड़ आवंटित किए गए हैं; साथ ही विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) ने AWSC के तहत ₹630.53 करोड़ और AWST के तहत ₹333.81 करोड़ आवंटित किए हैं; यह आवंटन 'प्रधानमंत्री बालिका छात्रावास' जैसी महत्वपूर्ण योजना की तुलना में काफी विशाल है, जहाँ एससी और एसटी दोनों के लिए शून्य आवंटन है। भारत की जाति व्यवस्था के निचले पायदान पर होने के कारण, एससी समुदाय को उच्च शिक्षा में अपमान और सीमित भागीदारी का सामना करना पड़ता है, जो दोहरे भेदभाव[13] [14] का परिणाम है। 13 जनवरी 2026 को, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) ने कॉलेज परिसरों[15] में जातिगत भेदभाव से निपटने के उद्देश्य से 'उच्च शिक्षण संस्थानों में समानता को बढ़ावा देने संबंधी विनियम 2026' जारी किए, जो 2012 के ढांचे का स्थान लेते हुए भारत के उच्च शिक्षा प्रशासन में एक बड़े बदलाव का प्रतीक हैं। यह न केवल उच्च शिक्षण संस्थानों में जाति-आधारित भेदभाव से निपटने का लक्ष्य रखता है, बल्कि विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के भीतर 'संस्थागत हिंसा' के दीर्घकालिक मुद्दों को भी स्वीकार करता है। हालाँकि, सुप्रीम कोर्ट द्वारा इन विनियमों को स्थगित रखने का निर्णय उच्च शिक्षा में एससी, एसटी और अन्य वंचित छात्रों की सुरक्षा, गरिमा और समान पहुंच के लिए गंभीर चिंताएं पैदा करता है। एससी महिलाएं यौन उत्पीड़न और वर्चस्व का शिकार होती हैं, जिससे स्कूल छोड़ने की दर और आत्महत्याओं [16]में वृद्धि होती है; साथ ही, समावेशी वातावरण में अध्ययन करने की एससी समुदाय की स्वतंत्रता सीमित है, जो उनके क्षमता विकास[17] को बाधित करता है।

भारत के उच्च शिक्षण संस्थानों में अनुसूचित जाति (SC) की शिक्षा [18]के सामाजिक-सांस्कृतिक संदर्भ की उपेक्षा की जाती रही है, जिसके परिणामस्वरूप संवेदनशीलता का अभाव और अनुचित नौकरशाही रवैया[19] [20] देखने को मिलता है। अनुसूचित जाति के छात्रों को शिक्षा के दौरान बुलींग (उत्पीड़न) और अनुचित[21] टिप्पणियों सहित अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इस जाति-आधारित भेदभाव के परिणामस्वरूप खराब शैक्षणिक परिणाम, मनोबल में गिरावट और आत्मविश्वास[22] में कमी जैसी समस्याएं उत्पन्न हुई हैं। उच्च शिक्षण संस्थान जातिगत मानदंडों और अन्यायों को कायम रखते हैं, जिससे अनुसूचित जाति के लोगों का प्रतिनिधित्व और उनका भविष्य[23] प्रभावित होता है। शिक्षा में असमानता का आकलन केवल अनुसूचित जाति की भागीदारी दर या पाठ्यक्रम पूरा करने के आंकड़ों पर नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय और समता के प्रति प्रतिबद्धता के आधार पर किया जाना चाहिए। यह उन प्रमुख 'बाधाओं' (sources of unfreedom) को हटाने की आवश्यकता पर भी प्रकाश डालता है, जो अनुसूचित जाति की आकांक्षाओं और भागीदारी व प्रतिरोध[24] के लिए उठने वाली उनकी आवाज़ों को सीमित करती हैं। उच्च शिक्षा में जातिगत असमानता को दूर करने के लिए, सरकार और नीति निर्माताओं को अपनी मूल्यांकन पद्धतियों में संशोधन करना चाहिए, तथा शिक्षा में समानता (parity) लाने और भेदभावपूर्ण प्रथाओं[25] को समाप्त करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।

वंचित छात्रों को भारत में उच्च शिक्षा प्राप्त करने और उसे पूरा करने में अनेक बाधाओं का सामना करना पड़ता है; आईआईटी (IITs) और आईआईएम (IIMs) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में शिक्षण शुल्क और जीवन-यापन का खर्च शिक्षा को कई आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों के लिए अवहनीय बना देता है। यहाँ तक कि जो छात्र प्रवेश पा भी लेते हैं, वे अक्सर फीस या आवास और यात्रा जैसे संबंधित खर्चों को वहन करने में असमर्थ होने के कारण पढ़ाई छोड़ देते हैं। जाति व्यवस्था का दीर्घकालिक प्रभाव सामाजिक और आर्थिक गतिशीलता को सीमित करता है, और संस्थानों में वर्चस्वशाली जातियों के प्रभुत्व के कारण एससी, एसटी और ओबीसी छात्रों तथा संकाय सदस्यों (faculty) का प्रतिनिधित्व अत्यंत कम बना हुआ है। वंचित पृष्ठभूमि के कई छात्र आर्थिक तंगी, शैक्षणिक दबाव और संस्थागत सहयोग की कमी के कारण उच्च शिक्षा छोड़ देते हैं। आर्थिक मुद्दों से परे, ये छात्र अक्सर विशेषाधिकार प्राप्त सामाजिक समूहों द्वारा संचालित परिसरों में भेदभाव, अलगाव और अपनेपन के अभाव का सामना करते हैं; परिणामस्वरूप, केवल प्रवेश पाना ही पर्याप्त नहीं है—ऐसे वातावरण में टिके रहना और सफल होना एक अतिरिक्त संघर्ष है। अतः, उच्च शिक्षा को वंचित छात्रों के लिए अधिक समावेशी बनाने हेतु व्यापक सुधार की आवश्यकता है, जिसमें योग्यता (merit) का आकलन करते समय केवल परीक्षा के अंकों को नहीं, बल्कि सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन को भी मान्यता दी जाए। इसके लिए प्रवेश और संकाय भर्ती में आरक्षण नीतियों को प्रभावी ढंग से लागू करना, पहली पीढ़ी के शिक्षार्थियों के लिए मेंटरशिप और मानसिक स्वास्थ्य परामर्श प्रदान करना, छात्रवृत्ति का विस्तार करना, तथा विविधता का सम्मान करने

12 https://cdnbbsr.s3waas.gov.in/s392049debbe566ca5782a3045cf300a3c/uploads/2025/06/2025060466438560.pdf
13 https://www.researchgate.net/publication/297765600_Discrimination_on_campuses_of_higher_learning_A_perspective_from_below
14 https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0738059320304570
15 https://www.livelaw.in/top-stories/supreme-court-ugc-promotion-of-equity-in-higher-education-institutions-regulations-2026-sc-st-obc-caste-discrimination-equity-committees-520913
16 https://ijme-journal.org/index.php/ijme/article/view/1627
17 https://www.tandfonline.com/doi/epdf/10.1080/03057925.2023.2254214?needAccess=true
18 https://link.springer.com/article/10.1007/s10734-015-9966-7
19 https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/2455328X20925592
20 https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-60261-5_1 .
21 https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0971521519891478
22 https://pulliasarchive.equitygraded.org/wp-content/uploads/2018/02/An-ethnography-of-caste-and-class-at-an-Indian-university-creating-capital-by-Gaurav-Pathania-and-William-Tierney.pdf
23 https://www.annualreviews.org/content/journals/10.1146/annurev-soc-060116-053354
24 https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/02680939.2014.987828?utm_source=researchgate
25 https://www.tandfonline.com/doi/epdf/10.1080/03057925.2023.2254214?needAccess=true

वाले वातावरण का निर्माण करना आवश्यक है; साथ ही बेहतर नीति निर्माण [26]के लिए ड्रॉपआउट दरों और भेदभाव के डेटा की निगरानी भी की जानी चाहिए।

राष्ट्रीय प्रवासी छात्रवृत्ति (NOS) योजना के क्रियान्वयन में कई महत्वपूर्ण चुनौतियां हैं, जिनमें छात्रवृत्ति वितरण में देरी के कारण छात्रों को होने वाली आर्थिक तंगी, दिव्यांग छात्रों के लिए मौजूद बाधाएं और ऑनलाइन प्रक्रियाओं से जुड़ी समस्याएं शामिल हैं, जिसके कारण लाभार्थियों में हताशा और असंतोष देखा जा रहा है। अनुसूचित जाति (SC) के लिए NOS का आवंटन वित्त वर्ष 2025-26 के ₹130 करोड़ से घटकर वित्त वर्ष 2026-27 में ₹125 करोड़ हो गया है; हालांकि, यह देखना उत्साहजनक है कि अनुसूचित जनजाति (ST) के लिए आवंटन को वित्त वर्ष 2025-26 के ₹0.01 करोड़ से बढ़ाकर वित्त वर्ष 2026-27 में ₹20.00 करोड़ कर दिया गया है, जो एक स्वागत योग्य कदम है। फिर भी, यह समान रूप से चिंता का विषय है कि ऐसी प्रभावशाली योजनाओं को केंद्रीय विश्वविद्यालयों को अनुदान, यूजीसी (UGC), पीएम-उषा (PM-USHA) और पीएमयूएसपी (PMUSP) जैसी गैर-लक्षित योजनाओं की तुलना में काफी कम धनराशि प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त, शिक्षा ऋण के लिए ब्याज सब्सिडी और गारंटी फंड योगदान को समाप्त कर दिया गया है; यह कार्यक्रम पहले अधिस्थगन अवधि के दौरान ब्याज पर सब्सिडी देता था और भारत में तकनीकी/व्यावसायिक डिग्री लेने वाले पात्र छात्रों (पारिवारिक आय ₹4.5 लाख तक) के लिए कोलैटरल/गारंटी की अनिवार्यता को माफ करता था। कैग (CAG) के एक ऑडिट में इस योजना के क्रियान्वयन में कई अनियमितताएं पाई गई हैं, जैसे आवेदन प्रक्रिया में देरी और लाभार्थियों को छात्रवृत्ति राशि हस्तांतरित करने में कठिनाइयां। एससी/एसटी छात्रों सहित सभी के लिए समावेशी और समान गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना सामाजिक गतिशीलता और समानता को बढ़ावा देने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।

उच्च शिक्षा के लिए अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) के वित्तपोषण हेतु, उच्च शिक्षा विभाग ने AWSC के तहत ₹6,808.55 करोड़ और AWST के तहत ₹3,479.34 करोड़ आवंटित किए हैं। यद्यपि उच्च शिक्षा विभाग ने AWSC के अंतर्गत आवंटन में 63.24% और AWST के अंतर्गत 63.09% की वृद्धि की है, फिर भी बजट आवंटन में इस बढ़ोतरी के बावजूद, इनमें से कई पहलें विशेष रूप से एससी और एसटी छात्रों के विकास के लिए लक्षित (targeted) नहीं हैं।

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति हेतु योजनाओं की प्रासंगिकता:

A. अनुसूचित जाति (SC) बजट के तहत गैर-लक्षित योजनाओं में अत्यधिक आवंटन

- स्वदेशी यूरिया के लिए यूरिया सब्सिडी भुगतान: ₹10,208.92 करोड़।
- स्वदेशी P और K उर्वरकों (Fertilisers) के लिए पोषक तत्व आधारित सब्सिडी भुगतान: ₹4483 करोड।
- दूरसंचार बुनियादी ढांचे के निर्माण और विस्तार के लिए सेवा प्रदाताओं को क्षतिपूर्ति: ₹1958.80 करोड़।
- भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (IITs) को सहायता और अनुदान: ₹1523.87 करोड़।
- केंद्रीय विश्वविद्यालयों (CUs) को सहायता और अनुदान: ₹1170.84 करोड़।

B. अनुसूचित जनजाति (ST) बजट के तहत गैर-लक्षित योजनाओं में अत्यधिक आवंटन

- सड़क कार्य (सड़क विंग के अंतर्गत कार्य): ₹10,150 करोड़।
- यूरिया सब्सिडी (स्वदेशी यूरिया के लिए भुगतान और यूरिया का आयात): ₹5,288.96 करोड़।
- सुधार आधारित वितरण योजना (Reform Linked Distribution Scheme): ₹2,510 करोड़।
- पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (आयातित P और K उर्वरकों के लिए भुगतान): ₹2,322.00 करोड़।
- बुनियादी ढांचा रखरखाव (Infrastructure Maintenance): ₹912 करोड़।

C. अनुसूचित जाति (SC) बजट के तहत सामान्य योजनाओं में अत्यधिक आवंटन

- जल जीवन मिशन/राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कार्यक्रम घटक): ₹14,887.4 करोड़।
- प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-Kisan): ₹11,707.5 करोड़।
- समग्र शिक्षा (SS): ₹8,478.59 करोड़।
- आरसीएच (RCH) और स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढ़ीकरण, राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम और राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन हेतु लचीला कोष (Flexible Pool): ₹6,441.34 करोड़।
- प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना: ₹3,337.82 करोड़।

D. अनुसूचित जनजाति (ST) बजट के तहत सामान्य योजनाओं में अत्यधिक आवंटन

- जल जीवन मिशन (JJM): ₹6,767 करोड़।
- प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-Kisan): ₹5,657.5 करोड़।
- आरसीएच (RCH) और स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढ़ीकरण, राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम और राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन हेतु लचीला कोष (Flexible Pool): ₹2,539.71 करोड़।
- प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना: ₹1,731.55 करोड़।

26 https://www.thehindu.com/opinion/lead/marginalised-by-caste-marginalised-in education/article69034291.ece

- कृषोन्नति योजना: ₹1,519.44 करोड़।

E. अनुसूचित जाति (SC) बजट के तहत लक्षित (Targeted) योजनाओं में नगण्य आवंटन

- अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय प्रवासी छात्रवृत्ति (NOS): ₹125 करोड़
- टॉप क्लास एजुकेशन (उच्च श्रेणी की शिक्षा): ₹120 करोड़।
- मशीनीकृत स्वच्छता पारिस्थितिकी तंत्र के लिए राष्ट्रीय कार्रवाई (NAMASTE): ₹110 करोड़।
- नेशनल मीन्स-कम-मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम: ₹70 करोड़।
- राष्ट्रीय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति हब केंद्र: ₹54.01 करोड़।

F. अनुसूचित जनजाति (ST) बजट के तहत लक्षित (Targeted) योजनाओं में नगण्य आवंटन

- राष्ट्रीय प्रवासी छात्रवृत्ति योजना (NOS): ₹20 करोड़।
- नेशनल मीन्स-कम-मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम: ₹23 करोड़।
- राष्ट्रीय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति हब केंद्र: ₹30.51 करोड़।
- अनुसूचित जनजातियों के लिए वेंचर कैपिटल फंड: ₹30 करोड़।
- पीएम रिसर्च फेलोशिप (PMRF): ₹51.42 करोड़।

भूमि अधिकार और कृषि:

सरकार के कृषि सहयोग और किसान विभाग की ऑल इंडिया रिपोर्ट ऑन एग्रीकल्चर सेंसस 2015-16 के अनुसार, 2015-16 में भारत में ज़मीन रखने वाले लोगों की कुल संख्या 14.65 करोड़ थी, जो 2010-11 की जनगणना के 13.85 करोड़ से 0.8 करोड़ (5.86%) ज़्यादा है । इन 14.65 करोड़ लोगों में से जिनके पास ज़मीन है, 68.5% लोगों के पास मामूली ज़मीन है जो 1.0 हेक्टेयर से कम है और सिर्फ़ 0.6% लोगों के पास 10 हेक्टेयर से ज़्यादा ज़मीन है। इसमें से, 2015-16 में 1.73 करोड़ ज़मीन अनुसूचित जातियों के पास थी, और उसके बाद अनुसूचित जनजातियों के पास 1.27 करोड़ ज़मीन थी।

कुल 1.73 करोड़ ज़मीनों में से , पुरुषों के पास 86.57% ज़मीन थी, जबकि महिलाओं के पास 13.43% ज़मीन थी। इसी तरह 2010-11 में, SC पुरुषों के पास 86.57% और SC महिलाओं के पास 12.27% (0.23 करोड़ ज़मीन) थी और SC के कुल 86.57% में से, SC पुरुषों के पास कुल 1.50 करोड़ ज़मीन थी, जिसमें उत्तर प्रदेश (24.8%) और 10 दूसरे राज्य शामिल हैं, जिनका हिस्सा 87% है। जबकि महिलाओं के पास 2010-11 में 12.27% से बढ़कर 2015-16 में 13.43% हो गई, जो पुरुषों की तुलना में काफी कम रहने के बावजूद महिलाओं के प्रतिनिधित्व में एक सकारात्मक बदलाव दिखाता है। कुछ राज्य ऐसे हैं जहाँ महिलाओं के पास ज़्यादा ज़मीन है और वे हैं बिहार (14.3%) और उत्तर प्रदेश (13.6%)। SC पुरुष होल्डर्स के लिए एवरेज ऑपरेटिंग एरिया घटकर 0.78 हेक्टेयर रह गया और महिलाओं के लिए यह 0.68 हेक्टेयर पर स्थिर रहा।

इसके विपरीत, अनुसूचित जनजातियाँ जिनके पास 1.27 करोड़ भूमि जोत हैं, से पता चलता है कि 56.3% आदिवासी समुदायों के पास सीमांत भूमि जोत (1 हेक्टेयर से कम) है, उसके बाद छोटे (23.5%), अर्ध-मध्यम (14.0%), मध्यम (5.6%), और बड़े (0.8%) हैं, जहाँ इन दो सबसे छोटी श्रेणियों के पास 79.8% जोत हैं। कृषि जनगणना 2015 के अनुसार, 2015-16 में 1.27 करोड़ अनुसूचित जनजातियों की परिचालन जोतों में से, पुरुषों के पास 87.3% और महिलाओं के पास 12.7% थी। इस प्रकार, पुरुष परिचालन जोतों की तुलना में महिला परिचालन जोतों का प्रतिशत काफी कम था।

हालांकि, सबसे बड़ी चिंता का विषय यह है कि वित्त वर्ष 2025-26 (BE) के अनुसूचित जाति (SC) बजट में भूमि संसाधन विभाग के तहत कुल बजट मात्र ₹376.82 करोड़ है। इसमें मुख्य रूप से दो योजनाएं शामिल हैं: 'प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना' का वाटरशेड विकास घटक, जिसके लिए ₹356.90 करोड़ आवंटित हैं, और 'भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम', जिसके लिए ₹19.92 करोड़ का प्रावधान है। इसी प्रकार, इसी वित्त वर्ष के जनजातीय (ST) बजट के तहत भूमि संसाधन विभाग का कुल आवंटन ₹227.72 करोड़ है, जिसमें वाटरशेड विकास के लिए ₹215.72 करोड़ और भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण के लिए ₹12.00 करोड़ रखे गए हैं। विडंबना यह है कि इनमें से अधिकांश 'सामान्य योजनाएं' (general schemes) हैं, जिनका लक्षित लाभार्थियों पर कोई प्रत्यक्ष या मापने योग्य प्रभाव दिखाई नहीं देता।

इसी प्रकार, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत अनुसूचित जाति (SC) का बजट ₹22,173.41 करोड़ और अनुसूचित जनजाति (ST) का बजट ₹11,221.42 करोड़ निर्धारित है। हालांकि, इनमें से अधिकांश 'सामान्य योजनाएं' (general schemes) हैं, जिनका लक्षित लाभार्थियों पर कोई प्रत्यक्ष या मापने योग्य प्रभाव नहीं पड़ता। उदाहरण के लिए, पीएम-किसान (PM-Kisan) जैसे प्रमुख कार्यक्रमों को भारी धन राशि (SC के लिए ₹11,707.50 करोड़ और ST के लिए ₹5,657.50 करोड़) प्राप्त होती है, इसके बावजूद वार्षिक रिपोर्ट में यह श्रेणीबद्ध आंकड़े (disaggregated data) उपलब्ध नहीं कराए गए हैं कि 18वीं किस्त की अवधि के दौरान कुल 9.58 करोड़ किसानों में से कितने अनुसूचित जाति के लाभार्थियों को लाभ मिला। हालांकि, रिपोर्ट यह कवर करती है कि 'वनाधिकार अधिनियम' (FRA - Forest Rights Act) के 9.33 लाख से अधिक पट्टा धारक और 'विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों' (PVTG - Particularly Vulnerable Tribal Groups) के किसान योजना के तहत पंजीकृत हैं। इसी तरह, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) के लिए भी बड़ा आवंटन (SC के लिए ₹2,048.00 करोड़ और ST के लिए ₹970.04 करोड़) किया गया है, फिर भी यह उसी व्यापक समस्या का हिस्सा बना हुआ है जहाँ इन समुदायों को मिलने वाले विशिष्ट लाभों की निगरानी करना कठिन है।

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए योजनाओं को मंत्रालय/विभागवार प्राथमिकता:

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए 'विकास कार्य योजना'

तालिका-: वित्त वर्ष 2026-27 (बजट अनुमान) के डीएपीएससी बजट के तहत विभाग-वार देय और आवंटित राशि (करोड़ रुपये में)

Sl No	Departments	Total Eligible Ministries(CS +CSS)	% of Proposed Allocation	Due Allocation under SC (Rs Cr)	Allocation under SC Budget (Rs Cr)
1	Department of Rural Development	194,235.01	25.00	48,558.75	34,642.39
2	Department of Food and Public Distribution	234,831.50	8.30	19,491.01	29,463.61
3	Department of Agriculture and Farmers Welfare	129,160.82	16.60	21,440.70	22,039.48
4	Department of Drinking Water and Sanitation	74,862.00	22.00	16,469.64	16,242.30
5	Department of School Education and Literacy	66,641.02	21.74	14,487.76	15,479.37
6	Department of Fertilisers	170,896.00	8.30	14,184.37	14,697.15
7	Department of Social Justice and Empowerment	13,475.37	72.50	9,769.64	10,442.56
8	Department of Health and Family Welfare	63,705.70	16.60	10,575.15	10,409.15
9	Department of Higher Education	10,142.40	16.60	1,683.64	6,808.55
10	Ministry of Women and Child Development	27,890.00	20.00	5,578.00	5,578.00
11	Ministry of Labour and Employment	31,814.69	16.60	5,281.24	5,301.35
12	Ministry of Power	21,679.48	16.60	3,598.79	4,845.00
13	Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises	24,255.68	16.60	4,026.44	4,160.15
14	Ministry of Housing and Urban Affairs	81,310.11	22.50	18,294.77	3,642.51
15	Ministry of New and Renewable Energy	32,663.36	8.30	2,711.06	2,573.00
16	Department of Telecommunications	20,610.41	8.30	1,710.66	2,008.60
17	Ministry of Skill Development and Entrepreneurship	9,540.50	16.60	1,583.72	1,484.50
18	Ministry of Electronics and Information Technology	17,768.55	8.30	1,474.79	1,308.79
19	Ministry of Petroleum and Natural Gas	30,057.07	8.30	2,494.74	979.65
20	Department of Animal Husbandry and Dairying	5,873.15	16.60	974.94	695.97
21	Ministry of Development of North Eastern Region	6,777.00	8.30	562.49	565.00
22	Department of Land Resources	2,625.00	16.60	435.75	435.77
23	Department of Fisheries	2,530.30	16.60	420.03	426.00
24	Ministry of Youth Affairs and Sports	2,631.35	25.28	665.21	362.54
25	Ministry of Textiles	4,659.01	16.60	773.40	298.05
26	Department of Agricultural Research and Education	2,830.12	8.30	234.90	234.99
27	Ministry of Food Processing Industries	3,815.00	8.30	316.65	221.60
28	Department of Science and Technology	23,125.01	8.30	1,919.38	210.00
29	Ministry of Panchayati Raj	1,142.31	16.60	189.62	190.00
30	Ministry of Environment, Forests and Climate Change	1,959.04	8.30	162.60	168.14
31	Ministry of AYUSH	1,705.60	14.00	238.78	145.79
32	Department of Empowerment of Persons with Disabilities	1,117.00	20.25	226.19	135.62
33	Ministry of Coal	3,546.00	8.30	294.32	64.41
34	Ministry of Culture	596.39	8.30	49.50	49.50
35	Ministry of Mines	440.00	8.30	36.52	35.60
36	Department of Pharmaceuticals	5,885.35	8.30	488.48	34.65
37	Department of Commerce	4,920.90	8.30	408.43	15.91
38	Chandigarh	-	0.00	-	3.22
39	Department of Consumer Affairs	4,322.00	8.30	358.73	1.50
40	Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation	18,539.97	8.30	1,538.82	-
41	Ministry of Road Transport and Highways	309,691.77	8.30	25,704.42	-
42	Ministry of Tourism	2,335.00	8.30	193.81	-
43	Ministry of Cooperation	1,340.01	0.00	-	-
TOTAL		1,667,946.95		239607.83	196,400.37
As per the Norms set by Jadhav commission			**16.60%**		
As per the NITI Ayog the proposed allocation			**14.37%**		
BE allocation			**11.80%**		

Source: 1. https://e-utthaan.gov.in/public/pdf/data/Guidelines-Earmarking_DAPSC_DAPST.pdf, published by NITI Aayog, 01 Apr 2018
2. Source:Statement-3, FY 2026-27 Expenditure of Ministries and Departments,Govt of India

तालिका-: वित्त वर्ष 2026-27 (बजट अनुमान) के डीएपीएसटी बजट के तहत विभाग-वार देय और आवंटित राशि (करोड़ रुपये में)

Sl No	Departments	Total Eligible Ministries (CS +CSS)	% of Proposed Allocation ST	Due Allocation under ST (Rs Cr)	Allocation under ST Budget (Rs Cr)
1	Department of Rural Development	194,235.01	17.5	33991	29533.02
2	Department of Food and Public Distribution	234,831.50	4.3	10098	18221.60
3	Ministry of Tribal Affairs	13,789.02	100.0	13789	15331.03
4	Department of Agriculture and Farmers Welfare	129,160.82	8.6	11108	11527.73
5	Ministry of Road Transport and Highways	309,691.77	4.3	13317	10150.00
6	Department of School Education and Literacy	66,641.02	12.5	8310	9093.57
7	Department of Fertilisers	170,896.00	4.3	7349	7614.19
8	Department of Drinking Water and Sanitation	74,862.00	10.0	7486	7382.90
9	Department of Health and Family Welfare	63,705.70	8.6	5479	5392.69
10	Department of Higher Education	10,142.40	8.6	872	3479.34
11	Ministry of Labour and Employment	31,814.69	8.6	2736	2768.17
12	Ministry of New and Renewable Energy	32,663.36	8.6	2809	2665.97
13	Ministry of Power	21,679.48	8.6	1864	2510.00
14	Ministry of Women and Child Development	27,890.00	8.6	2399	2398.54
15	Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises	24,255.68	8.6	2086	2217.87
16	Ministry of Development of North Eastern Region	6,777.00	27.2	1842	1853.00
17	Lakhsdeep	-	0.0	0	1621.12
18	Ministry of Electronics and Information Technology	17,768.55	6.7	1190	1056.49
19	Department of Telecommunications	20,610.41	4.3	886	1040.60
20	Ministry of Housing and Urban Affairs	81,310.11	4.3	3496	958.01
21	Ministry of Skill Development and Entrepreneurship	9,540.50	8.6	820	803.97
22	Ministry of Petroleum and Natural Gas	30,057.07	4.3	1292	507.53
23	Department of Animal Husbandry and Dairying	5,873.15	8.6	505	407.74
24	Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation	18,539.97	8.6	1594	336.56
25	Andaman and Nicobar Islands	-	0.0	0	276.73
26	Department of Land Resources	2,625.00	10.0	263	267.52
27	Department of Fisheries	2,530.30	8.6	218	227.00
28	Ministry of Textiles	4,659.01	8.6	401	226.17
29	Ministry of Youth Affairs and Sports	2,631.35	8.6	226	189.00
30	Ministry of Environment, Forests and Climate Change	1,959.04	8.6	168	174.99
31	Department of Agricultural Research and Education	2,830.12	4.3	122	121.81
32	Ministry of Food Processing Industries	3,815.00	4.3	164	112.45
33	Department of Science and Technology	23,125.01	4.3	994	107.25
34	Ministry of Panchayati Raj	1,142.31	8.6	98	101.01
35	Ministry of Tourism	2,335.01	4.3	100	101.00
37	Ministry of AYUSH	1,705.60	4.3	73	89.86
38	Department of Empowerment of Persons with Disabilities	1,117.00	10.2	114	70.26
39	Ministry of Coal	3,546.00	8.6	305	66.74
40	Ministry of Culture	596.39	4.3	26	25.64
41	Department of Commerce	4,920.90	4.3	212	21.11
42	Ministry of Mines	440.00	4.3	19	18.47
39	Department of Pharmaceuticals	5,885.35	4.3	253	17.93
42	Dadre Nagar Haveli & Daman Diu	-	0.0	0	1.22
43	Department of Consumer Affairs	4,322.00	4.3	186	0.80
44	Ministry of Cooperation	1,340.01	0.00	0	0.0
TOTAL		1668260.61		139261.17	141088.60
As per the Norms set by Jadhav commission			8.60%		
As per the NITI Ayog the proposed allocation			8.41%		
BE allocation			8.5%		

Source: 1. https://e-utthaan.gov.in/public/pdf/data/Guidelines-Earmarking_DAPSC_DAPST.pdf, published by NITI Aayog, 01 Apr 2018
2. Source:Statement-3, FY 24-25 Expenditure of Ministries and Departments, Govt of India

(DAPSC और DAPST) पर 2018 के नीति आयोग के दिशा-निर्देश एक अत्यंत महत्वपूर्ण ढांचा पेश करते हैं। इसके तहत 41 अनिवार्य मंत्रालयों के लिए यह आवश्यक है कि वे अपनी केंद्रीय योजनाओं के कुल बजट प्रावधान (outlay) से एक निश्चित हिस्सा सुरक्षित रखें। इसमें मंत्रालय के संपूर्ण बजट के बजाय प्रत्येक योजना के लिए आवंटित राशि के आधार पर गणना की जाती है। साथ ही, यह व्यवस्था दी गई है कि यदि किसी एक योजना के वित्तीय संसाधनों का उपयोग नहीं हो पाता, तो मंत्रालय और वित्तीय सलाहकार की पूर्व अनुमति से उसे दूसरी योजना में स्थानांतरित किया जा सकता है, ताकि बजट का अनुचित विचलन (diversion) न हो और बजटीय पूंजी का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित किया जा सके। यह दृष्टिकोण पूर्व की रणनीतियों को और सुदृढ़ करता है, जिसका उद्देश्य विकास के अंतराल को पाटने के लिए विशिष्ट क्षेत्रों और आवश्यकताओं के अनुसार योजनाएं संचालित करना है। जैसा कि पिछले वित्त वर्ष में कृषि, उच्च शिक्षा और सामाजिक न्याय जैसे 16 मंत्रालयों द्वारा किए गए अतिरिक्त आवंटन से स्पष्ट होता है। हालांकि, उच्च शिक्षा विभाग—जो SC और ST छात्रों के भविष्य के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है—वहां की स्थिति चिंताजनक है। वित्त वर्ष 2025-26 के ₹4,306.32 करोड़ के बजट में से केवल ₹108.30 करोड़ (मात्र 2.5%) ही सीधे छात्रों के लाभ हेतु केंद्रित योजनाओं पर व्यय हुआ। इसमें 'पीएम रिसर्च फेलोशिप' और 'बालिका छात्रावास' जैसी गिनी-चुनी योजनाएं ही हैं, जबकि शेष संपूर्ण वित्तीय आवंटन निर्माण कार्यों और प्रशासनिक विकास में लगा दिया गया। इसके विपरीत, आवास और शहरी कार्य मंत्रालय जैसे विभागों में कम आवंटन (20.69%) के कारण शहरों में रहने वाले भूमिहीन SC/ST परिवारों के लिए आवास, स्वच्छता और सुरक्षित पेयजल की सुविधाओं में भारी कमी आई है। अतः नीति आयोग और संबंधित नोडल मंत्रालयों के लिए यह अनिवार्य है कि वे इन बजटों की निरंतर समीक्षा करें। आंकड़े स्पष्ट करते हैं कि अनुसूचित जाति के लिए कुल आवंटन 10.7% रहा, जबकि नीति आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार यह 14.6% होना चाहिए था। इसमें भी केवल 3.9% राशि ही प्रत्यक्ष लाभ पहुँचाने वाली योजनाओं के लिए सुरक्षित की गई। यही स्थिति जनजातीय बजट की भी है। यह समस्त विश्लेषण दर्शाता है कि वर्तमान योजनाओं को त्रि-स्तरीय प्रभाव (व्यक्ति, परिवार और बस्ती स्तर) के आधार पर पुनर्गठित करने की तत्काल आवश्यकता है।

मजबूत नियमों के बावजूद, DAPSC और DAPST बजट के क्रियान्वयन में गंभीर कमियां बनी हुई हैं, जिन्हें दूर करने के लिए नोडल मंत्रालयों—सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय और जनजातीय कार्य मंत्रालय—को अधिक सक्रिय निगरानी भूमिका निभाने की आवश्यकता है। इन कमियों को पाटने के लिए, निगरानी तंत्र को केवल 'ई-उत्थान' पोर्टल के आंकड़ों तक सीमित न रखकर कार्यक्रमों की वैज्ञानिक जांच करनी चाहिए और उन्हें ऐसी लक्षित योजनाओं में बदलना चाहिए, जिनके भौतिक लक्ष्य और उपलब्धियां स्पष्ट रूप से निर्धारित हों। इसके अतिरिक्त, लाभार्थियों की सूची को सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराकर पारदर्शिता और जवाबदेही को मजबूत किया जाना चाहिए। साथ ही, यह सुनिश्चित किया जाए कि सरकार इन योजनाओं की मूल्यांकन रिपोर्ट संसद में पेश करने की अपनी जिम्मेदारी को पूरा करे। अंततः, नीति आयोग को इन दोनों बजटों के लिए एक विशिष्ट परिणामोन्मुखी बजट (Outcome and Output Budget) प्रकाशित करना चाहिए, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि आवंटित धनराशि वास्तव में लक्षित समुदायों के स्थायी सामाजिक-आर्थिक विकास में परिवर्तित हो रही है।

जेंडर बजट:

पिछले कुछ वर्षों में, जेंडर बजट (Gender Budget) के तहत विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों में आवंटन में वृद्धि देखी गई है, जो देश में लैंगिक न्याय (gender justice) और समानता को बढ़ाने में सरकार की रुचि को दर्शाता है। भारत सरकार वास्तव में 2047 तक 'विकसित भारत' के दृष्टि के साथ आगे बढ़ रही है, जिसमें महिला सशक्तिकरण एक प्रमुख केंद्र बिंदु है। पोषण, यौन और प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारों, आजीविका और शिक्षा से जुड़ी कुछ योजनाओं और कार्यक्रमों ने देश भर में इन विकासात्मक क्षेत्रों में प्रभाव डाला है।

हालांकि, अधिक चिंता का विषय योजनाओं, कार्यक्रमों या लैंगिक न्याय के लिए दृष्टि (vision) का अभाव नहीं है, बल्कि पर्याप्त, समतामूलक, अनुकूलनीय, विविध और समावेशी आवंटन व वितरण की कमी है।

इसलिए, यह कहा जा सकता है कि बिना किसी लक्षित, उद्देश्यपूर्ण और न्यायोचित वितरण के केवल योजनाओं और कार्यक्रमों का होना, लैंगिक न्याय के संदर्भ में असमानता के अंतराल को और अधिक विस्तृत करेगा। इस तथ्य पर जोर देना अत्यंत आवश्यक है कि 'जेंडर' की परिभाषा और उसकी परिधि (periphery) का विस्तार किया जाए, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि जेंडर बजटिंग केवल महिलाओं तक सीमित न रहकर एक बड़े और विविध समुदाय की सेवा कर सके।

"वित्तीय वर्ष 2005-2006 में भारत द्वारा 'जेंडर बजट विवरण' (Gender Budget Statement) की शुरुआत विकास नियोजन के इतिहास में एक 'मील का पत्थर' साबित हुई। यह पहल देश में लिंग-आधारित विकासात्मक कार्यों के लिए विशिष्ट संसाधनों और हिस्सेदारी का स्पष्ट प्रावधान करती है। यह विवरण केवल ज़रूरतों को पूरा करने के लिए 'आरक्षित आवंटन' मात्र नहीं है, बल्कि यह लैंगिक समानता प्राप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण संकेतक है। यह सरकार के इरादों को धरातल पर उतारने और उन्हें ठोस कार्रवाई में बदलने का एक महत्वपूर्ण प्रतीक है।"

विगत वित्तीय वर्ष 2025-26 में, जेंडर बजट विवरण (GBS) के तहत कुल आवंटन ₹4.49 लाख करोड़ था, जबकि इस वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए यह राशि ₹5,00,878.73 करोड़ निर्धारित की गई है। इसका अर्थ है कि पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में इस बार आवंटन में ₹52,850.05 करोड़ की वृद्धि दर्ज की गई है।

यद्यपि देश में जेंडर बजट आवंटन के रुझान में निश्चित रूप से बढ़ोतरी हुई है, लेकिन हमारे लिए जो बात वास्तव में महत्वपूर्ण है, वह है—इसकी प्रासंगिकता, पर्याप्तता, लक्षित समूहों और जवाबदेही को समझना।

आवंटन का गहन विश्लेषण करने पर हम पाते हैं कि जीबीएस (GBS) के 'भाग-क' (Part A) में कई अत्यंत महत्वपूर्ण और बड़ी योजनाएं शामिल हैं, जिनके लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 में कुल ₹1,05,535 करोड़ का आवंटन किया गया था। 'भाग-क' की योजनाएं मुख्य रूप से महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (MOWCD) और गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती हैं। इनका प्राथमिक उद्देश्य 'जीवन के अधिकार और सुरक्षा' (Right to Life and Protection)

तालिका-5: वित्त वर्ष 2026-27 के जेंडर बजट में एससी और एसटी महिलाओं के लिए आवंटन (करोड़ रुपये में)

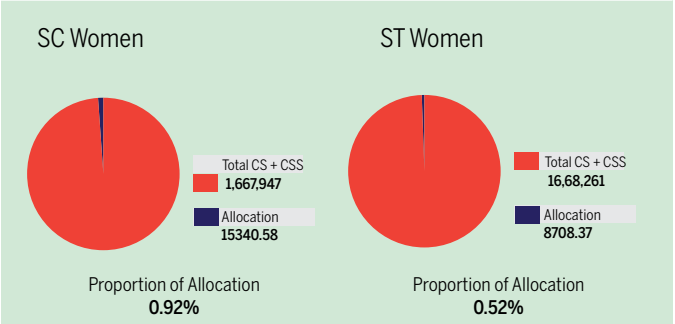

Source: Gov of India - Budget Expenditure Profile FY 2026-27 Statement 13

के प्रति न्याय सुनिश्चित करना है। इनमें सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0, सामर्थ्य योजनाएं, निर्भया फंड, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ (BBBP), आजीविका (जिसे हाल ही में भाग-क में स्थानांतरित किया गया है), पुलिस बलों में महिला हेल्प डेस्क और प्रधानमंत्री बालिका छात्रावास जैसी प्रमुख योजनाएं शामिल हैं। 'भाग-क' के अंतर्गत योजनाओं के लिए AWSC से कुल ₹1919.16 करोड़ और AWST से ₹691.32 करोड़ आवंटित किए गए हैं।

इसके अतिरिक्त, सितंबर 2025 में जारी नवीनतम एनसीआरबी (NCRB) रिपोर्ट 'भारत में अपराध 2023' (Crimes in India 2023) के अनुसार, अनुसूचित जातियों के खिलाफ अपराध के 57,789 मामले दर्ज किए गए, जो 2022 की पिछली रिपोर्ट की तुलना में 0.4% की मामूली वृद्धि दर्शाते हैं। इसी प्रकार, अनुसूचित जनजातियों के खिलाफ अपराध के 12,960 मामले दर्ज किए गए। पीओए (PoA) अधिनियम के तहत सजा की बेहद कम दर और लंबित मामलों की बढ़ती संख्या एक और गंभीर चुनौती है, जो देश की न्याय प्रणाली की प्रभावशीलता पर गहरा प्रश्नचिह्न लगाती है।

"अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) समुदायों की महिलाओं के खिलाफ बढ़ती अत्याचार की घटनाओं को देखते हुए, उनके लिए 'कानूनी न्याय' की उम्मीद अत्यंत संकटपूर्ण और अनिश्चित स्थिति में बनी हुई है। जाति-आधारित अत्याचार, विशेष रूप से जघन्य अपराधों की संख्या में हर साल वृद्धि हो रही है। यह न्याय से वंचित किए जाने की एक चौंकाने वाली स्थिति है। हम देखते हैं कि 'पीसीआर (PCR) अधिनियम, 1955 और पीओए (PoA) अधिनियम, 1989 के प्रवर्तन के लिए तंत्र के सुदृढ़ीकरण' के तहत आवंटन में वृद्धि हुई है, लेकिन इसके बावजूद SC और ST महिलाओं के खिलाफ अपराध लगातार बढ़ रहे हैं और आंकड़ों में शीर्ष पर बने हुए हैं। इसके बावजूद, वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए उक्त योजनाओं के तहत SC के लिए कुल आवंटन ₹550.00 करोड़ है, जबकि ST के लिए इसी योजना के तहत कोई आवंटन नहीं किया गया है। चूंकि SC और ST दोनों समुदायों की महिलाओं के खिलाफ अत्याचार लगातार बढ़ रहे हैं, ऐसे में ST महिलाओं के लिए आवंटन का यह अभाव उनकी सुरक्षा को गंभीर जोखिम में डालता है।"

"दलित और आदिवासी लैंगिक न्याय के दृष्टिकोण से, वित्त वर्ष 2026-27 जेंडर बजट आवंटन में कुछ प्रत्यक्ष लेकिन बहुत उल्लेखनीय बदलाव नहीं लाया है। जेंडर बजट विवरण (GBS) के अनुसार, पिछले वित्त वर्ष 2025-26 में अनुसूचित जनजाति (ST) और अनुसूचित जाति (SC) की महिलाओं के लिए कुल आवंटन क्रमशः ₹9,431 करोड़ और ₹18,852 करोड़ था, जबकि चालू वित्त वर्ष (2026-27) में यह SC महिलाओं के लिए ₹16,67,946.58 करोड़ और ST महिलाओं के लिए ₹5,00,878.73 करोड़ है। इसका अर्थ यह निकाला जा सकता है कि कुल जेंडर बजट आवंटन का केवल 1% SC महिलाओं के लिए और 0.52% ST महिलाओं के लिए आवंटित किया गया है। अब समय आ गया है कि जेंडर बजट (GBS) को केवल 'आवंटन' के नज़रिए से देखने के बजाय, इसके 'परिणाम और प्रभाव' के दृष्टिकोण से देखा जाए। इसका तात्पर्य यह है कि महिलाओं की सामाजिक-आर्थिक, स्वास्थ्य और अन्य विकासात्मक क्षेत्रों में स्थिति कितनी बेहतर हुई है, यह वास्तविक, मूर्त और मापन-योग्य परिणामों के रूप में परिलक्षित होनी चाहिए।"

"जेंडर बजट विवरण (GBS) में एक और संवेदनशील पहलू पर गौर करना ज़रूरी है, जहाँ कार्यबल का आधा हिस्सा कम वेतन, कमतर आंके जाने और उचित प्रतिनिधित्व के अभाव जैसी स्थितियों में है। स्वास्थ्य और कल्याण के लक्ष्यों की महज बात करने से तब तक सार्थक परिणाम नहीं मिलेंगे, जब तक कि इन बदलावों के मुख्य संवाहक—यानी ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों के 'अग्रिम पंक्ति स्वास्थ्यकर्मी'—अल्प मानदेय और काम के भारी दबाव में पिसते रहेंगे। ऐसी घटनाएं सामने आई हैं जहाँ स्वास्थ्य कर्मियों में गंभीर मानसिक आघात और चरम तनाव की स्थिति देखी गई, और दुखद है कि कुछ ने आत्महत्या जैसा कदम भी उठाया।"

"एनएफएचएस (NFHS) के नवीनतम आंकड़ों से यह स्पष्ट है कि मातृ मृत्यु दर (MMR), एनीमिया, कुपोषण और प्रसव के दौरान उच्च जोखिम के मामलों में अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) की महिलाओं की संख्या सर्वाधिक है। इसके अतिरिक्त, स्वास्थ्य सेवाओं को प्राप्त करते समय उन्हें निरंतर भेदभाव का सामना करना पड़ता है। इन गंभीर चुनौतियों के बावजूद, 'पोषण' और 'जेएसवाई' (JSY) जैसी सामान्य योजनाओं के अलावा, इनके लिए कोई विशिष्ट और लक्षित कार्यक्रम मौजूद नहीं हैं।

अब समय आ गया है कि सरकार एनीमिया, कुपोषण और एमएमआर के इन एक जैसे बने हुए प्रतिमानों से संकेत ले, क्योंकि दशकों से यह देखा गया है कि इन समस्याओं से जूझ रही आबादी में सबसे बड़ा हिस्सा हमेशा एससी और एसटी महिलाओं का ही रहा है। यह इस बात का संकेत है कि उनके स्वास्थ्य और कल्याण में सुधार के लिए विशिष्ट, अनन्य और 'प्रभाव-आधारित' (impact-based) योजनाओं की नितांत आवश्यकता है।

जेंडर बजट (GBS) में, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के तहत केवल तीन योजनाओं का आवंटन दिया गया है। हालाँकि, यह स्पष्ट है कि स्वास्थ्य और कल्याण ऐसे प्रमुख क्षेत्र हैं जहाँ एससी और एसटी के वंचित समुदायों के लिए सरकार को विशेष और लक्षित ध्यान देने की आवश्यकता है। 'मिशन शक्ति' योजनाओं के तहत, एससी महिलाओं के लिए ₹272.35 करोड़ आवंटित किए गए हैं, लेकिन यहाँ भी इस योजना की विभिन्न मदों (heads) के तहत धन का कोई स्पष्ट निर्धारण नहीं है, जिससे यह पता लगाना कठिन है कि किस मद में वास्तव में कितना आवंटन हुआ है। जीबीएस के 'भाग-ख' (Part B) में भी यही प्रवृत्ति दिखाई देती है, जहाँ इस वित्तीय वर्ष में 'पोषण शक्ति निर्माण' योजना के तहत एससी के लिए ₹211.82 करोड़ और एसटी के लिए ₹59.15 करोड़

तालिका7-: अंतर कैसे दूर किया जाए- सुझाई गई योजनाएं (लोक बजट) (करोड़ रुपये में)

Name of the Schemes	SC Schemes	ST Schemes
Higher Education		
PM Research Fellowship Schemes for SC/ST students	900.00	500.00
Paramedical and nursing colleges for SC/ST girls	500.00	300.00
Top Class Residential Coaching for SC Students	800.00	400.00
Boys Hostels in every district headquarters - 640	500.00	300.00
girls hostels in every district head-quarters - 640	600.00	400.00
Remedial coaching in english language	300.00	200.00
B.R Ambedkar Universities in 10 states - Punjab, Bengal, U.P, Bihar, Andhra, Tamil Nadu, M.P, Gujarat, Rajasthan, Telangana	20000.00	0.00
Agri Coop		
Minor irrigation programme for SC/ST farmlands	400.00	200.00
Sustainable Agriculture Grants for SC/ST Farmers	450.00	250.00
Providing long-term and sort-term credit system for SC/ST Women	540.00	250.00
Horticulture and sericulture scheme for SC/ST	200.00	100.00
Agriculture Research		
Agricultural Training Institute for SC/ST	300.00	200.00
AH D F		
District Level SC/ST Dairy Cooperatives Scheme	500.00	300.00
Livestock Development Fund for SC/ST Family	300.00	300.00
Small Scale Entrepreneurship Fund for Goat, Pig,Hen and Cow Breeding	400.00	300.00
DWS		
Community Well Regeneration Scheme in SC/ST Localities	300.00	200.00
Provision for Drinking Water for SC/ST families	500.00	300.00
Health Family Welf		
Modernization of Health Centres in SC/ST Areas	500.00	300.00
Paramedical and nursing colleges for SC/ST girls	1000.00	600.00
Financial Medical Assistance for SC/ST Families	800.00	500.00
Superspeciality hospital for Malaria, TB, Hypertension, sickle cells, and other diseases in SC/ST Areas.	2000.00	1000.00
Health Contingency fund at Municipal level for SC/ST community	1000.00	800.00
Housing		
Ambedkar Model Affordable Housing Scheme for SC/ ST Women	3000.00	0.00
Birsa Munda Model Affordable Housing Scheme for SC/ST Women	0.00	12000.00
Housing Scheme in Disaster prone for SC/ST Families	2000.00	1000.00
Housing Loan on Subsidised Interest rate to SC/ST Man/Women	1500.00	800.00
Savitri Bai Phule SC/ST Woman Housing Programme	1500.00	1000.00
Labour & Employment		
Rehabilitation and Protection of SC Child Labour	300.00	200.00
Top class coaching for competetive exams	500.00	300.00
Establishment of Employment Centre for SC/ST Labour	1200.00	600.00
MSME		
Standtup Fund for Unemployed SC	2500.00	1500.00
SC/ST Innovation fund for employment generation activities	2000.00	1000.00
Credit Support Program for SC/ST educated unemployed youth for Self Employmenmt	1500.00	1000.00
Special SC/ST Women Employment Fund	2000.00	1000.00

तालिका7-: अंतर कैसे दूर किया जाए- सुझाई गई योजनाएं (लोक बजट) (करोड़ रुपये में)

Name of the Schemes	SC Schemes	ST Schemes
Interest free credit Support loan for SC/ST Women SHG Group upto Rs 5 Cr without and guarentee	2500.00	0.00
Providing loans to the SC/ST Women SHG Groups through Start-up India Program	1200.00	800.00
Providing financial support to the SC/ST youths who are engaged in Gig sector	1200.00	700.00
Financial support for the SC/ST workers engaged in Ship breaking industries	1000.00	900.00
Market Development Programme for SC/ST Farmers Product	2500.00	1500.00
Rural Development		
Unemployment Allowance for SC/ST BPL Individual/ Families	2000.00	1500.00
Restoration of Alienated land for STs	0.00	2000.00
School Education		
500 state of the art modern schools for SC/ST students	10000.00	7000.00
Inclusion Cells in Schools	500.00	300.00
Appointment of SC/ST Teachers in Rural Areas	1500.00	1000.00
Special Teacher Training Programme on Anti-Discrimination and Inclusion	800.00	500.00
High class hostels for SC/ST Students at district headquarters	2000.00	1500.00
Appointment of Permanent SC/ST Women Cooks	1500.00	1000.00
Special Nutritional Supplements	500.00	300.00
Skill Development		
Training Capacity Building and Entrepreneurship Development for SC/ST Youth	600.00	400.00
Social Justice		
Implementation of SC/ST POA Act	3000.00	2000.00
Finance Development Corporation for SC Woman	2000.00	1000.00
Insurance scheme for Criminally assulted SC/ST Woman	300.00	200.00
Scaling up NFSC to all SC PhD Students	1500.00	800.00
Pre-Medical Coaching and Scholarship for SC/ST Students	1000.00	600.00
Special fund for protection and empowerment of SC/ ST Woman	1500.00	1000.00
Special Development funds for Nomadic, semi-nomadic and Vimuktajatis of SCs and STs.	2000.00	1000.00
Establishment of Centers in Universities for study of Social Exclusion and Inclusive Policy	3000.00	1500.00
Special Fast Track Court for Speedy Trail of SC/ST Cases	6000.00	3000.00
SC & ST fellowship for non-NET research students	2000.00	1000.00
Compensation to Victims	5000.00	2000.00
B.R Ambedkar Centres for learning and libraries in SC ST dominated districts	5000.00	2000.00
Rehabilitation of Women Ex. Manual Scavengers	2500.00	2000.00
Formation of Special POCSO Courts to Trail SC/ST Cases	4000.00	3000.00
Overseas Scholarship for SC/ST Woman	6000.00	4000.00
National Single Window Helpline for SC/ST Students	2500.00	2000.00
Fellowships for SC- ST students under exchange programmes to foreign universities	7000.00	2000.00
Establisment of SC - ST Research institutes	12000.00	4000.00
Tribal Affairs		
Innovation fund for Tribal Cooperatives and Tribal Entrepreneurship	10000.00	5000.00

तालिका7-: अंतर कैसे दूर किया जाए- सुझाई गई योजनाएं (लोक बजट) (करोड़ रुपये में)

Name of the Schemes	SC Schemes	ST Schemes
Special fund for FRA Implementation	500.00	2000.00
Special fund for implementation of PESA in Schedule Areas	300.00	3000.00
Special Mission for Development of Minor Forest Produce	400.00	2000.00
Model Schools for SC/ST Girls	12500.00	15000.00
Schools of international Standard at State Level for SC/ST Students	16000.00	12000.00
Special Development Fund for most Vulnerable Tribal Groups	18.00	3000.00
Women Child		
Establishment of Mini health centres in SC/ST Habitants	10000.00	4000.00
Financial Medical Assistance for SC/ST Women	5000.00	2000.00
Special Child Protection Mission for SC/ST Children	800.00	400.00
Targeted Health Coverage for Migrants SC/ST Children	500.00	200.00
Appointment of SC/ST Caretakers	500.00	300.00
Rehabilitation of Trafficked SC/ST Women	1000.00	400.00
WR RD GR		
Canal Construction Programme for SC/ST farmland	700.00	300.00
Water Catchment Area Development Programme for SC/ST	500.00	400.00
Youth Sports		
Special Sports program for SC/ST youths under Khelo India	1000.00	1000.00
Overseas Training for SC/ST Sports Persons	5000.00	3000.00
Road Transport and Highways		
Providing land to the SC/ST Enterpreneurs in the roadside of the National & State High ways	15000.00	3000.00
Subsidied loan to the SC/ST Enterpreneurs in the roadside of the National & State High ways	12000.00	661.00
Skill development training for SC/ST Enterpreneurs in the roadside of the National & State High ways	3000.00	1000.00
Grand Total Due	**239,607.84**	**139261.17**

NOTE:- 1. In the Union Budget FY2026-27 with reference to Fig -1 Total Targeted Schemes for SCs is Rs.75,077 Cr. and STs Rs.62,093 Cr. with the total gap of SC allocation is Rs.1,64,530 Cr. and Rs. 77,168 Cr. for STs. The above table details of suggested schemes are for closing the Gap in the allocation.

आवंटित किए गए हैं।"

"महिलाओं, विशेषकर असंगठित क्षेत्रों में कार्यरत महिलाओं के व्यावसायिक स्वास्थ्य खतरों और चिंताओं को संबोधित करने की तत्काल आवश्यकता है। स्वच्छता, निर्माण, कपड़ा उद्योग और अन्य शारीरिक श्रम वाले कार्यों में स्थिति बेहद जोखिमपूर्ण है और यहाँ उनकी स्वास्थ्य सुरक्षा एक बड़ी चिंता का विषय है। सफाई कार्यों, गन्ने की खेती और पत्थर की खदानों जैसे क्षेत्रों में काम करने वाली कई अनुसूचित जाति (SC) की महिलाओं के साथ ऐसी घटनाएं सामने आई हैं जहाँ उनकी सहमति और जानकारी के बिना उनके गर्भाशय निकाल दिए गए। यह एक गंभीर मानवाधिकार उल्लंघन है जिसका समाधान किया जाना अत्यंत अनिवार्य है।"

"शिक्षा के संदर्भ में, एक महत्वपूर्ण योजना 'एससी छात्रों के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति' के तहत कुल ₹6360 करोड़ का आवंटन किया गया है (जिसका अर्थ है कि बालिकाओं का हिस्सा ₹1908 करोड़ है)। यह पिछले वित्तीय वर्ष (₹5900 करोड़) की तुलना में ₹460 करोड़ की उल्लेखनीय वृद्धि दर्शाता है। वहीं, 'राष्ट्रीय विदेशी छात्रवृत्ति' (National Overseas Scholarship - NOS) योजनाओं के तहत ₹5 करोड़ की कमी आई है और इस वर्ष इसके लिए आवंटन ₹125 करोड़ है। इसके साथ ही, एनओएस (NOS) अवार्ड समय पर न मिलने की खबरें हैं और जिम्मेदार विभाग की विलंबित प्रतिक्रिया के कारण विदेश में शिक्षा चाहने वाले एससी छात्रों में अत्यधिक तनाव और दिशाहीनता की स्थिति उत्पन्न हुई है। एससी और एसटी समुदाय के बच्चों के शैक्षिक अधिकारों को केवल 'आर्थिक स्थिति' के चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से अक्सर उनके हाशिए पर होने और उनकी संवेदनशीलता की गंभीरता कम हो जाती है, जो समान आर्थिक स्थिति वाले उन लोगों के साथ छिप जाती है जिन्हें जाति-आधारित भेदभाव का सामना नहीं करना पड़ता। हम असंगठित क्षेत्रों (जैसे निर्माण, कपड़ा, खेतिहर मजदूर और सफाई कार्य) में काम करने वाली एससी महिलाओं के बेहतर स्वास्थ्य और कल्याण के लिए विशिष्ट योजनाओं की पुरजोर सिफारिश करते हैं, क्योंकि अन्य लोगों की तुलना में इनके लिए खतरों का जोखिम चिंताजनक रूप से अधिक है। सरकार को एससी और एसटी महिलाओं के जीवन, गरिमा, समान वेतन और आय सुरक्षा के अधिकारों की रक्षा के लिए सक्रिय और गंभीर रुचि लेने की सख्त ज़रूरत है, जिनका अक्सर ठेका श्रमिकों और विशेष रूप से प्रवासी मजदूरों के रूप में शोषण किया जाता है।"

"देश में लैंगिक अल्पसंख्यक समूहों के मुद्दों, चुनौतियों और विकासात्मक जरूरतों का संज्ञान लिया जाना भी अत्यंत आवश्यक है। साथ ही, यह सिफारिश भी की जाती है कि देश में एससी (SC) और एसटी (ST) महिलाओं के लिए पर्याप्त, लक्षित और अधिकार-आधारित विकास योजनाएं और आवंटन सुनिश्चित किए जाएं। इन योजनाओं को समुदाय के इस वंचित वर्ग के वास्तविक उत्थान के दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए; न कि उनकी स्थिति की गंभीरता और तात्कालिकता को उन अन्य महिलाओं के साथ मिलाकर हल्का किया जाना चाहिए, जो उनके समान सामाजिक-आर्थिक और राजनीतिक स्थिति साझा नहीं करतीं।

युवा रोजगार:

भारत के युवाओं को अक्सर 'जनसांख्यिकीय लाभांश' (demographic dividend) के रूप में देखा जाता है, लेकिन एससी/एसटी युवाओं के लिए यह लाभांश अत्यंत असमान बना हुआ है। 18-35 आयु वर्ग में 6.3 करोड़ से अधिक एससी और 3.1 करोड़ एसटी व्यक्ति आते हैं, फिर भी उन्हें श्रम बाजार में बेरोजगारी, अनौपचारिकता और जाति-आधारित बहिष्कार का सबसे अधिक सामना करना पड़ता है। हालिया डेटा 2023-24 में कुल युवा बेरोजगारी में लगभग 10–10.2% की गिरावट दर्शाता है, लेकिन यह सुधार एक गहरे संकट को छिपाए हुए है। वित्त वर्ष 2026-27 के लिए, युवा मामले और खेल मंत्रालय ने एससी के लिए ₹362.54 करोड़ और एसटी के लिए ₹189 करोड़ का बहुत ही अल्प बजट आवंटित किया है। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने एससी के लिए आवंटन को ₹853.68 करोड़ से बढ़ाकर ₹1,484.50 करोड़ और एसटी के लिए ₹471.89 करोड़ से बढ़ाकर ₹803.97 करोड़ कर दिया है। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने एससी के लिए ₹5,301.35 करोड़ और एसटी के लिए ₹2,768.17 करोड़ आवंटित किए हैं। इन मंत्रालयों के तहत एससी

के लिए प्रमुख योजनाएं हैं: (क) खेलो इंडिया: बजट ₹168.50 करोड़, (ख) राष्ट्रीय सेवा योजना: बजट ₹99.33 करोड़, (ग) उन्नत आईटीआई के माध्यम से प्रधानमंत्री कौशल और रोजगार परिवर्तन: बजट ₹1019.70 करोड़, (घ) प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना: बजट ₹3337.82 करोड़, और (ङ) स्किल इंडिया प्रोग्राम: बजट ₹464.80 करोड़; वहीं एसटी के लिए योजनाएं हैं: (क) खेलो इंडिया: बजट ₹101 करोड़, (ख) राष्ट्रीय सेवा योजना: बजट ₹38.86 करोड़, (ग) उन्नत आईटीआई के माध्यम से प्रधानमंत्री कौशल और रोजगार परिवर्तन: बजट ₹528.10 करोड़, (घ) प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना: बजट ₹1731.55 करोड़, और (ङ) स्किल इंडिया प्रोग्राम: बजट ₹275.87 करोड़।

भारत रोजगार रिपोर्ट 2024 (ILO–IHD) इस बात पर प्रकाश डालती है कि युवाओं के लिए अधिकांश नए रोजगार अनौपचारिक, कम वेतन वाले और असुरक्षित हैं, जो अक्सर स्व-रोजगार या बिना वेतन वाले पारिवारिक कार्यों तक सीमित हैं। युवाओं के लिए नियमित वेतन वाली नौकरियों में गिरावट आई है और एक सम्मानजनक नौकरी के लिए प्रतीक्षा अवधि लंबी बनी हुई है, विशेषकर शिक्षित युवाओं के लिए। यह संकट एससी/एसटी (SC/ST) युवाओं के लिए अधिक गंभीर है, जो मुख्य रूप से आकस्मिक श्रम, निर्माण, स्वच्छता, खनन और गिग-प्लेटफॉर्म जैसे कार्यों में केंद्रित हैं, जहाँ जातिगत भेदभाव, कम वेतन और सामाजिक सुरक्षा का अभाव बना रहता है। जाति और युवा रोजगार पर लक्षित एवं पृथक (disaggregated) राष्ट्रीय आंकड़ों की कमी एक प्रमुख अंतराल को रेखांकित करती है। पीएलएफएस (PLFS)[27] के आंकड़े लगातार दर्शाते हैं कि सवर्ण युवाओं की तुलना में एससी युवाओं की श्रम बल भागीदारी दर अधिक है, फिर भी उनके नियमित वेतन वाली नौकरियों में होने की संभावना बहुत कम है। यह एक 'जातिगत विरोधाभास' (caste paradox) को उजागर करता है: एससी युवा अपनी इच्छा से बेरोजगार नहीं हैं—उन्हें शिक्षा पूरी करने से पहले ही शुरुआती दौर में कम वेतन वाले और असुरक्षित कार्यों में धकेल दिया जाता है। पीएलएफएस और सीएमआईई (CMIE) के रुझान बताते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में शहरी युवा बेरोजगारी लगातार उच्च बनी हुई है, जिसमें एससी प्रवासी मुख्य रूप से अनौपचारिक निर्माण, स्वच्छता, डिलीवरी और गोदामों (warehouse) जैसे कार्यों में लगे हुए हैं।

न्याय तक पहुँच:

भारत सरकार ने जाति-आधारित अत्याचारों को रोकने, न्याय सुनिश्चित करने और अनुसूचित जाति (SC) तथा अनुसूचित जनजाति (ST) को राहत एवं पुनर्वास प्रदान करने के लिए एक व्यापक विधायी और प्रशासनिक ढांचा स्थापित करने हेतु 'अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989' लागू किया और 2015 के संशोधनों के माध्यम से इसे और सुदृढ़ किया। इस कानून के तहत न्याय तक प्रभावी पहुँच न केवल कानूनी प्रावधानों के अस्तित्व पर निर्भर करती है, बल्कि पर्याप्त संस्थागत क्षमता, वित्तीय सहायता, और पुलिस, अभियोजन (prosecution) तथा न्यायिक प्रणालियों के बीच समन्वित कार्यान्वयन पर भी टिकी हुई है।

केंद्र प्रायोजित योजनाएं (CSS) वे प्रमुख साधन हैं, जिनके माध्यम से केंद्र सरकार उन कानूनों और कार्यक्रमों को लागू करने में राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों की सहायता करती है, जो 'राज्य सूची' के अंतर्गत आते हैं। चूंकि भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के तहत 'पुलिस' और 'लोक व्यवस्था' राज्य के विषय हैं, इसलिए एससी/एसटी (PoA) अधिनियम के तहत अत्याचार से संबंधित अपराधों की रोकथाम, पंजीकरण, जांच और अभियोजन की जिम्मेदारी मुख्य रूप से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की है। इस जिम्मेदारी को प्रोत्साहित करने और समर्थन देने के लिए, केंद्र सरकार सीएसएस (CSS) के तहत वित्तीय सहायता प्रदान करती है; जिसमें राज्यों और विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेशों के साथ 50:50 के अनुपात में फंड साझा किया जाता है, जबकि बिना विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 100% केंद्रीय वित्त पोषण प्रदान किया जाता है। यह सहायता भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (MoSJE) के सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग (DoSJE) के माध्यम से दी जाती है, जिसका उद्देश्य नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 और एससी/एसटी (PoA) अधिनियम, 1989 के कार्यान्वयन को सुदृढ़ बनाना है।

न्याय तक पहुँच सुनिश्चित करने के लिए सीएसएस (CSS) के प्रमुख घटकों में शामिल हैं: पीओए (PoA) अधिनियम की धारा 21(2)(iv) और नियमों के नियम 8 के तहत एससी/एसटी सुरक्षा सेल और विशेष पुलिस थानों को सुदृढ़ बनाना; त्वरित सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए अधिनियम की धारा 14 और 15(2) के तहत विशेष अदालतों व अनन्य विशेष अदालतों (Exclusive Special Courts) की स्थापना और विशेष व अनन्य लोक अभियोजकों (Public Prosecutors) की नियुक्ति के माध्यम से न्यायिक तंत्र को मजबूत करना; अधिनियम की धारा 21(2)(iii) और नियमों के नियम 12(4) के तहत पीड़ितों और उनके आश्रितों को तत्काल राहत, मुआवजा और सामाजिक-आर्थिक पुनर्वास प्रदान करना; नियम 3(1)(viii) और 3(1)(ix) के तहत अधिकारों और सुरक्षा के प्रति जागरूकता पैदा करना व उनका प्रचार-प्रसार करना; राष्ट्रीय हेल्पलाइन का संचालन करना; तथा अंतर-जातीय विवाहों को प्रोत्साहन और राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा अन्य विशेष हस्तक्षेपों को बढ़ावा देना।

एक वैधानिक और वित्तीय ढांचा मौजूद होने के बावजूद, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के खिलाफ जाति-आधारित अत्याचारों में निरंतर वृद्धि हो रही है, जो रोकथाम और सुरक्षा के प्रयासों में गहरी संरचनात्मक विफलताओं को दर्शाती है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) की 'क्राइम इन इंडिया' रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2023 में अनुसूचित जाति (SC) के खिलाफ 57,789 मामले और अनुसूचित जनजाति (ST) के खिलाफ 12,960 मामले दर्ज किए गए। 2019 से 2023 तक की पांच वर्षों की अवधि के दौरान, अनुसूचित जाति के विरुद्ध अपराधों में 25.8% की वृद्धि हुई (45,935 से बढ़कर 57,789 मामले), जबकि अनुसूचित जनजाति के विरुद्ध अत्याचारों में 57% की तीव्र वृद्धि देखी गई, जो कि 8,257 से बढ़कर 12,960 मामले हो गए हैं।

अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) की महिलाओं के विरुद्ध लिंग आधारित हिंसा में लगातार वृद्धि हो रही है। जाति और लिंग की परस्पर संबद्धता (intersectionality) के कारण, ये महिलाएं उत्पीड़न और शोषण का अधिक शिकार होती हैं। 2019-2023 के पांच वर्षों में एससी महिलाओं और

27 https://dge.gov.in/dge/sites/default/files/2024-10/Annual_Report_Periodic_Labour_Force_Survey_23_24.pdf

बच्चों के विरुद्ध बलात्कार के मामलों में 20.9% और आदिवासी महिलाओं व बच्चों के विरुद्ध 7.1% की वृद्धि हुई है। भारत में प्रतिदिन औसतन 12 एससी महिलाओं और बच्चियों के साथ बलात्कार होता है, जिसका अर्थ है कि हर दो घंटे में एक एससी महिला या बच्ची इस जघन्य अपराध का शिकार होती है। विशेष रूप से, भारत में प्रतिदिन 8 एससी महिलाएं और 4 एससी बच्चे बलात्कार का शिकार होते हैं। आदिवासी महिलाओं और बच्चों के संबंध में, पांच वर्षों में बलात्कार के मामलों में 7.1% की वृद्धि हुई है और प्रतिदिन औसतन 3 आदिवासी महिलाएं व बच्चे इसका शिकार होते हैं। इसके अतिरिक्त, एससी महिलाओं के विरुद्ध 'पीछा करने' (stalking) और 'ताक-झांक' (voyeurism) के मामलों में भी क्रमशः 25.6% और 38.9% की वृद्धि देखी गई है, जो एससी महिलाओं की गतिशीलता और गरिमा को नियंत्रित करने के लिए निगरानी और डराने-धमकाने के बढ़ते स्वरूपों का संकेत देती है। एससी बच्चों से संबंधित पोक्सो (POCSO) के तहत दर्ज अपराधों में सबसे तीव्र वृद्धि देखी गई है। पोक्सो के तहत बच्चों पर हमलों में 50.8% की वृद्धि हुई है, जो नाबालिगों की असुरक्षित स्थिति और संवेदनशीलता को उजागर करती है।

वर्ष 2023 में अत्याचार से जुड़े मामलों में लंबित रहने की दर (pendency rate) अनुसूचित जाति के लिए 93.8% और अनुसूचित जनजाति के लिए 93% के चिंताजनक स्तर पर बनी हुई है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा एससी/एसटी अधिनियम[28] के तहत प्रस्तुत वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, भारत के 498 जिलों में केवल 194 अनन्य विशेष अदालतें स्थापित की गई हैं, जो कुल जिलों का मात्र 39% हिस्सा ही कवर करती हैं। मामलों के निपटारे में यह निरंतर देरी स्पष्ट रूप से विशेष अदालतों की कमी, विशेष लोक अभियोजकों की अनुपलब्धता व उनके सीमित प्रभाव, और एससी/एसटी (PoA) अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु निर्धारित संस्थागत तंत्र की समग्र विफलता को दर्शाती है।

बढ़ते अत्याचारों, दोषसिद्धि की कम दर (low conviction rates) और भारी लंबित मामलों के इस संदर्भ में, न्याय तक पहुँच को सुदृढ़ करने के लिए बजटीय आवंटन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वित्त वर्ष 2026-27 के लिए, 'नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955' और 'अत्याचार निवारण अधिनियम 1989' के प्रवर्तन तंत्र को मजबूत करने की योजना के तहत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की सुरक्षा हेतु कुल आवंटन ₹550 करोड़ है, जो वित्त वर्ष 2025-26 की तुलना में 18.8% की वृद्धि दर्शाता है। यहाँ यह ध्यान देना आवश्यक है कि इन तंत्रों को मजबूत करने के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत आवंटन वित्त वर्ष 2024-25 के ₹550 करोड़ से घटकर वित्त वर्ष 2025-26 में ₹463 करोड़ हो गया था, लेकिन वित्त वर्ष 2026-27 के लिए इसे फिर से बढ़ाकर वित्त वर्ष 2024-25 के बराबर कर दिया गया है; हालांकि, पर्याप्त धनराशि की आवश्यकता को पूरा करने के लिए इसमें कोई नई अतिरिक्त वृद्धि नहीं की गई है।

यह आवंटन पीड़ितों को राहत, सामाजिक-आर्थिक पुनर्वास, कानूनी सहायता और संस्थागत सुदृढ़ीकरण की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अत्यंत अपर्याप्त है, जिसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में विशेष पुलिस स्टेशन, अनन्य विशेष अदालतें और अंतर-जातीय विवाह योजनाएं शामिल हैं। यह ध्यान देना आवश्यक है कि वित्त वर्ष 2024-25 में कम बजट आवंटन के बावजूद, इस योजना के तहत कुल बजट अनुमान का 90% उपयोग किया गया था। इसके विपरीत, भले ही कार्यान्वयन योजना के निर्धारित दायरे से काफी कम और अप्रभावी रहा, फिर भी व्यय आवंटित राशि के 90% तक पहुंच गया। यह स्पष्ट रूप से संकेत देता है कि वर्तमान बजटीय आवंटन बहुत ही अपर्याप्त है। वास्तव में, वास्तविक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आवंटन को वर्तमान स्तर से काफी अधिक होना चाहिए।

केंद्र सरकार का जेंडर बजट (Gender Budget) सभी योजनाओं के तहत महिलाओं और लड़कियों के लिए आवंटित धनराशि को निर्दिष्ट करता है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं व लड़कियों द्वारा झेली जाने वाली दोहरी और परस्पर हिंसा व शोषण के बावजूद, वित्त वर्ष 2026-27 के लिए आवंटित बजट मात्र ₹165 करोड़ है। इस योजना के तहत कुल बजट और जेंडर बजट, दोनों में वित्त वर्ष 2025-26 की तुलना में एक ही जैसा रुझान देखा गया है, जो कि 18.8% की वृद्धि है; लेकिन यह बढ़ती हिंसा की समस्या के समाधान के लिए अब भी पर्याप्त नहीं है।

हालांकि, वित्त वर्ष 2026-27 का आवंटन वित्त वर्ष 2024-25 में आवंटित बजट के समान ही है। इसलिए, बजट में हुई इस वृद्धि को वास्तविक वृद्धि नहीं माना जा सकता, बल्कि यह केवल वित्त वर्ष 2025-26 में की गई कटौती की भरपाई करने का एक प्रयास मात्र है।

जाति-आधारित अत्याचारों की बढ़ती घटनाओं, दोषसिद्धि की लगातार कम दर और मामलों के चिंताजनक रूप से लंबित रहने के परिप्रेक्ष्य में, एससी/एसटी (अत्याचार निवारण) अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु केंद्र प्रायोजित योजना के तहत बजटीय आवंटन में पर्याप्त वृद्धि करने की तत्काल आवश्यकता है।

डॉ. अंबेडकर फाउंडेशन, जो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (MSJE) के तहत एक स्वायत्त संस्थान है, के अंतर्गत 'डॉ. अंबेडकर राष्ट्रीय अत्याचार पीड़ित अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति राहत योजना' बनाई गई थी। इस योजना के तहत राज्य सरकारों द्वारा दी जाने वाली राशि के अतिरिक्त, 5 लाख रुपये तक की पूरक राहत प्रदान की जाती थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य केंद्र सरकार द्वारा सीधे अत्याचार पीड़ितों को राष्ट्रीय स्तर पर सहायता उपलब्ध कराना था, क्योंकि सामान्यतः राहत राशि केवल संबंधित राज्य सरकारों द्वारा ही प्रदान की जाती है।

हालांकि, 1 अप्रैल 2023 से 'डॉ. अंबेडकर राष्ट्रीय अत्याचार पीड़ित एससी/एसटी राहत योजना' और 'अंतर-जातीय विवाह के माध्यम से सामाजिक एकीकरण के लिए डॉ. अंबेडकर योजना' का विलय (merger) 'नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम' और 'एससी/एसटी (अत्याचार निवारण) अधिनियम' के क्रियान्वयन हेतु 'केंद्र प्रायोजित योजना' (CSS) के साथ कर दिया गया। इसके परिणामस्वरूप, केंद्र सरकार द्वारा अत्याचार पीड़ितों को दी जाने वाली अतिरिक्त राहत बंद हो गई। अत्याचार पीड़ितों को समय पर अतिरिक्त सहायता सुनिश्चित करने के लिए, इस योजना को सीएसएस (CSS) से अलग कर डॉ. अंबेडकर फाउंडेशन के तहत एक स्वतंत्र योजना के रूप में फिर से बहाल करने और इसके लिए समर्पित फंड (dedicated funding) निर्धारित करने की

28 https://socialjustice.gov.in/writereaddata/UploadFile/62901726565718.pdf

तत्काल आवश्यकता है।

केंद्र सरकार को इस मद के तहत बढ़े हुए और लक्षित बजटीय आवंटन को प्राथमिकता देनी चाहिए, ताकि पुलिस जांच क्षमता को मजबूत किया जा सके, विशेष और अनन्य विशेष अदालतों का पूर्ण संचालन सुनिश्चित हो सके, और सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में समर्पित विशेष एवं अनन्य विशेष लोक अभियोजकों की नियुक्ति और निरंतर कामकाज की गारंटी दी जा सके।

तत्काल राहत, पीड़ित मुआवजे और व्यापक सामाजिक-आर्थिक पुनर्वास (जिसमें भूमि, आवास, शिक्षा और आजीविका सहायता शामिल है) के लिए पर्याप्त और समयबद्ध धनराशि निर्धारित की जानी चाहिए। वित्तीय प्रतिबद्धता और संस्थागत जवाबदेही में महत्वपूर्ण और निरंतर वृद्धि के बिना, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए न्याय तक पहुँच सीमित बनी रहेगी, जो कानून की मंशा और कानून के समक्ष समानता की संवैधानिक गारंटी, दोनों को कमजोर करती है। वित्त वर्ष 2024-25, 2025-26 और 2026-27 के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की 'अनुदान की विस्तृत मांग' (DDG) मंत्रालय की वेबसाइट पर अपडेट नहीं की गई है, जो नागरिकों के लिए पिछले वर्षों में आवंटित और खर्च किए गए बजट के विस्तृत पृथक्करण (segregation) को जानने की सुलभता को सीमित करती है। वेबसाइट पर उपलब्ध नवीनतम डीडीजी केवल वित्त वर्ष 2023-24 के लिए ही है।

निर्भया फंड: अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं व लड़कियों के लिए विशेष 'वन स्टॉप सेंटर' स्थापित करने की आवश्यकता

2012 की दिल्ली सामूहिक बलात्कार की घटना के बाद, वर्ष 2013 में 'निर्भया फंड' की स्थापना की गई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य देश भर में महिलाओं की सुरक्षा और संरक्षा को बढ़ावा देने वाली पहलों का समर्थन करना है।

निर्भया फंड के तहत समर्थित सबसे महत्वपूर्ण पहलों में से एक 'वन स्टॉप सेंटर' (OSC) योजना है, जिसे 2015 में शुरू किया गया था। ओएससी (OSC) का लक्ष्य हिंसा से प्रभावित महिला पीड़ितों को एक ही छत के नीचे एकीकृत सहायता सेवाएँ प्रदान करना है। इन सेवाओं में चिकित्सा सहायता, कानूनी सहायता, अस्थायी आश्रय और मनोवैज्ञानिक-सामाजिक परामर्श (psycho-social counselling) शामिल हैं। केंद्र सरकार ने प्रत्येक जिले में कम से कम एक ओएससी स्थापित करने की परिकल्पना की है। अब तक, देश भर में 876 ओएससी स्थापित किए जा चुके हैं।[29]

हालांकि, अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) की महिलाएं अपनी जाति, लिंग और सामाजिक-आर्थिक हाशिए पर होने की बहुस्तरीय और परस्पर जुड़ी पहचानों के कारण हिंसा के अत्यधिक उच्च जोखिम का सामना करती हैं। जबकि ओएससी (OSC) मुख्य रूप से जिला मुख्यालयों में स्थित हैं, यह 'शहर-केंद्रित' दृष्टिकोण अक्सर ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों की एससी और एसटी महिलाओं के लिए सहायता तक पहुँच को सीमित कर देता है। जाति-आधारित भेदभाव, कलंकित होने का डर और जिला केंद्रों से भौतिक दूरी उनकी समय पर सहायता प्राप्त करने की क्षमता को और अधिक बाधित करती है।

इसलिए, एससी और एसटी महिलाओं के लिए विशेष और सांस्कृतिक रूप से संवेदनशील ओएससी (OSC) स्थापित करने की महत्वपूर्ण आवश्यकता है, जो उनकी विशिष्ट असुरक्षाओं और पहुँच संबंधी बाधाओं को दूर करने के लिए तैयार किए गए हों। इसके अलावा, जिला मुख्यालयों से आगे उप-मंडल, ब्लॉक और नगर पंचायत स्तरों तक ओएससी का विस्तार करना अनिवार्य है। ऐसा विकेंद्रीकरण (decentralisation) ग्रामीण और हाशिए पर रहने वाली एससी और एसटी महिलाओं व लड़कियों के लिए पहुँच में महत्वपूर्ण सुधार करेगा, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि निर्भया फंड के तहत सहायता तंत्र समावेशी, सुलभ और उनकी 'परस्पर जुड़ी वास्तविकताओं' (intersectional realities) के प्रति जवाबदेह हैं।

दिव्यांगजनों (PwD) के लिए योजनाएँ:

दिव्यांगजन (PwDs) अक्सर भारत के सामाजिक-आर्थिक परिदृश्य में हाशिए पर रह जाते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार, भारत में 2.68 करोड़ लोग दिव्यांगता के साथ जी रहे हैं, जो 'दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम (RPwD), 2016' की परिभाषा के तहत कुल जनसंख्या का लगभग 2.21% है। इस जनसांख्यिकी में 2.45% (5,74,600) अनुसूचित जाति और 2.05% (5,33,000) अनुसूचित जनजाति के लोग शामिल हैं। हालांकि, हालिया राष्ट्रीय सर्वेक्षण संकेत देते हैं कि दिव्यांगता का प्रसार 4-8% के बीच कहीं अधिक हो सकता है, जिसका अर्थ है कि लगभग 40 से 90 मिलियन भारतीय ऐसी अक्षमताओं के साथ रह रहे हैं जो समाज और कार्यक्षेत्र में उनकी भागीदारी को प्रभावित करती हैं। अनुसूचित जाति और जनजाति समुदायों के लिए, सामाजिक हाशिए पर होने के कारण यह अलगाव और भी गहरा हो जाता है। एससी/एसटी समूहों के दिव्यांगजनों को गरीबी, दुर्गम बुनियादी ढांचे, शिक्षा व रोजगार में भेदभाव और कल्याणकारी योजनाओं की कमजोर पहुँच जैसी कई बाधाओं का सामना करना पड़ता है। 40% से भी कम दिव्यांगजनों को 'विशिष्ट दिव्यांगता पहचान पत्र' (UDID) प्राप्त हुआ है, जो अधिकांश कल्याणकारी कार्यक्रमों तक पहुँच के लिए अनिवार्य है; इसके अभाव में बहुसंख्यक दिव्यांगजन नीतिगत और बजटीय सुरक्षा उपायों से अदृश्य रह जाते हैं। दिव्यांगजनों के लिए रोजगार के अवसर निराशाजनक बने हुए हैं। गैर-दिव्यांग वयस्कों की 60% भागीदारी की तुलना में केवल 36% दिव्यांगजन ही कार्यबल का हिस्सा हैं। कॉर्पोरेट भारत में यह अलगाव और भी स्पष्ट है; 'दिव्यांग समावेशन सूचकांक 2025' के अनुसार, 37.9% सूचीबद्ध कंपनियों में स्थायी रोजगार में शून्य दिव्यांगजन हैं, और कॉर्पोरेट कार्यबल में उनका कुल प्रतिनिधित्व 1% से भी कम है। यह स्थिति आरपीडब्ल्यूडी (RPwD) अधिनियम के कोटा और भेदभाव-विरोधी अधिदेशों के बावजूद बनी हुई है। केंद्रीय बजट 2025 में दिव्यांगता समावेशन को कम प्राथमिकता देना जारी रखा गया, जिसमें अन्य क्षेत्रों में रिकॉर्ड वित्तीय विस्तार के बावजूद कुल परिव्यय का एक बहुत ही मामूली हिस्सा (पूरे बजट का लगभग 0.025%) दिव्यांग कल्याण के लिए आवंटित किया गया। एससी/एसटी दिव्यांगता आवंटन में कमी हाशिए पर रहने वाले दिव्यांगजनों की स्थिति

29 https://missionshakti.wcd.gov.in/statisticsOsc

को और खराब करती है। 'इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग पेंशन योजना' को एससी/एसटी बजट से हटा दिया गया है। यह योजना गंभीर या बहु-दिव्यांगता वाले 18-79 वर्ष की आयु के व्यक्तियों को केवल ₹300 प्रति माह प्रदान करती थी, जो कि पहले से ही अत्यंत अपर्याप्त थी और अब इसे पूरी तरह से वापस ले लिया गया है।

वित्त वर्ष 2026-27 के लिए अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) के बजट आवंटन में वृद्धि हुई है। अनुसूचित जाति के लिए आवंटन पिछले वित्त वर्ष के ₹115.66 करोड़ से बढ़कर अब ₹135.62 करोड़ हो गया है, जबकि अनुसूचित जनजाति के लिए भी आवंटन पिछले वित्त वर्ष के ₹59.91 करोड़ से बढ़कर ₹70.26 करोड़ हो गया है। अनुसूचित जाति के दिव्यांगजनों के लिए कुछ प्रमुख योजनाएं इस प्रकार हैं: क) दिव्यांग व्यक्तियों को सहायक यंत्रों और उपकरणों की खरीद या फिटिंग के लिए सहायता: बजट आवंटन ₹74 करोड़ है ख) दीनदयाल दिव्यांग पुनर्वास योजना: बजट आवंटन ₹27.72 करोड़ है ग) दिव्यांग व्यक्ति अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए योजना: बजट आवंटन ₹20.75 करोड़ है घ) दिव्यांग छात्रों के लिए छात्रवृत्ति: बजट आवंटन ₹13.15 करोड़ है। अनुसूचित जनजाति के दिव्यांग व्यक्तियों के लिए कुछ प्रमुख योजनाएं हैं: क) दिव्यांग व्यक्तियों को सहायक यंत्रों और उपकरणों की खरीद या फिटिंग के लिए सहायता: बजट आवंटन ₹37 करोड़ है ख) दीनदयाल दिव्यांग पुनर्वास योजना: बजट आवंटन ₹14.36 करोड़ है ग) दिव्यांग व्यक्ति अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए योजना: बजट आवंटन ₹10.75 करोड़ है घ) दिव्यांग छात्रों के लिए छात्रवृत्ति: बजट आवंटन ₹8.15 करोड़ है।

जलवायु परिवर्तन:

भारत 2025–26 के दौरान प्रमुख जलवायु और मौसम संबंधी घटनाओं का केंद्र रहा है। इस अवधि में देशभर में असामान्य रूप से तीव्र मौसमीय घटनाओं की एक विस्तृत श्रृंखला देखने को मिली, जिनमें लू और अत्यधिक तापमान, भारी वर्षा और बाढ़, चक्रवात और तूफान, शीत एवं पर्वतीय क्षेत्रीय घटनाएँ तथा बादल फटने जैसी घटनाएँ शामिल हैं। इन घटनाओं ने लाखों लोगों के जीवन, बुनियादी ढांचे, कृषि और सार्वजनिक स्वास्थ्य को गंभीर रूप से प्रभावित किया। हाशिए पर स्थित समूह, विशेषकर अनुसूचित जातियाँ (SC), अधिक प्रभावित होते हैं क्योंकि वे अक्सर अधिक जोखिम वाले क्षेत्रों में रहते हैं, जैसे नदी किनारे, तटीय क्षेत्र, निचले भू-भाग, बाढ़, लू और सूखे की आशंका वाले इलाके। उनकी सामाजिक-राजनीतिक और आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण जलवायु प्रभावों के प्रति उनकी अनुकूलन क्षमता और जलवायु लचीलापन (Resilience) अपेक्षाकृत कम होता है, जो मुख्यतः उनकी जातिगत पहचान से जुड़ा हुआ है। उनकी आय अस्थिर होती है और वह कृषि, मत्स्य पालन तथा दिहाड़ी मज़दूरी जैसे जलवायु-संवेदनशील क्षेत्रों पर निर्भर रहती है। छोटे और सीमांत किसानों तथा भूमिहीन मज़दूरों को भारी फसल नुकसान और संपत्ति क्षति का सामना करना पड़ा, जिससे गरीबी और खाद्य असुरक्षा और भी गहराती चली जाती है । लॉस एंड डैमेज (हानि और क्षति) के लिए उपलब्ध निधियाँ अक्सर देर से मिलती हैं या अपर्याप्त होती हैं। रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि 2025 में जलवायु की चरम घटनाओं ने "लाखों लोगों को उनकी अनुकूलन क्षमता की सीमा तक पहुँचा दिया", अर्थात लोगों की सामना करने या तैयारी करने की क्षमता समाप्त हो गई—विशेषकर वहाँ जहाँ सार्वजनिक सेवाएँ, जलवायु अनुकूलन बुनियादी ढांचे (Infrastructure) या बीमा प्रणालियाँ कमजोर थीं [30](1)। यह संकट समानतापूर्ण अनुकूलन नीतियों, बेहतर पूर्व चेतावनी प्रणालियों, लचीले बुनियादी ढाँचे तथा सबसे अधिक संवेदनशील समुदायों को लक्षित वित्तीय सहायता की आवश्यकता को विशेष रूप से उजागर करता है।

वर्ष 2025 में भारत को अभी तक अपना जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना (National Climate Action Plan) UNFCCC को प्रस्तुत करना बाकी है, जिसका मुख्य केंद्र देशभर में अनुकूलन क्षमताओं और जलवायु लचीलापन को सुदृढ़ करना है। भारत के आर्थिक सर्वेक्षण 2024–25[31] ने इस बढ़ती हुई समस्या की ओर संकेत किया है—हम जलवायु परिवर्तन के अनुरूप अनुकूलन के लिए पर्याप्त खर्च नहीं कर रहे हैं। हालाँकि अनुकूलन पर व्यय 2015–16 के वित्तीय वर्ष में हमारे सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के 3.7% से बढ़कर 2021–22 में 5.6% हो गया है, फिर भी यह पर्याप्त नहीं है। भारत में जलवायु संकट से प्रभावित हाशिए के समुदायों से जुड़े मुद्दों के समाधान हेतु उपलब्ध निधियों के संदर्भ में सबसे बड़ी चुनौती यह है कि जलवायु परिवर्तन के अनुकूलन से संबंधित कार्यक्रम और नीतियाँ उनकी वास्तविक कमजोरियों को केंद्र में रखकर, सही दृष्टिकोण के साथ तैयार नहीं की गई हैं। निर्णय-निर्माण प्रक्रियाओं से उनका बहिष्करण, नीतियों और कार्यक्रमों की निगरानी के लिए प्रभावी तंत्र का अभाव, त्रुटिपूर्ण संवेदनशीलता (Vulnerability Mapping) मानचित्रण, पक्षपातपूर्ण राहत कार्य, अनुकूलन कार्यक्रमों में राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी तथा अपर्याप्त और गैर-लक्षित निधियाँ—ये सभी जलवायु जोखिमों से निपटने में हाशिए के समुदायों की जलवायु लचीलापन क्षमता के निर्माण में प्रमुख बाधाएँ हैं।

नीति आयोग के 2018 के दिशानिर्देश देश के 41 मंत्रालयों और विभागों को यह अनिवार्य करते हैं कि वे अनुसूचित जातियों (SC) और अनुसूचित जनजातियों (ST) की जनसंख्या के अनुपात में बजट का आवंटन करें। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय जलवायु परिवर्तन अनुकूलन (CCA) और आपदा जोखिम न्यूनीकरण (DRR) के लिए नोडल एजेंसी है।

केंद्रीय बजट में प्रमुख मंत्रालयों और विभागों के अंतर्गत आने वाली महत्वपूर्ण योजनाओं की जलवायु परिवर्तन अनुकूलन (CCA) और आपदा जोखिम न्यूनीकरण (DRR) के दृष्टिकोण से समीक्षा करके यह आकलन किया जा सकता है कि कौन-सा विभाग और कौन-सी योजना अनुसूचित जातियों (SC) और अनुसूचित जनजातियों (ST) को जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने हेतु उनकी अनुकूलन और लचीलापन क्षमताओं के विकास में सहायता कर सकती है, तथा बजट आवंटन और व्यय के संदर्भ में ये योजनाएँ हाशिए के समुदायों के लिए किस हद तक लाभकारी हैं।

कृषि एवं किसान कल्याण:

इस विभाग के अंतर्गत अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST)

30 link: https://www.outlookindia.com/climate-and-environment/2025-extreme-weather-pushed-millions-to-Dalit Adivasi Budget Analysis 2026-27 27adaptation-limits-report
31 Link chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/ https://www.indiabudget.gov.in/economicsurvey/doc/eschapter/echap10.pdf

के किसानों की जलवायु लचीलापन क्षमता को सुदृढ़ करने हेतु कई योजनाएँ संचालित की जा रही हैं। विशेष रूप से, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए वित्त वर्ष 2025–26 में अनुसूचित जातियों के लिए 2,048 करोड़ रुपये तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए 970.04 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया था। वित्त वर्ष 2026–27 में यह आवंटन यथावत बना हुआ है और इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-Kisan) योजना के अंतर्गत वित्त वर्ष 2025–26 में अनुसूचित जातियों (SC) के लिए 11,707.50 करोड़ रुपये तथा अनुसूचित जनजातियों (ST) के लिए 5,657.50 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया था। वर्तमान वित्त वर्ष 2026–27 में भी इस योजना के लिए आवंटन में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है और यह यथावत बना हुआ है।

प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण योजना (PM-AASHA) के लिए वित्त वर्ष 2025–26 में अनुसूचित जातियों (SC) हेतु 1,726.39 करोड़ रुपये तथा अनुसूचित जनजातियों (ST) हेतु 696.95 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया था। वित्त वर्ष 2026–27 के लिए यह आवंटन घटकर अनुसूचित जातियों के लिए 1,314.72 करोड़ रुपये और अनुसूचित जनजातियों के लिए 681.12 करोड़ रुपये रह गया है।

हम इस बात की सराहना करते हैं कि इस विभाग के अंतर्गत किया गया आवंटन अनुसूचित जातियों (SC) और अनुसूचित जनजातियों (ST) की कुल जनसंख्या के अनुपात में है, लेकिन आउटकम बजट के गहन विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि इन योजनाओं के अंतर्गत SC और ST लाभार्थियों का कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है। चूँकि ये सामान्य (जनरल) योजनाएँ हैं, इसलिए प्रक्रियाओं में मौजूद विभिन्न कानूनी जटिलताओं और औपचारिकताओं के कारण SC और ST लाभार्थी इन योजनाओं का पूरा लाभ प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। अतः हम यह अनुशंसा करते हैं कि अधिक लक्षित योजनाएँ शुरू की जाएँ और उनका बिना किसी निधि-विचलन के समुचित उपयोग सुनिश्चित किया जाए, साथ ही आउटकम बजट में SC और ST लाभार्थियों का स्पष्ट और सटीक उल्लेख किया जाना चाहिए।

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन:

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत वित्त वर्ष 2025–26 में अनुसूचित जातियों (SC) के लिए कुल मंत्रालयीय बजट का केवल 4.7% तथा अनुसूचित जनजातियों (ST) के लिए 4.9% ही आवंटित किया गया था। वित्त वर्ष 2026–27 में भी यही प्रवृत्ति जारी रही, जहाँ SCs के लिए 4.4% और STs के लिए 4.6% का ही आवंटन किया गया। यह नीति आयोग के दिशानिर्देशों का स्पष्ट उल्लंघन है। यह मंत्रालय जलवायु परिवर्तन के लिए नोडल एजेंसी है, लेकिन उल्लेखनीय रूप से इस मंत्रालय के अंतर्गत कोई भी ऐसी योजना नहीं है जो SC और ST समुदायों के कल्याण के लिए उपयोगी हो, जबकि ये समुदाय जलवायु संकट के कारण सबसे अधिक संवेदनशील हैं और प्रतिकूल रूप से प्रभावित होते हैं। अतः अनुशंसा की जाती है कि जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के विरुद्ध SC और ST समुदायों की लचीलापन क्षमता को सुदृढ़ करने हेतु "बिल्ड बैक बेटर (Build Back Better – BBB)" दृष्टिकोण के साथ विशेष रूप से लक्षित योजनाएँ शुरू की जाएँ।

मत्स्य पालन:

नदी किनारे बसे अनुसूचित जाति (SC) समुदायों के लिए मत्स्य पालन मुख्य आजीविका है और उन्हें जलवायु, आर्थिक तथा सामाजिक—तीनों प्रकार की अंतर्व्याप्त (intersecting) संवेदनशीलताओं का सामना करना पड़ता है। उन्हें नावों और अन्य उपकरणों के लिए प्रभावशाली वर्गों पर निर्भर रहकर उधार लेना पड़ता है। बाढ़ और चक्रवात के दौरान उनकी नावों, जालों और उपकरणों को भारी नुकसान होता है, जबकि मुआवज़ा अक्सर अपर्याप्त रहता है। मत्स्य पालन विभाग के अंतर्गत प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY), जो लचीलापन और अनुकूलन के दृष्टिकोण से एक महत्वपूर्ण योजना है, के लिए वित्त वर्ष 2025–26 में अनुसूचित जातियों (SC) के लिए 415 करोड़ रुपये और अनुसूचित जनजातियों (ST) के लिए 246 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया था। वित्त वर्ष 2026–27 में इसी मद के अंतर्गत अनुसूचित जातियों के लिए 426 करोड़ रुपये तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए 227 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। फिर से, आउटकम बजट 2026–27 में अनुसूचित जातियों (SC) और अनुसूचित जनजातियों (ST) का कोई विशेष उल्लेख नहीं किया गया है, और प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY) एक सामान्य योजना होने के कारण SC और ST समुदायों के लिए इसके लाभों तक पहुँच बनाना कठिन बना रहता है।

दूसरे, यह योजना अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/महिला लाभार्थियों को 60% की छूट (Subsidy) प्रदान करती है, लेकिन भूमि, नावों, लाइसेंसों और जल निकायों तक पहुँच के अभाव, बैंक खाता, ऋण पर निर्भरता तथा प्रारंभिक निवेश की कमी के कारण वे इस योजना के लाभों तक पहुँचने में असमर्थ रहते हैं। इसके अतिरिक्त, SC मत्स्य समुदाय के पास परिवहन ट्रकों और इंसुलेटेड वाहनों के अभाव में बाज़ार तक पहुँच नहीं है, जबकि सब्सिडी की राशि बाद में प्रतिपूर्ति (reimbursement) के रूप में दी जाती है, जिससे प्रारंभिक पूँजी जुटा पाना संभव नहीं हो पाता। वास्तव में, उन्हें इसके लिए प्रभावशाली समुदायों पर निर्भर रहना पड़ता है। अतः यह समय की आवश्यकता है कि मत्स्य समुदायों की जलवायु लचीलापन क्षमता को सुदृढ़ किया जाए, विशेषकर जब उनमें से अधिकांश अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से संबंधित हैं। योजना में अधिक लक्षित और विशिष्ट, आवश्यकता-आधारित प्रावधानों को शामिल किया जाना आवश्यक है। वर्तमान में SC और ST के अंतर्गत किया गया बजट आवंटन इस अंतर (gap) को पूरा करने के लिए अपर्याप्त है।

पेयजल और स्वच्छता:

अनुसूचित जाति (SC) समुदायों के लिए पानी तक पहुँच हमेशा से एक संघर्ष रही है, और पानी तक पहुँचने के कारण जाति-आधारित हिंसा और भेदभाव का शिकार होना कोई नई बात नहीं है। SC समुदायों के लिए जल-अप्राप्यता का मुख्य कारण जाति है, क्योंकि SC-बाहुल्य क्षेत्रों में निरंतर और पर्याप्त जल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए संसाधनों में निवेश करने की राजनीतिक इच्छाशक्ति बहुत कम रही है। सूखे जैसी आपदाओं के दौरान यह चुनौती और भी बढ़ जाती है, विशेषकर उत्तरी राज्यों में—जैसे उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड क्षेत्र और महाराष्ट्र का मराठवाड़ा क्षेत्र। पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय को वित्त वर्ष 2025–26 में कुल

74,226.02 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया, जिसमें से 10,154.90 करोड़ रुपये (कुल आवंटन का 13.6%) अनुसूचित जातियों (SC) के लिए तथा 4,615.90 करोड़ रुपये (कुल आवंटन का 6.21%) अनुसूचित जनजातियों (ST) के लिए निर्धारित किए गए। वित्त वर्ष 2026–27 में मंत्रालय के लिए कुल आवंटन 74,894.86 करोड़ रुपये है, जिसमें से 16,242.30 करोड़ रुपये (कुल आवंटन का 21.6%) अनुसूचित जातियों के लिए तथा 7,382.90 करोड़ रुपये (कुल आवंटन का 9.8%) अनुसूचित जनजातियों के लिए आवंटित किए गए हैं। जल जीवन मिशन (JJM) / राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल मिशन की शुरुआत वर्ष 2019 में सभी ग्रामीण परिवारों को सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से की गई थी। वित्त वर्ष 2025–26 में इस योजना के अंतर्गत अनुसूचित जातियों के लिए 8,800 करोड़ रुपये तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए 4,000 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया गया था। पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष अनुसूचित जातियों (SC) के लिए आवंटन बढ़ाकर 14,887.40 करोड़ रुपये (कुल आवंटन का 19.8%) तथा अनुसूचित जनजातियों (ST) के लिए 6,767 करोड़ रुपये (कुल आवंटन का 9%) कर दिया गया है। हालांकि यह एक सामान्य (जनरल) योजना है, जिसके कारण SC और ST परिवारों को व्यवस्थित रूप से इससे बाहर रखा जा रहा है। अतः स्वच्छ पेयजल की सुनिश्चित उपलब्धता के लिए लक्षित योजनाओं को शुरू करने की अनुशंसा की जाती है।

नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा:

हाशिए पर स्थित समुदायों का कार्बन उत्सर्जन में योगदान बहुत कम है, फिर भी उन्हें जलवायु संकट का सबसे अधिक दुष्प्रभाव झेलना पड़ता है। विश्व तेज़ी से नवीकरणीय ऊर्जा की ओर बढ़ रहा है। नवीकरणीय ऊर्जा हाशिए के समुदायों के लिए परिवर्तनकारी साबित हो सकती है, लेकिन तभी जब यह संक्रमण (Transition) न्यायसंगत, सहभागी और अधिकार-आधारित हो। एक न्यायपूर्ण ऊर्जा संक्रमण में अनुसूचित जातियों (SC), अनुसूचित जनजातियों (ST), महिलाओं और ग्रामीण गरीबों को केंद्र में रखा जाना चाहिए, न कि हाशिए पर। भारत की नवीकरणीय ऊर्जा संक्रमण प्रक्रिया में अनुसूचित जातियों (SC) और अन्य हाशिए के समूहों को शामिल करने के लिए केवल बिजली तक पहुँच पर्याप्त नहीं है; इसके लिए संरचनात्मक, आर्थिक और राजनीतिक समावेशन की आवश्यकता है। भारत ने 2070 तक नेट-ज़ीरो उत्सर्जन के लक्ष्य को हासिल करने की प्रतिबद्धता जताई है, लेकिन नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MoNRE) के अंतर्गत चल रही नीतियों और कार्यक्रमों में संवेदनशील समूहों को मुश्किल से ही स्थान मिल पाता है।

वित्त वर्ष 2025–26 में इस मंत्रालय को कुल 26,549.38 करोड़ रुपये का आवंटन प्राप्त हुआ, जिसमें से अनुसूचित जातियों (SC) के लिए 2,180 करोड़ रुपये तथा अनुसूचित जनजातियों (ST) के लिए 2,258 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए थे। वर्तमान वर्ष में इस मंत्रालय के अंतर्गत कुल आवंटन बढ़कर 32,914.67 करोड़ रुपये हो गया है, जिसमें से अनुसूचित जातियों के लिए 2,573 करोड़ रुपये तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए 2,665.97 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

सोलर पावर (ग्रिड) नामक विशिष्ट योजना के अंतर्गत अनुसूचित जातियों (SC) के लिए 149.40 करोड़ रुपये तथा अनुसूचित जनजातियों (ST) के लिए 152.65 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया गया है। दूसरी योजना किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (KUSUM) के अंतर्गत अनुसूचित जातियों के लिए 400 करोड़ रुपये और अनुसूचित जनजातियों के लिए 415 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जो पिछले वर्ष की तुलना में दोगुना है। हालाँकि यह भी एक सामान्य (जनरल) योजना है और अन्य सामान्य योजनाओं की तरह, भूमि और संसाधनों की कमी के कारण—विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में—अनुसूचित जातियों की इसकी पहुँच बहुत सीमित है। सब्सिडी और रूफटॉप सोलर के लाभ मुख्यतः शहरी और मध्यम वर्गीय परिवारों तक ही सीमित रह जाते हैं, जबकि SC और ST समुदायों का इसमें पर्याप्त समावेशन नहीं है। गरीब परिवार प्रारंभिक लागत, दस्तावेज़ी औपचारिकताओं और ऋण तक पहुँच की कमी के कारण इन योजनाओं का लाभ उठाने में संघर्ष करते हैं।

एक बार फिर, भूमि स्वामित्व एक प्रमुख बाधा (gatekeeper) बनकर सामने आता है और भूमि का स्वामित्व प्रमाण (Land Title) समुदाय के लिए सबसे बड़ी रुकावट है। इसके अतिरिक्त, किसान लाभार्थियों को कुल लागत का 30–40% स्वयं वहन करना पड़ता है और सब्सिडी स्थापना के बाद मिलती है। यह हमारी समुदायों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। अतः अनुसूचित जातियों (SC) और अनुसूचित जनजातियों (ST) के बहिष्करण से बचने के लिए पर्याप्त वित्तपोषण के साथ विशेष योजनाएँ शुरू की जानी चाहिए तथा व्यय की समुचित और संवेदनशील योजना बनाई जानी चाहिए।[32]

बाल अधिकार:

भारत में बाल अधिकारों को जातिगत वास्तविकताओं से अलग करके नहीं समझा जा सकता है। अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) के बच्चों के लिए, बचपन स्वयं एक ढांचागत हिंसा (structural violence) से आकार लेता है, जो गरीबी, स्कूलों में भेदभाव, असुरक्षित जीवन स्थितियों, बाल श्रम और दुर्व्यवहार के प्रति अत्यधिक संवेदनशीलता के रूप में प्रकट होता है। संवैधानिक गारंटी और कई बाल-केंद्रित कानूनों के बावजूद, एससी/एसटी बच्चों की जमीनी हकीकत अधिकारों को सुरक्षा में बदलने में केंद्रीय बजट की निरंतर विफलता को उजागर करती है। भारत लगभग 47 करोड़ बच्चों का घर है, जिनमें से लगभग 8 करोड़ अनुसूचित जाति से और 4.5 करोड़ अनुसूचित जनजाति से हैं। कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन लगातार यह दर्शाते हैं कि एससी/एसटी बच्चे पोषण, शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा संकेतकों के मामले में बदतर परिणामों का सामना करते हैं। एनएफएचएस-5 (NFHS-5) के अनुसार, एससी/एसटी बच्चों में नाटापन (stunting), कमजोरी (wasting) और एनीमिया का स्तर काफी ऊंचा बना हुआ है, जो उस अंतर-पीढ़ीगत अभाव (intergenerational deprivation) को दर्शाता है जिसे बजटीय हस्तक्षेप रोकने में विफल रहे हैं।

हमारे अध्ययन दर्शाते हैं कि 6-17 वर्ष की आयु के 22.8% अनुसूचित जाति (SC) के बच्चे स्कूल से बाहर हैं। भेदभाव की स्थिति एससी बच्चों के बीच स्कूल छोड़ने (ड्रॉपआउट) की प्रवृत्ति में भारी योगदान देती है, जिसमें अनुसूचित जाति

32 Link chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/ https://www.indiabudget.gov.in/economicsurvey/doc/eschapter/echap10.pdf

की लड़कियों के बीच स्कूल छोड़ने का अनुपात और भी अधिक है।

हालांकि भारत ने प्राथमिक स्तर पर लगभग सार्वभौमिक नामांकन (near-universal enrolment) प्राप्त कर लिया है, लेकिन माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तरों पर अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) के बच्चों की स्कूल छोड़ने (ड्रॉपआउट) की दर तेजी से बढ़ती है। एनसीईआरटी (NCERT), एनयूईपीए (NUEPA) और नागरिक समाज संगठनों के अध्ययन लगातार सरकारी स्कूलों—विशेष रूप से ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में—जाति-आधारित बदतमीजी (bullying), बैठने और भोजन में अलगाव, अपमानजनक श्रम कार्य और शिक्षकों के पूर्वाग्रह को दर्ज करते हैं। ये अनुभव सीधे तौर पर स्कूल से दूरी, कम उम्र में पढ़ाई छोड़ने और मनोवैज्ञानिक नुकसान में योगदान देते हैं। यूनिसेफ (UNICEF), निमहंस (NIMHANS) और बाल अधिकार संगठनों के अध्ययन लगातार दिखाते हैं कि हाशिए पर रहने वाले सामाजिक समूहों के बच्चे चिंता, अवसाद, कम आत्मसम्मान और आघात से संबंधित लक्षणों का उच्च स्तर अनुभव करते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि कोई भी राष्ट्रीय योजना स्पष्ट रूप से जाति-आधारित भेदभाव को मानसिक स्वास्थ्य जोखिम कारक के रूप में मान्यता नहीं देती है, जिससे एससी/एसटी बच्चे नीतिगत ढांचे के भीतर अदृश्य हो जाते हैं। यूएनएफपीए (UNFPA) इंडिया द्वारा एनएफएचएस-5 (2019–21) पर आधारित विश्लेषण के अनुसार, एससी/एसटी समुदायों की 20-24 वर्ष की लगभग 26% महिलाओं का विवाह 18 वर्ष की आयु से पहले कर दिया गया था, जो यह दर्शाता है कि जाति किस प्रकार प्रारंभिक किशोरावस्था से ही लड़कियों के जीवन की दिशा तय करती है। फिर भी, केंद्रीय बजट आवंटन स्कूलों में जातिगत भेदभाव को दूर करने, शिकायत निवारण तंत्र या हाशिए पर रहने वाले बच्चों के लिए मनोवैज्ञानिक-सामाजिक सहायता हेतु धन निर्धारित किए बिना, बुनियादी ढांचे और डिजिटल पहलों को प्राथमिकता देना जारी रखता है। एससी/एसटी बच्चों के लिए आवासीय विद्यालय और छात्रवृत्तियां आवश्यकता की तुलना में कम वित्त पोषित बनी हुई हैं, और हॉस्टल की स्थिति असुरक्षित और अत्यधिक भीड़भाड़ वाली बनी हुई है।

बाल श्रम (निषेध और विनियमन) अधिनियम और शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत कानूनी प्रतिबंधों के बावजूद, बाल श्रम की समस्या अभी भी बनी हुई है—जो अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) के बच्चों को असमान रूप से प्रभावित करती है। हालिया श्रम और बचाव डेटा दिखाते हैं कि खतरनाक श्रम से छुड़ाए गए अधिकांश बच्चे एससी/एसटी समुदायों से संबंधित हैं, जो कृषि, ईंट भट्टों, घरेलू काम, खनन, निर्माण और अनौपचारिक शहरी सेवाओं में कार्यरत हैं। केंद्रीय बजट की विफलता न केवल प्रवर्तन (enforcement) आवंटन की कमी में है, बल्कि उन आर्थिक मजबूरियों को दूर करने की अक्षमता में भी है जो एससी/एसटी बच्चों को काम की ओर धकेलती हैं। वास्तविक मजदूरी में गिरावट, श्रम का अनौपचारिकीकरण, मौसमी पलायन और माता-पिता के लिए अपर्याप्त सामाजिक सुरक्षा सीधे तौर पर बाल श्रम का कारण बनती है—फिर भी बाल संरक्षण योजनाएं खंडित हैं और उनमें संसाधनों की भारी कमी है।

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) के आंकड़े एक विचलित करने वाले पैटर्न को उजागर करते हैं: यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम के तहत बच्चों पर होने वाले हमलों में 50.8% पीड़ित एससी/एसटी समुदायों से हैं। यह जातिगत सत्ता, लैंगिक हिंसा और आर्थिक असुरक्षा के आपसी जुड़ाव को दर्शाता है। एससी और एसटी बच्चे—विशेष रूप से लड़कियां—यौन शोषण, तस्करी और दुर्व्यवहार के प्रति अत्यधिक संवेदनशील हैं, जो अक्सर दबंग जातियों के अपराधियों द्वारा किया जाता है, जहाँ दोषसिद्धि की दर कम है और न्याय में देरी होती है। इसके बावजूद, बाल संरक्षण संस्थानों, विशेष अदालतों, पीड़ित मुआवजे और पुनर्वास के लिए केंद्रीय बजट आवंटन अत्यंत अपर्याप्त बना हुआ है। बाल संरक्षण प्रणालियों के भीतर कोई 'जाति-संवेदनशील बजटिंग' (caste-sensitive budgeting) नहीं है, और एससी/एसटी बच्चों की विशिष्ट असुरक्षाएं योजनाओं के स्वरूप या निगरानी ढांचे में दिखाई नहीं देती हैं।

वित्त वर्ष 2026-27 के लिए, अनुसूचित जाति (SC) के बच्चों का कुल बजट ₹26,617.76 करोड़ है और अनुसूचित जनजाति (ST) के बच्चों का कुल बजट ₹20,224.43 करोड़ है। कुल एससी बजट की तुलना में यह हिस्सा 13.55% है,

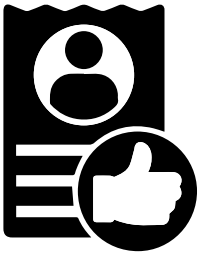

सिफ़ारिशें

विधायी ढाँचा और जवाबदेही तंत्र:

- सरकार को अनुसूचित जाति उप-योजना (SCP) और जनजातीय उप-योजना (TSP) बजट के लिए एक केंद्रीय कानून बनाना चाहिए। यह कानून विकास के अंतराल को कानूनी रूप से पाटने (bridge the gap) के लिए अनिवार्य है। साथ ही, इस बजटीय तंत्र को SNA-SPARSH फ्रेमवर्क के साथ जोड़ा जाना चाहिए ताकि पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित की जा सके।

- पारदर्शिता और जवाबदेही को अनिवार्य किया जाना चाहिए। कानून में पारदर्शिता और जवाबदेही से जुड़े कड़े विधायी (legislative) सिद्धांतों का पालन सुनिश्चित किया जाना चाहिए, ताकि राजकोषीय अनुशासन कायम रह सके।

- यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि इन विधायी प्रावधानों को वास्तविक व्यय के माध्यम से लागू करने और विकास में मौजूद संरचनात्मक असमानताओं को दूर करने के लिए, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए लक्षित सभी योजनाओं को SNA SPARSH तंत्र के अंतर्गत पूर्ण रूप से क्रियाशील किया जाना चाहिए, ताकि बजट की विश्वसनीयता सुनिश्चित की जा सके।

- पोस्ट-फैक्टो लेखांकन से आगे बढ़कर सक्रिय योजना निर्माण की ओर बदलाव आवश्यक है। वर्तमान में नीति आयोग के दिशानिर्देशों के अनुसार कुल CSS और CS योजनाओं से अनुसूचित जातियों के लिए 14.6 प्रतिशत और अनुसूचित जनजातियों के लिए 8.4 प्रतिशत का प्रावधान अनिवार्य किया गया है। इसलिए केवल निर्धारित प्रतिशत लक्ष्य को औपचारिक रूप से पूरा करने तक सीमित रहने के बजाय, नोडल मंत्रालयों, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय और जनजातीय कार्य मंत्रालय, को नीति आयोग के साथ समन्वय में योजनाओं का पुनर्गठन करना चाहिए, ताकि सामान्य और गैर-लक्षित योजनाओं के स्थान पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए लक्षित योजनाओं को स्पष्ट प्राथमिकता दी जा सके।

आजीविका:

- आय सृजन, उद्यमिता और आजीविका से जुड़ी ऋण योजनाएँ और कार्यक्रम तभी प्रभावी, सार्थक और क्रियान्वयन योग्य हो सकते हैं, जब उनका उद्देश्य योजना की शर्तों और लाभ प्राप्त करने की वास्तविक शर्तों से मेल खाता हो। इसलिए, यह अत्यंत आवश्यक है कि ऋण योजनाओं की शर्तों और नियमों की समीक्षा की जाए और उनमें ऐसे बदलाव किए जाएँ, जिससे वे वास्तव में सुलभ बन सकें। ऋण राशि के वितरण में बैंकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा की जाने वाली देरी, अनुचित अस्वीकृति और अनावश्यक हस्तक्षेप को गंभीरता से संज्ञान में लिया जाना चाहिए। इस तरह के अन्यायपूर्ण व्यवहार के विरुद्ध समयबद्ध हस्तक्षेप और आवश्यक कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जानी चाहिए।

स्वच्छता और अग्रिम पंक्ति कार्यकर्ता:

- हम दृढ़ता से अनुशंसा करते हैं कि NAMASTE योजना में, पूर्ववर्ती SRMS योजना की तरह, मानवाधिकार के दृष्टिकोण को पुनः स्थापित किया जाए। स्वच्छता कर्मियों, विशेष रूप से महिला कचरा बीनने वालों की एक अत्यंत महत्वपूर्ण और तात्कालिक माँग समय पर चिकित्सा सहायता और स्वास्थ्य बीमा की उपलब्धता है, क्योंकि ठेला खींचने जैसे भारी श्रम उनके प्रजनन स्वास्थ्य को गंभीर रूप से प्रभावित कर रहे हैं। यद्यपि ये महिलाएँ आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत आच्छादित हैं, फिर भी उन्हें व्यवस्थित रूप से समय पर चिकित्सा सहायता से वंचित किया जा रहा है। इसलिए, आयुष्मान भारत के अतिरिक्त लाभों के साथ-साथ महिला स्वच्छता कर्मियों के लिए चिकित्सा बीमा का एक विशेष घटक अनिवार्य किया जाना चाहिए।

- स्वच्छता उद्यमी योजना (SUY) के अंतर्गत श्रमिकों की सुरक्षा और कल्याण के लिए कुल निधि का कम से कम 20 प्रतिशत अनिवार्य रूप से निर्धारित किया जाना चाहिए। हम अनुशंसा करते हैं कि कम से कम ₹8,000 करोड़ (श्रमिकों और उनके आश्रितों के कल्याण हेतु) और ₹6,000 करोड़ (श्रमिकों की सुरक्षा हेतु) आवंटित किए जाएँ, ताकि SUY के अंतर्गत स्वच्छता कार्य से इतर आजीविका के अवसरों का विस्तार किया जा सके। इसका उद्देश्य अनुसूचित जातियों को विभिन्न रूपों में बार-बार स्वच्छता कार्य में धकेलने की इस प्रणालीगत प्रवृत्ति को समाप्त करना है। इस संरचनात्मक दबाव को तोड़ते हुए, स्वच्छता कार्य के दायरे से बाहर वैकल्पिक कार्य अवसरों के लिए ठोस सहायता प्रदान की जानी चाहिए।

शिक्षा:

- सरकार को आधार भुगतान सेतु प्रणाली को सुदृढ़ करके छात्रवृत्ति का समय पर वितरण सुनिश्चित करना चाहिए और विलंब की स्थिति में संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय करनी चाहिए।

- यह अनुशंसा की जाती है कि पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति और राष्ट्रीय विदेशी छात्रवृत्ति (पुरस्कार राशि और बजट—दोनों) में और अधिक वृद्धि की जाए तथा इन्हें शिक्षण शुल्क और महँगाई दर से जोड़ा जाए।

- आर्थिक बहिष्करण से निपटने के लिए IITs, IIMs और केंद्रीय विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले SC/ST छात्रों के लिए शिक्षण शुल्क, आवास और जीवन-यापन की लागत को तर्कसंगत बनाया जाना चाहिए।

- कम आय वाले SC/ST परिवारों के विद्यार्थियों के लिए, जो व्यावसायिक

शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, ब्याज अनुदान (interest subsidy) और बिना जमानत के शिक्षा ऋण प्रदान किए जाने चाहिए।

- उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत SC और ST के लिए किए जाने वाले बजटीय आवंटनों में सामान्य संस्थागत अनुदानों के बजाय छात्रों पर केंद्रित परिणामों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
- हम दृढ़ता से अनुशंसा करते हैं कि प्रधानमंत्री बालिका छात्रावास योजना पर पुनर्विचार किया जाए या उसका पुनर्गठन किया जाए, ताकि SC और ST बालिकाओं के लिए शिक्षा के अवसर सुरक्षित रह सकें। सुरक्षित आवास की उपलब्धता शिक्षा तक समान पहुँच और दीर्घकालिक सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है।
- उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता को बढ़ावा देने के विनियम, 2026 को लागू करने के साथ-साथ, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) को उनके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराने चाहिए।

भूमि अधिकार और कृषि:

- अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) समुदायों को कम से कम 5 एकड़ भूमि की व्यवहार्य सीमा (viable threshold) तक पहुँचाने में मदद करने के लिए वर्तमान में कोई नई या अभिनव योजनाएँ नहीं हैं। अतः, सरकार को अनुसूचित जाति एवं जनजाति बजट के तहत कृषि बजट का एक हिस्सा एक समर्पित 'भूमि खरीद योजना' के लिए निर्धारित (earmark) करना चाहिए। इस योजना को राज्य के नेतृत्व में कृषि योग्य भूमि के अधिग्रहण और उसे SC/ST परिवारों के बीच पुनर्वितरित करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। इसमें महिला घर-मुखियाओं को विशेष प्राथमिकता दी जानी चाहिए, जिनके पास वर्तमान में कुल भूमि का बहुत छोटा हिस्सा (SC महिलाओं के लिए 0.23 करोड़ और ST महिलाओं के लिए 0.16 करोड़) ही उपलब्ध है।"

महिलाओं के भूमि स्वामित्व को औपचारिक रूप देना और प्रोत्साहित करना:

- महिला भागीदारी में मामूली वृद्धि अवश्य हुई है, जैसे SC महिलाओं के भूमि स्वामित्व का अनुपात 12.27% से बढ़कर 13.43% हो गया है, लेकिन भूमि का स्वामित्व अब भी भारी रूप से पुरुषों के पास केंद्रित है, जहाँ 86% से अधिक भूमि पुरुषों के स्वामित्व में है। इसलिए, विशेष रूप से उन राज्यों में जहाँ महिलाओं की भागीदारी कम है, राज्य सरकारों को महिलाओं के नाम पर भूमि पंजीकरण को बढ़ावा देने के लिए स्टांप शुल्क (stamp duty) में छूट या कम पंजीकरण शुल्क जैसी सुविधाएँ प्रदान करनी चाहिए।

लैंगिक न्याय:

- SC और ST बजट के अंतर्गत विशेष SC/ST महिला घटक (DWC) के रूप में SC और ST महिलाओं से जुड़े मुद्दों के लिए कुल बजट का 50 प्रतिशत आवंटित किया जाना चाहिए।
- हम दृढ़ता से अनुशंसा करते हैं कि परिणाम-आधारित निगरानी को अनिवार्य किया जाए, जिसमें योजनाओं और कार्यक्रमों के मापनीय और ठोस प्रभावों के वार्षिक ऑडिट पर विशेष ज़ोर हो, विशेषकर हाशिए पर स्थित समुदायों की महिलाओं के संदर्भ में। बजटीय आवंटन, उपयोग और योजनाओं के क्रियान्वयन का नियमित ऑडिट किया जाना चाहिए, ताकि लैंगिक न्याय की आपूर्ति में मौजूद खामियों और चुनौतियों की पहचान की जा सके, और साथ ही अच्छी प्रथाओं को आगे बढ़ाया जा सके, जिससे हाशिए पर स्थित समुदायों की महिलाओं की स्थिति में सुधार हो सके।
- हमारा सुझाव है कि स्वच्छता, सार्वजनिक स्वास्थ्य और आंगनवाड़ी केंद्रों एवं प्रारंभिक बाल देखभाल केंद्रों जैसे सामुदायिक संस्थानों में अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं (Frontline workers) की संख्या में वृद्धि की जाए, ताकि उनके वेतन में सुधार हो सके और फाइलों व रिपोर्टों के भारी कार्यभार को कम किया जा सके। इसके लिए कम से कम ₹5,000 करोड़ की धनराशि विशेष रूप से निर्धारित की जानी चाहिए, जिससे निरंतर जोखिमों और अत्यधिक थकान के बीच काम करने वाले इन कार्यकर्ताओं को बेहतर वेतन, स्वास्थ्य सहायता और अन्य कार्य-संबंधित सुविधाएं प्रदान की जा सकें। साथ ही, यह सुनिश्चित करना अत्यंत आवश्यक है कि स्वच्छता कर्मी, आशा (ASHA) कार्यकर्ता, देखभाल कर्मी, घरेलू कामगार, ए.एन.एम. (ANM), आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, और प्रवासी व संविदा पर कार्यरत महिलाओं को मिलने वाला मानदेय सम्मानजनक हो और उनके कार्य को उचित सामाजिक सुरक्षा एवं गरिमा प्रदान की जाए।

युवा रोजगार:

- युवा रोजगार और कौशल विकास योजनाओं के अंतर्गत SC/ST घटक के लिए आवंटन को कम से कम 50 प्रतिशत बढ़ाया जाना चाहिए, और इसमें यह अनिवार्य किया जाना चाहिए कि युवाओं को अल्पकालिक या अनौपचारिक नियुक्तियों के बजाय नियमित वेतनभोगी रोजगार में संक्रमण का अवसर मिले। यह वृद्धि विशेष रूप से शहरी अनौपचारिक क्षेत्रों—जैसे निर्माण, स्वच्छता, लॉजिस्टिक्स और गिग कार्य—में कार्यरत SC/ST युवाओं को प्राथमिकता दे।
- "SC/ST युवा रोजगार सुरक्षा कोष" की स्थापना की जाए, जिसमें प्रारंभिक रूप से ₹500 करोड़ का आवंटन किया जाए। यह कोष पहली बार काम करने वाले SC/ST युवाओं के लिए मज़दूरी सब्सिडी, शहरी रोजगार गारंटी के पायलट कार्यक्रमों का विस्तार, तथा सुरक्षित और भेदभाव-रहित रोजगार प्रदान करने वाले नियोक्ताओं के लिए प्लेसमेंट-आधारित प्रोत्साहन का समर्थन करेगा।
- PLFS, स्किल इंडिया और युवा रोजगार कार्यक्रमों के अंतर्गत जाति-आधारित (caste-disaggregated) श्रम डेटा और निगरानी प्रणालियों के लिए ₹200 करोड़ का आवंटन किया जाए। यह आवंटन SC/ST युवाओं के रोजगार से जुड़े परिणामों—जैसे रोजगार की गुणवत्ता, मज़दूरी और अनुबंध सुरक्षा—के नियमित संग्रह, प्रकाशन और विश्लेषण को सक्षम बनाएगा।

न्याय तक पहुँच:

- अत्याचार निवारण अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए एक अलग योजना बनाई जानी चाहिए, जिसके लिए कम से कम ₹1,000 करोड़ का आवंटन किया जाए, ताकि SC और ST के विरुद्ध बढ़ते अत्याचारों से निपटा जा सके। इस निधि का 50 प्रतिशत हिस्सा SC और ST महिलाओं पर खर्च किया जाना चाहिए, ताकि उनके विरुद्ध होने वाली अंतर्संबंधित हिंसा को संबोधित किया जा सके।
- पीड़ितों के मुआवज़े और पुनर्वास के लिए अलग बजट लाइन बनाई जाए, जिसमें पुलिस से संबंधित प्रावधान—जैसे विशेष पुलिस थाने और विशेष संरक्षण प्रकोष्ठ, तथा न्यायिक प्रावधान, जैसे अनन्य विशेष न्यायालयों की स्थापना, अनन्य विशेष लोक अभियोजकों की नियुक्ति, निःशुल्क कानूनी

सहायता और जागरूकता निर्माण, को PoA और PCR अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन के अंतर्गत शामिल किया जाए। इससे राज्य सरकारों की पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित होगी तथा राज्य की प्रशासनिक मशीनरी को विशिष्ट आवश्यकताओं को संबोधित करने में सहायता मिलेगी।

- मुआवज़े की राशि में संशोधन किया जाना आवश्यक है। SC/ST नियमों के वर्ष 2016 के संशोधन के अनुसार न्यूनतम मुआवज़ा ₹85,000 निर्धारित है, जिसमें मतदान से रोकना, चुनाव में नामांकन दाखिल करने से रोकना, PRI सदस्यों को कार्य करने से डराना, सामाजिक और आर्थिक बहिष्कार करना तथा झूठी शिकायतें दर्ज करना जैसे क्रूर अत्याचार शामिल हैं। अत्याचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत न्यूनतम मुआवज़ा राशि को बढ़ाकर ₹5 लाख किया जाना चाहिए। अन्य अत्याचारों के लिए भी उनकी गंभीरता के आधार पर मुआवज़े की राशि में संशोधन किया जाना चाहिए।
- हत्या और बलात्कार के मामलों में मुआवज़े की राशि को वर्तमान ₹8 लाख से बढ़ाकर ₹25 लाख किया जाना चाहिए।
- डॉ. आंबेडकर राष्ट्रीय राहत योजना (अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार पीड़ितों के लिए) को नागरिक अधिकार संरक्षण (PCR) अधिनियम और SC/ST (अत्याचार निवारण) अधिनियम के क्रियान्वयन हेतु केंद्र प्रायोजित योजना (CSS) से अलग किया जाना चाहिए और इसे डॉ. आंबेडकर फाउंडेशन के अंतर्गत एक स्वतंत्र योजना के रूप में पुनः बहाल किया जाना चाहिए, जिसमें अलग बजट लाइन हो। इससे केंद्र सरकार राज्य सरकारों द्वारा दी जाने वाली राहत के अतिरिक्त, अत्याचार पीड़ितों को समय पर अतिरिक्त राहत प्रदान कर सकेगी।

बच्चे:

- SC/ST बच्चों को लक्षित करने वाली बाल श्रम उन्मूलन पहलों के लिए बजट में 50 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि की जाए। यह बढ़ा हुआ आवंटन शैक्षिक सहायता कार्यक्रमों को सुदृढ़ करने, आवासीय विद्यालयों और छात्रावासों के विस्तार, परिवारों के लिए वैकल्पिक आय-सृजन के अवसरों तथा बाल श्रम को रोकने के लिए निरंतर सामुदायिक सहभागिता को समर्थन देगा।
- "बाल अधिकार निगरानी कोष" की स्थापना की जाए, जिसमें प्रारंभिक रूप से ₹250 करोड़ का आवंटन किया जाए, और जिसका फोकस विशेष रूप से SC/ST बच्चों पर हो। यह कोष जाति-आधारित डेटा संग्रह, स्कूल छोड़ने (ड्रॉपआउट) और बहिष्करण के पैटर्न की निगरानी, बाल संरक्षण प्रणालियों के स्वतंत्र ऑडिट तथा लक्षित सुधारात्मक हस्तक्षेपों की रूपरेखा तैयार करने में सहायता करेगा।
- SC/ST बच्चों के लिए बाल संरक्षण और न्याय तंत्र को सुदृढ़ करने हेतु ₹200 करोड़ का आवंटन किया जाए। इसमें POCSO के अंतर्गत विशेष न्यायालय, पीड़ितों के लिए मुआवज़ा, परामर्श सेवाएँ और पुनर्वास कार्यक्रम शामिल हों, तथा जाति और जेंडर आधारित हिंसा का सामना कर रही SC और ST बालिकाओं को विशेष प्राथमिकता दी जाए।
- विद्यालय-आधारित, जाति-संवेदनशील मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों के लिए ₹100 करोड़ का विशेष आवंटन किया जाए, यह स्वीकार करते हुए कि भेदभाव, अलगाव और हिंसा SC और ST बच्चों में मानसिक तनाव के प्रमुख कारण हैं।

सार्वजनिक स्वास्थ्य:

- सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि NHM, PMJAY, जन औषधि और PM POSHAN सहित विभिन्न स्वास्थ्य पहलों के अंतर्गत SC और ST के लिए किए गए आवंटन सुरक्षित रहें और उनका दुरुपयोग न हो।
- ज़िलों में SC/ST आबादी अधिक है, वहाँ ग्रामीण स्वास्थ्य अवसंरचना को प्राथमिकता देने की आवश्यकता है, और ग्रामीण क्षेत्रों में नियुक्ति के लिए प्रोत्साहन देकर 80% से अधिक खाली विशेषज्ञ पदों को तत्काल भरा जाना चाहिए।
- स्वास्थ्य सेवाओं में जाति-आधारित भेदभाव से निपटने के लिए, स्वास्थ्य कर्मियों के लिए अनिवार्य जाति-संवेदनशीलता प्रशिक्षण लागू किया जाना चाहिए, जिसे सीधे उनके प्रदर्शन मूल्यांकन और नौकरी की पुष्टि से जोड़ा जाए।
- आयुष्मान भारत कार्यक्रम को पारदर्शी रूप से संचालित किया जाना चाहिए, जिसमें रियल-टाइम ऑडिट, सामाजिक निगरानी और शिकायत हेल्पलाइन शामिल हों, ताकि अनौपचारिक भुगतान जैसी प्रथाओं को रोका जा सके, जो आर्थिक रूप से हाशिए पर पड़े SC और ST परिवारों को नुकसान पहुँचाती हैं।
- इसके साथ ही, SC और ST पृष्ठभूमि से स्वास्थ्य कर्मियों को प्रशिक्षित कर समुदाय-नेतृत्व वाली स्वास्थ्य पहलों का विस्तार किया जाना चाहिए, ताकि शुरुआती पहचान और रोकथाम देखभाल को मज़बूती मिल सके।
- सस्ती दवाओं तक पहुँच में सुधार के लिए ग्रामीण और SC/ST बहुल क्षेत्रों में जन औषधि केंद्रों की संख्या बढ़ाई जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि सार्वजनिक अस्पताल जेनेरिक दवाओं के प्रिस्क्रिप्शन की नीति का पालन करें।
- इसके अतिरिक्त, सार्वजनिक स्वास्थ्य पर व्यय को GDP के 1.3% से अधिक किया जाना चाहिए, और SC तथा ST समुदायों के स्वास्थ्य संकेतकों के लिए स्पष्ट और मापनीय परिणाम निर्धारित किए जाने चाहिए।
- SC और ST महिलाओं के स्वास्थ्य पर विशेष ज़ोर दिया जाना चाहिए, जिसमें मातृ स्वास्थ्य, प्रजनन स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य के लिए अनुकूलित हस्तक्षेप शामिल हों, जो जाति और जेंडर की जटिलताओं को संबोधित करें।
- SC और ST समुदायों के लिए तृतीयक (टर्शियरी) स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी योजनाओं के लिए कोई आवंटन नहीं किया गया है, जिससे उन्नत चिकित्सा उपचार तक समान पहुँच खतरे में पड़ती है और कमजोर परिवारों पर विनाशकारी स्वास्थ्य खर्च या उपचार से वंचित होने का जोखिम बढ़ता है। हम अनुशंसा करते हैं कि इस पर पुनर्विचार किया जाए, ताकि जीवन-रक्षक स्वास्थ्य सेवाओं तक निरंतर पहुँच सुनिश्चित हो सके और समान विकास को बढ़ावा दिया जा सके।

सामाजिक सुरक्षा:

- पेंशन, स्वास्थ्य बीमा और खाद्य सब्सिडी जैसी सामाजिक सुरक्षा योजनाएँ तत्काल कठिनाइयों को कम कर सकती हैं, लेकिन शिक्षा, कौशल या बेहतर रोजगार के अवसरों तक पहुँच के बिना ये ऊपर की सामाजिक-आर्थिक गतिशीलता सुनिश्चित नहीं करतीं। इसलिए SC और ST समुदायों के लिए

सामाजिक सुरक्षा का उद्देश्य केवल संरक्षण तक सीमित न रहकर क्षमता निर्माण (capability building) को प्राथमिकता देना होना चाहिए।

- SC और ST परिवारों के लिए सामाजिक सुरक्षा को मज़बूत करने हेतु लक्षित उपायों की आवश्यकता है, जैसे शहरी क्षेत्रों में पढ़ने वाले छात्रों और रोजगार की तलाश कर रहे युवाओं के लिए छात्रावासों और किराया सहायता का विस्तार, स्नातकों के लिए रोजगार संक्रमण कार्यक्रमों का निर्माण, कौशल प्रशिक्षण में भागीदारी से जुड़ी आय सहायता प्रदान करना, तथा SC और ST बहुल क्षेत्रों में समुदाय-आधारित करियर परामर्श उपलब्ध कराना, ताकि शिक्षा और रोजगार के बीच होने वाले ड्रॉपआउट को कम किया जा सके।
- रोजगार से जुड़ी सामाजिक सुरक्षा को और अधिक सुदृढ़ किया जा सकता है, यदि हम कौशल विकास को सीधे नौकरी के अवसरों से जोड़ें। इसके लिए प्रशिक्षुता (Apprenticeship), अनुसूचित जाति एवं जनजाति के उम्मीदवारों को नौकरी देने वाली कंपनियों को प्रोत्साहन, सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP), और प्रशिक्षण के बाद नौकरी की गारंटी के साथ-साथ नियुक्ति की निरंतर निगरानी (Placement Tracking) जैसी व्यवस्थाओं को एकीकृत करना आवश्यक है।
- ऋण सुविधाओं और व्यापारिक नेटवर्क तक सीमित पहुंच के कारण अनुसूचित जाति एवं जनजाति समुदायों में उद्यमिता का विस्तार बाधित है। इसे सशक्त बनाने के लिए ऋण और जोखिम पूंजी कोष (Venture Capital Fund) का विस्तार, ऋण गारंटी योजनाएं, बेहतर बाजार संपर्क, आपूर्तिकर्ताओं में विविधता और सरकारी खरीद में आरक्षण (Procurement Quota) जैसे प्रावधान किए जाने चाहिए। ये कदम न केवल आय के दीर्घकालिक स्रोत विकसित करेंगे, बल्कि बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन में भी सहायक होंगे।
- SC/ST अनौपचारिक श्रमिकों के लिए सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिए, जिसमें सरल पंजीकरण प्रणाली, प्रवासी श्रमिकों के लिए पोर्टेबल लाभ, मज़बूत रोजगार और मज़दूरी समर्थन, विस्तारित स्वास्थ्य बीमा और पेंशन, तथा कौशल प्रशिक्षण और ऋण सहायता के माध्यम से बेहतर आजीविका शामिल हो।

दिव्यांगजन:

- दिव्यांग कल्याण योजनाओं के बजट में कम से कम 40 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि की जानी चाहिए, जिसमें SC/ST के लिए स्पष्ट रूप से चिन्हित उप-आवंटन हो, ताकि शिक्षा, रोजगार और सामाजिक सुरक्षा में जाति और दिव्यांगता के संयुक्त बहिष्करण को संबोधित किया जा सके।
- अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के दिव्यांग व्यक्तियों के लिए 'इंटरसेक्शनल दिव्यांगता समावेशन' (Intersectional Disability Inclusion) के तहत ₹300 करोड़ का एक विशेष बजट आवंटित किया जाना चाहिए। इस राशि का उपयोग समुदायों तक सीधी पहुँच बनाने, अनुसूचित जाति की बस्तियों और अनुसूचित जनजाति के निवास क्षेत्रों में अंतिम छोर तक यूडीआईडी (UDID) नामांकन सुनिश्चित करने, अग्रिम पंक्ति के सेवा प्रदाताओं को प्रशिक्षित करने और जिला स्तर पर 'सुगमता एवं समावेशन समितियों' की स्थापना के लिए किया जाएगा।
- अनुसूचित जाति एवं जनजाति बहुल क्षेत्रों में सुगम शिक्षा और कौशल विकास के बुनियादी ढांचे के लिए ₹150 करोड़ आवंटित किए जाएं। इस राशि का उपयोग सहायक तकनीकों (Assistive Technologies), बाधारहित परिसरों (Barrier-free campuses), छात्रावासों और इन समुदायों के दिव्यांग छात्रों (PwDs) के लिए विशेष छात्रवृत्ति प्रदान करने हेतु किया जाना चाहिए।

जलवायु परिवर्तन:

- यह पुरजोर सिफारिश की जाती है कि मुख्य रूप से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए जलवायु परिवर्तन अनुकूलन और आपदा प्रतिरोधक क्षमता से संबंधित कार्यक्रमों और योजनाओं को समाहित करते हुए एक अलग और विशिष्ट जलवायु बजट लाया जाए।
- आपदा जोखिम न्यूनीकरण (DRR) और जलवायु परिवर्तन अनुकूलन (CCA) का बजट एक वैज्ञानिक और समावेशी मानचित्रण पर आधारित होना चाहिए। यह मानचित्रण बार-बार आने वाली आपदाओं के जोखिम, जलवायु के प्रति संवेदनशील क्षेत्रों और सामाजिक भेद्यता—जैसे कि जाति, लिंग, जातीयता, धर्म, यौन अभिविन्यास और आयु—के आपसी संबंधों (Intersectionality) को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए। इस प्रक्रिया के परिणामस्वरूप देश के लिए एक 'भेद्यता एवं आपदा जोखिम मानचित्रावली' (Atlas) तैयार की जानी चाहिए। इसी मानचित्रण या मानचित्रावली के आधार पर जलवायु परिवर्तन अनुकूलन के प्रत्येक क्षेत्र के लिए बजट का आवंटन लक्षित रूप से किया जाना चाहिए।
- जलवायु लचीलापन और अनुकूलन के लिए बजटीय आवंटन SCP-TSP के सिद्धांतों के अनुरूप होना चाहिए, अर्थात आवंटन SC और ST आबादी के अनुपात के आधार पर किया जाना चाहिए।
- DRR बजटिंग का फोकस केवल आजीविका, तात्कालिक नुकसान-क्षति के मुआवज़े या आपदा-जनित विस्थापन की स्थिति में स्वचालित पुनर्वास तक सीमित न होकर लचीलापन (भेद्यता का उन्मूलन) बनाने पर होना चाहिए, जो मज़बूत सामाजिक सुरक्षा अधिकारों पर आधारित हो। इसके लिए मानक संचालन प्रक्रियाएँ (SOPs) स्थानीय स्तर पर तय हों, तथा स्वीकृति और धनराशि का वितरण भी स्थानीय स्तर पर ही किया जाए।
- बजट को विशेष रूप से समुदाय-स्तर पर सुधारात्मक कार्रवाइयों और सुरक्षात्मक तंत्रों के निर्माण के लिए सुरक्षित किया जाना चाहिए और बाढ़, हीटवेव, चक्रवात और अत्यधिक वर्षा से निपटने पर खर्च किया जाना चाहिए। इन निधियों का उपयोग समुदायों और संवेदनशील समूहों को प्रशिक्षण देने के साथ-साथ उनके स्थानीय क्षेत्रों और बस्तियों में आवश्यक अवसंरचना विकसित करने पर किया जाना चाहिए।
- राहत, पुनर्वास तथा नुकसान-क्षति के लिए मुआवज़े से जुड़ी योजनाओं और कार्यक्रमों में संशोधन किया जाना चाहिए, ताकि भूमिहीन SC और ST परिवारों को भी पात्र बनाया जा सके। साथ ही, नुकसान-क्षति के आकलन और राहत वितरण की प्रक्रिया में समुदाय का उचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
- न्यूनतम कार्बन फुटप्रिंट होने के बावजूद, वंचित और कमजोर समुदाय जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों का असमान बोझ झेलते हैं; इसलिए उन्हें जलवायु नीतियों के केंद्र में होना चाहिए। अनुकूलन (Adaptation) और 'हानि एवं क्षति' (Loss and Damage) के सभी उपायों को स्पष्ट रूप से 'सुधारात्मक न्याय ढांचे' (Reparative Justice Framework) द्वारा निर्देशित किया जाना चाहिए। ऊर्जा संक्रमण (Energy Transition) यह

सुनिश्चित करे कि इन समुदायों पर कोई सामाजिक, आर्थिक या पर्यावरणीय लागत न आए, जिससे समानता और सर्वाधिक प्रभावित लोगों की सुरक्षा को मुख्य प्राथमिकता बनाया जा सके।

- जनजातीय और पीवीटीजी (PVTG) बस्तियों के लिए 'ऑफ-ग्रिड सौर प्रणालियों' को तब तक एक अस्थायी समाधान माना जाना चाहिए जब तक कि मुख्य बिजली नेटवर्क से जुड़ाव (Grid Connectivity) सुनिश्चित न हो जाए।

इस संक्रमण काल के दौरान, योजनाओं में रखरखाव का पूरा खर्च शामिल होना चाहिए और अतिरिक्त पुर्जों (Spare parts) की स्थानीय उपलब्धता सुनिश्चित की जानी चाहिए। साथ ही, एक स्थायी आजीविका पहल के रूप में मरम्मत कार्यों के प्रबंधन के लिए स्थानीय महिलाओं और युवाओं को प्रशिक्षित कर उन्हें मानदेय दिया जाना चाहिए।

National Campaign on Dalit Human Rights (NCDHR),1998 में शुरू किया गया एक मंच है, जो जाति आधारित भेदभाव के उन्मूलन के लिए प्रतिबद्ध है। यह दलित महिला और पुरुष कार्यकर्ताओं के नेतृत्व वाला एक लोकतांत्रिक धर्मनिरपेक्ष मंच है, जिसे देशभर के उन आंदोलनों, संगठनों और संस्थानों का सहयोग और एकजुटता प्राप्त है, जो दलितों के मानवाधिकारों के संरक्षण और संवर्धन हेतु प्रतिबद्ध हैं। दलित आर्थिक अधिकार आंदोलन (Dalit Arthik Adhikar Andolan - DAAA), NCDHR का एक हिस्सा है और यह शिक्षा व उद्यमिता सहित दलितों के विभिन्न आर्थिक अधिकारों पर कार्य करता है। यह केंद्र और राज्य सरकारों के बजट को मुख्य साधन के रूप में उपयोग करते हुए दलितों की योजनाओं और अधिकारों की निगरानी करता है। यह नीतिनिर्माताओं और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ पैरवी (एडवोकेसी) में भी संलग्न रहता है, ताकि मौजूदा नीतियों को मजबूत किया जा सके और जवाबदेही तथा पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सके।

NCDHR-National Campaign on Dalit Human Rights-DAAA
www.ncdhr.org.in

For further information, please contact:
Adikanda Singh, (M) +91-9205219784; Email: adikanda@ncdhr.org.in

SCAN ME, DOWNLOAD A SOFT COPY